आदिवासी एवं दलित बच्चों में कुपोषण

एक अध्ययन

विकास संवाद

शीषक	:	**आदिवासी एवं दलित बच्चों में कुपोषण – एक अध्ययन**
लेखन एवं शोध	:	विश्वम्भरनाथ त्रिपाठी
सहयोग	:	सचिन कुमार जैन, प्रशांत दुबे, रोली शिवहरे, योगेश मालवीया, ममता खरते, बलवन्त रहंगडाले, पंकज सिंह
प्रकाशन वर्ष	:	2013
प्रतियाँ	:	500
प्रकाशक	:	विकास संवाद, ई–7 / 226, धनवन्तरी कॉम्पलेक्स के सामने अरेरा कॉलोनी, भोपाल – 16, म.प्र. फोन : 0755 – 4252789
ईमेल	:	vikassamvad@gmail.com
वेबसाईट	:	www.mediaforrights.org
डिज़ाईन	:	सुबोध शुक्ला
मुद्रक	:	एम.एस.पी. ऑफसेट, एम.पी. नगर, भोपाल

इस शोध पुस्तिका का प्रकाशन 'चाईल्ड राईट्स एवं यू' (क्राय) के सहयोग से हुआ है।

आदिवासी एवं दलित समुदाय के बच्चों में कुपोषण का अध्ययन

भूमिका

आज हर तरफ विकास की अवधारणा पर बहस चल रही है। मानव विकास सूचकांकों को विकास का प्रमुख पैमाना माना जाने लगा है। मानव विकास के सूचकांकों में स्वास्थ्य खासतौर पर मातृ एवं शिशु मृत्यु दर, बाल मृत्यु दर एवं बच्चों का पोषण स्तर मुख्य है। इस दृष्टि से बच्चों के पोषण स्तर को समझना जरूरी हो जाता है। मध्यप्रदेश में खेती एवं अन्य क्षेत्रों में विकास के बावजूद कुपोषण बच्चों के बुरे स्वास्थ्य का सबसे बड़ा कारण बना हुआ है। प्रदेश में कुपोषण का फैलाव व्यापक है। यही कारण है कि पोषण एवं खाद्य सुरक्षा अहम और ज्वलंत प्रश्न बन गए हैं। खाद्य एवं पोषण असुरक्षा, रोजगार की कमी, कमजोर सार्वजनिक वितरण प्रणाली, असमान सामाजिक आर्थिक संरचना और विकास नीति में दूरदर्शिता की कमी आदि ने पिछले कुछ दशकों में बच्चों के पोषण पर बुरा असर डाला है।

विगत वर्षों में मध्यप्रदेश में कुपोषण एवं भूख के कारण हुई मौतों, विशेषकर ग्रामीण इलाकों की आदिवासी एवं दलित आबादी में बढ़ते कुपोषण ने सबका ध्यान आकर्षित किया है। इस गंभीर एवं चिंताजनक समस्या तथा गरीबी से पैदा हुई खाद्य असुरक्षा की विकराल स्थिति से उबरने के लिए पिछले सालों में भोजन के अधिकार के व्यापक मुद्दों पर सवाल उठे हैं। देश और प्रदेश में पोषण एवं खाद्य असुरक्षा का निर्धारण परिवर्तनशील व सतत खाद्य असुरक्षा, छिपी भूख, मौसमी खाद्य असुरक्षा, गरीबी, बेरोजगारी, भूख और कुपोषण के बीच संबंध से किया जाता है। कुपोषण एवं खाद्य असुरक्षा की समस्या से निपटने के लिए सुधारात्मक उपायों के अंतर्गत केन्द्र और राज्य सरकार ने रोजगार और निर्धनता तथा कुपोषण को कम करने के लिए आईसीडीएस, मध्यान्ह भोजन, रोजगार गारंटी योजना आदि अनेक कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं। लेकिन जमीनी स्तर पर इन सब योजनाओं का क्रियान्वयन कमजोर रहा है। इसकी स्वीकार्यता पर अध्ययनों ने सवाल खड़े किए हैं। इन योजनाओं के क्रियान्वयन में राज्य की भूमिका उत्साहजनक नहीं रही है।

कुपोषण से बचाव का आदिवासी एवं दलित समुदाय का अपना पारंपरिक तरीका रहा है। सालभर न केवल खाद्य सुरक्षा निश्चित करना बल्कि खाद्य में विविधता

बनाए रखना भी इन समुदायों की मुख्य परंपरा और संस्कृति रही है, लेकिन आज राष्ट्रीय एवं अतंर्राष्ट्रीय आर्थिक परिदृश्य में स्थानीय एवं समुदाय आधारित यह परम्पराएं और एक–दूसरे को सहयोग और सुरक्षा देने वाली संस्कृति ओझल हो रही है। आदिवासी समुदायों में कुपोषण से बचने और मां और बच्चों की सेहत को मजबूत बनाने के तौर तरीके मौजूद हैं, लेकिन यह बड़ी विडम्बना है कि इन तरीकों को भुलाया जा रहा है। जीवन निर्वाह एवं परिवार व समुदाय को खाद्य सुरक्षा देने वाली पारंपरिक अर्थव्यवस्था को बाजार ने निगलने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। कुपोषण से बचाव के उपायों में उन असंगत तौर तरीकों को शामिल करने पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है जो न केवल कुपोषण को दूर करने में अपर्याप्त हैं बल्कि इनका दूरगामी दुष्प्रभाव भी होता है। कुपोषण कम करने या दूर करने के तात्कालिक उपायों पर बाजारवादी दृष्टिकोण हावी होता दिख रहा है। तैयार भोजन, विटामिन की गोलियों को आटे में मिलाकर देने जैसे उपाय बेहतर तरीका नहीं है।

प्रस्तुत अध्ययन विकास संवाद के राष्ट्रीय राज्य स्तरीय नीतिगत सुधारों के लिए किए गए प्रयासों एवं पहल का नतीजा है। अध्ययन की अवधारणा तैयार करने में श्री सचिन कुमार जैन व श्री प्रशांत दुबे का खास योगदान है। अध्ययन में श्री योगेश मालवीया, सुश्री ममता खरते, श्री बलवंत रहंगडाले, श्री पंकज सिंह, निवसिड डिंडौरी का सहयोग प्राप्त हुआ। हम सभी के आभारी हैं।

विश्वम्भरनाथ त्रिपाठी

कहां क्या

क्रमांक	विषय	पृष्ठ क्रमांक
	भूमिका	
	सारांश एवं निष्कर्ष	
1.	**पृष्ठभूमि**	
2.	**अध्ययन विधि**	
	• अध्ययन क्षेत्र	
	• उद्देश्य	
	• सेम्पलिंग	
	• आंकड़ों को जमा करने का तरीका	
3.	**बैगा समुदाय में कुपोषण की स्थिति – अध्ययनित गांव पोंडी का विश्लेषण**	
	• परिचय एवं स्थिति	
	• सामाजिक आर्थिक स्थिति	
	• पोषण का स्तर	
	• बच्चों में खानपान का स्तर	
	• मां के अनुभव	
	• आंगनवाड़ी सेवाओं की स्थिति	
	• गांव की अर्थव्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था चरमराई – पनपा कुपोषण	
4.	**चर्मकार समुदाय में कुपोषण की स्थिति – अध्ययनित गांव चारूवा का विश्लेषण**	
	• परिचय एवं स्थिति	
	• सामाजिक आर्थिक स्थिति	
	• पोषण का स्तर	
	• बच्चों में खानपान का स्तर	
	• मां के अनुभव	
	• आंगनवाड़ी सेवाओं की स्थिति	
	• पारंपरिक व्यवसाय छूटा, मिला न विकल्प – उपजा कुपोषण	
5.	**कुपोषण से बचाव की पारंपरिक पद्धतियां**	
6.	**स्थानीय स्वयं सेवी संस्था की कुपोषण दूर करने में भूमिका**	
7.	**कुपोषण से बचाव के विकल्प**	
8.	**चर्चा**	
	संदर्भ ग्रंथ सूची	

अध्ययन का सार एवं निष्कर्ष

मध्यप्रदेश के आदिवासी एवं दलित समुदायों में कुपोषण गहरा रहा है। पिछले कुछ दशकों में इन समुदायों में कुपोषण को बढ़ावा देने वाली स्थितियां बनी हैं। यह स्थितियां इन समुदायों के निवास क्षेत्रों जल, जंगल, जमीन और परम्परागत आजीविका के स्त्रोतों पर आए संकट के कारण बनी है। बैगा एवं चर्मकार समुदाय में खाद्य एवं पोषण सुरक्षा पारंपरिक आजीविका और जीवन जीने के तौर तरीकों में नीहित रही है। अब ये समुदाय आजीविका तथा खाद्य व पोषण सुरक्षा की गंभीर चुनौती का सामना कर रहे हैं। इस चुनौती से पार पाने के रास्ते केवल शासकीय योजनाओं में ही ढूंढने की कोशिशें की जा रही है। कुपोषण को बढ़ाने व इसे कायम रखने वाले कारणों को खत्म करने या कम करने के उपायों पर जोर नहीं दिया जा रहा है। राजनीतिक नेतृत्व की अदूरदर्शी एवं भेदभावपूर्ण विकास नीति के कारण आदिवासी एवं दलित आबादी में भूख और कुपोषण का व्यापक संकट खड़ा हुआ है। अब इस संकट को समझकर जनविरोधी नीतियों को खत्म करने की बजाय सरकार कुछ योजनाओं के जरिए लोगों को सांत्वना देने का प्रयास कर रही है। इसी का नतीजा है कि इन समुदायों में खाद्य सुरक्षा के उपाय बहुत सीमित हैं और पोषण सुरक्षा दूर होती जा रही है।

प्रस्तुत अध्ययन से यह बात स्पष्ट रूप से उभरकर सामने आई कि कुपोषण दूर करने के लिए किए जा रहे प्रयास इन समुदायों के अनुरूप नहीं हैं। यह समुदाय की जरूरतों एवं उनकी परंपराओं की अनदेखी करते हैं। इन प्रयासों से 6 साल से कम उम्र के बच्चों में कुपोषण को कम करने में मदद नहीं मिल पा रही है। खाद्य सुरक्षा एवं पोषण से जुड़े कार्यक्रमों, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, समेकित बाल विकास परियोजना, खाद्य सुरक्षा मिशन आदि ने इन क्षेत्रों में लोगों को जो राहत दी है, उसका पारंपरिक तरीकों पर विपरीत असर भी दिखाई दे रहा है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत केवल गेहूं एवं चावल मिलने से उन स्थानीय अनाजों के प्रति लोगों का रुझान खत्म हो रहा है जो कुपोषण को रोकने में अहम भूमिका निभाते थे। समेकित बाल विकास योजना में भी स्थानीय अनाजों, सब्जियों, अंडे एवं दूध आदि का समावेश बहुत कम या न के बराबर है। खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत धान, गेहूं, चना आदि फसलों पर अधिक सहायता होने के कारण स्थानीय फसल प्रतिरूप परिवर्तित हो गया है। इन योजनाओं ने समुदायों में खाद्य विविधता को कम करने का ही काम किया है।

बच्चों को कुपोषण से बचाने के स्थाई और बेहतर उपाय स्थानीय संसाधनों, तौर तरीकों, पारंपरिक आजीविका के स्रोतों में निहित हैं। इन स्रोतों पर आ रहे संकट को समझने की जरूरत है और उन्हें पुनर्जीवित करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। ऐसे नए तौर तरीके विकसित किए जाने चाहिए जो इन स्थानीय समुदायों की अनदेखी न करें और समुदायों को जोड़ने वाले हों। कुपोषण को दूर रखने वाली इन्हीं स्थानीय परिस्थितियों एवं पारंपरिक तौर तरीकों को समझने के लिए यह अध्ययन किया गया है।

यह अध्ययन मध्यप्रदेश में बैगा एवं चर्मकार समुदाय के निवास क्षेत्र डिंडोरी और हरदा जिले में किया गया।

अध्ययन के लिए दोनों समुदायों से 50–50 बच्चों एवं उनके परिवारों को शामिल किया गया है। बैगा समुदाय में एक गांव डिंडोरी जिले से जबकि चर्मकार समुदाय में एक मुख्य गांव के अलावा 4 अन्य गांवों को भी लिया गया है। इन गांवों में बच्चों के परिवारों से बातचीत की गई। इसके अलावा गांवों में समूह चर्चा एवं स्थानीय संस्थाओं के कार्यकर्ताओं के भी विचार कुपोषण के संदर्भ में लिए गए। बच्चों में कुपोषण के स्तर को समझने के लिए उम्र के मान से वजन एवं उंचाई, ऊपरी मध्य बांह की परिधि (एमयूएसी) टेप द्वारा एवं खुराक सर्वेक्षण विधि का उपयोग किया गया है।

अध्ययन से निकले मुख्य बिंदु एवं सुझाव

1. बैगा एवं चर्मकार समुदायों में 6 साल से कम उम्र के बच्चों में कम वजन, बौनेपन एवं कुपोषण का स्तर व्यापक है। बैगा समुदाय में कुल 68.4 प्रतिशत बच्चे कम वजन (36.7 प्रतिशत कम वजन एवं 31.7 प्रतिशत अति कम वजन) के हैं। कम वजन (36.7 प्रतिशत) में 61.5 प्रतिशत बालक एवं 73.5 प्रतिशत बालिकाएं हैं जबकि, अति कम वजन (31.7 प्रतिशत) में 34.6 प्रतिशत बालक एवं 29.4 प्रतिशत बालिकाएं हैं।

2. चर्मकार समुदाय में 46 प्रतिशत बच्चे कम वजन (24 प्रतिशत कम वजन एवं 22 प्रतिशत अति कम वजन) के हैं। कम वजन (24 प्रतिशत) में 44.4 प्रतिशत बालक एवं 47.8 प्रतिशत बालिकाएं हैं जबकि, अति कम वजन (22 प्रतिशत) में 11.1 प्रतिशत बालक एवं 34.8 प्रतिशत बालिकाएं हैं।

3. ऊपरी मध्य बांह की परिधि के अनुसार बैगा समुदाय के 53.3 प्रतिशत बच्चे कुपोषित हैं, जिसमें 32.3 प्रतिशत बालक एवं 61.7 प्रतिशत बालिकाएं हैं। 20.0 प्रतिशत बच्चे गंभीर कुपोषित हैं, जिसमें 23. 1 प्रतिशत बालक एवं 17.6 प्रतिशत बालिकाएं हैं। चर्मकार समुदाय में कुल 36 प्रतिशत बच्चे कुपोषित हैं, जिसमें 37 प्रतिशत बालक एवं 34.8 प्रतिशत बालिकाएं हैं। 8 प्रतिशत बच्चे गंभीर कुपाषित हैं जिसमें 7.4 बालक एवं 8.7 प्रतिशत बालिकाएं हैं।

4. बैगा समुदाय में भारतीय औसत की तुलना में 86.6 एवं मध्यप्रदेश में मध्यमान से 35 प्रतिशत बच्चे कम ऊंचाई के हैं। चर्मकार समुदाय में भारतीय औसत की तुलना में 46 प्रतिशत एवं मध्यप्रदेश की तुलना में 28 प्रतिशत बच्चे कम ऊंचाई के हैं। स्पष्ट है कि बैगा एवं चर्मकार दोनों ही समुदायों में बच्चे कम ऊंचाई यानी बौनेपन का शिकार हैं।

5. आंगनवाड़ी में दर्शाए जाने वाले कुपोषण के आंकड़े बैगा एवं चर्मकार समुदाय के बच्चों में कुपोषण की सही तस्वीर नहीं पेश करते हैं। आंगनवाड़ी के आंकड़ों के अनुसार बैगा समुदाय में 25 प्रतिशत बच्चे कुपोषित हैं जबकि, गंभीर कुपोषित बच्चों का प्रतिशत 2.2 है। अध्ययन में शामिल क्षेत्र में चर्मकार समुदाय में केवल 1 बालिका गंभीर कुपोषित है। जाहिर है कि वर्तमान सर्वे से प्राप्त जानकारी और आंगनवाड़ी में दर्शाए गए आंकड़ों में बहुत फर्क है। आंगनवाड़ी में दर्शाए जाने वाले आंकड़ों की जांच किए जाने की जरूरत है।

6. बैगा समुदाय में कुपोषण का मुख्य कारण खाद्य सामग्री में लगातार घटती विविधता है। जंगल घटने से अनाजों एवं वनोपज में कमी आई है, जिससे कई अनाजों एवं वनोपज की उपलब्धता खत्म हो गई है।

7. बैगा समुदाय में खेती एवं वनोपज के अलावा पशुपालन और शिकार खाद्य एवं पोषण सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता था। यह अब घटकर 10 से 15 प्रतिशत तक रह गया है। मछली और केकड़े भी अब 50 प्रतिशत से कम हो गए हैं। पशुपालन एवं शिकार का बैगा समुदाय में कोई विकल्प नहीं है। मांस खरीदने का आर्थिक सामर्थ्य बैगा समुदाय में नहीं है।

8. सरकार द्वारा स्थानीय फसलों को बढ़ावा न देने के कारण अधिक पोषण देने वाली फसलों का क्षेत्र घट रहा है। कोदो, कुटकी, रमतीला, ज्वार आदि फसलों का उत्पादन अब बहुत कम हो गया है जबकि, मंडिया, कांग, सांवा, सल्हार जैसी फसलों का बोना अब बंद कर दिया गया है। धान एवं गेहूं, चना जैसी फसलों का क्षेत्र बढ़ रहा है जबकि, यह फसलें सभी जरूरी पोषक तत्वों की पूर्ति करने में सक्षम नहीं हैं।

9. बैगा समुदाय में 6 साल से कम उम्र के बच्चों को प्रतिदिन अनाज के अलावा सभी खाद्य पदार्थ आईसीएमआर द्वारा निर्धारित मात्रा से कम मिल रहे हैं जबकि, दालें, तेल, दूध की मात्रा नगण्य है। सब्जियों, मांस, चीनी आदि में 25 से 75 प्रतिशत तक की कमी है। अनाज में भी कम गुणवत्ता वाले चावल की मात्रा अधिक है। इस वजह से पोषक तत्वों की मात्रा कम प्राप्त हो रही है।

10. बैगा समुदाय के बुजुर्ग लोगों के अनुसार 25 साल पूर्व कुपोषण नहीं होता था। अकाल के समय ही खाद्य सुरक्षा एवं पोषण की समस्या खड़ी होती थी। इन परिस्थितियों से निपटने के लिए भी बैगा समुदाय के पास मोटे अनाजों जैसे कोदो, कुटकी, मंडिया, ज्वार आदि का भंडार रहता था। शिकार और वनोपज के जरिए भी खाद्य एवं पोषण सुरक्षा सुनिश्चित थी।

11. बैगा समुदाय में छोटे बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए परंपरागत ज्ञान एवं संस्कृति का सहारा था। कमजोर बच्चों को अनेक तरह की जड़ी–बूटियां खिलाई जाती थीं। उल्टी–दस्त या निमोनिया होने पर प्राकृतिक इलाज एवं ढेरों जड़ी–बूटियां मौजूद थीं। अभी भी बैगा समुदाय में कमजोरी को दूर करने एवं खून बढ़ाने के लिए बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं को जंगली जड़ियां खिलाई जाती हैं।

12. बैगा समुदाय में खाने में विविधता बनाए रखने के लिए पारंपरिक खाद्य एवं संस्कृति का बड़ा महत्व है। सालभर कब क्या खाना है और किस खाद्य पदार्थ को कैसे खाना है, इसकी विधि बहुत अनोखी है। खेती, पशुपालन, शिकार, वनोपज संग्रहण आदि द्वारा न केवल खाद्य सामग्री की संतुलित मात्रा मिलती थी बल्कि सभी पोषक तत्वों की उपलब्धता भी सुनिश्चित थी।

13. बैगा समुदाय के लोग वनाधिकार के तहत अधिकार पत्र के लिए भटक रहे हैं। पिछले चुनाव के समय सरकार ने आनन–फानन कई परिवारों को अधिकार पत्र बांटे थे, पर चुनाव के बाद यह काम बहुत सुस्त हो गया। पिछले कई सालों से बैगा समुदाय के लोग पटवारी और तहसील के चक्कर काट रहे हैं।

14. चर्मकार समुदाय निवास क्षेत्र में सोयाबीन की फसल का रकबा बढ़ने के कारण अन्य सभी खरीफ की फसलों का क्षेत्र लगभग घटकर 10 प्रतिशत से भी कम हो गया है। स्थानीय खाद्य फसलों में विविधता से भूमिहीन एवं छोटे किसान भी फसल उत्पादन सहजता से कम कीमत पर कर पाते थे। स्थानीय स्तर पर खाद्य विविधता घटने से भूमिहीन एवं सीमांत किसान राशन की दुकान पर आश्रित हो गए हैं, जहां गेहूं एवं चावल ही मिलता है। इसका असर बच्चों के पोषण पर पड़ता है।

15. चर्मकार समुदाय के बच्चों को प्रतिदिन अनाज के अलावा खाद्य की उपब्धता कम है। दालों, सब्जियों, दूध, तेल आदि में 50 से 90 प्रतिशत तक की कमी है।

16. खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा जो प्रयास किए गए हैं, उनमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं समेकित बाल विकास परियोजना मुख्य है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत लोगों को अनाज की उपलब्धता एवं खाद्य सुरक्षा में मदद मिली है पर यह पोषण सुरक्षा देने में समर्थ नहीं है। समेकित बाल विकास परियोजना के संचालन एवं उसकी निगरानी का ढांचा बेहद कमजोर है, जिससे 6 साल से कम उम्र के बच्चों को पूरक पोषण नियमित रूप से उपलब्ध नहीं हो पा रहा है।

17. मनरेगा योजना का क्रियान्वयन एवं उसकी निगरानी का ढांचा कमजोर है। यह बैगाओं की आजीविका को सुरक्षा देने में नाकाम साबित हो रही है। पिछले वित्तीय वर्ष में ग्राम पोंडी में कुल मजदूरों को औसतन 14 कार्यदिवस ही काम दिया गया।

18. छह साल से कम उम्र के बच्चों के लिए स्वास्थ्य रक्षा एवं देखभाल सेवा की उपलब्धता निश्चित नहीं है। बैगा समुदाय में टीकाकरण का रिकार्ड किसी भी परिवार में नहीं मिला। पोंडी गांव में ज्यादातर महिलाओं को टीकाकरण के बारे में जानकारी नहीं है। चर्मकार समुदाय में टीकाकरण की स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर है। इस समुदाय के 6 साल से कम उम्र के बच्चों में 75 से 90 प्रतिशत तक टीकाकरण पाया गया।

19. बैगा एवं चर्मकार दोनों समुदायों में बच्चों को निमोनिया एवं उल्टी–दस्त के कारण गंभीर कुपोषण की स्थितियां बनती हैं।

20. दोनों समुदायों में महिलाओं के गर्भ धारण करने की उम्र कम है एवं दो बच्चों के बीच अंतराल कम है। इस वजह से बच्चों की देखभाल एवं उनके कम वजन के पैदा होने के खतरे अधिक हैं।

21. चर्मकार समुदाय से सामाजिक भेदभाव की स्थितियां हैं। इस समुदाय को अन्य जातियों द्वारा छुआछूत एवं भेदभाव की अमानवीय परंपराओं का सामना करना पड़ता है। यद्यपि इस भेदभाव का संबंध सीधे तौर पर बच्चों के कुपोषण से नहीं है, पर इन भेदभावों से कुपोषण की स्थितियों को बढ़ावा मिलता है।

22. चर्मकार समुदाय में पारंपरिक व्यवसाय द्वारा खाद्य एवं पोषण सुरक्षा निश्चित की जाती थी। इससे परिवार की आजीविका सुरक्षित थी। पारंपरिक व्यवसाय को लेकर चर्मकार समुदाय में अलग–अलग राय है। बुजुर्ग लोग जहां इस व्यवसाय को अपनी कुशलता और दक्षता से जोड़कर देखते थे, वहीं नई पीढ़ी इसे अपमानजनक और घृणित व्यवसाय मानती है।

23. चर्मकार समुदाय में बच्चों को कुपोषण होने पर या कुपोषण से बचाव के लिए घुट्टी पिलाने की परंपरा रही है। मान्यता यह है कि घुट्टी बच्चों को निमोनिया एवं कमजोरी दोनों से बचाव करती है।

24. बैगा समुदाय में राजनीतिक एवं वर्ग चेतना का अभाव है। इस कारण उनसे जुड़ी व्यवस्थाओं से उनका जुड़ाव नहीं बन पाता है जबकि, चर्मकार समुदाय में अपेक्षाकृत कुछ राजनीतिक चेतना होने के बावजूद व्यवस्था में सुधार लाने की ताकत नहीं बन पा रही है। व्यवस्था में बदलाव के प्रयास उनके लिए कठिन चुनौतियां पैदा करते हैं। उनको गांव की सामाजिक सत्ता का दबाव सहना पड़ता है।

25. एनआरसी बच्चों को पोषित करने में कारगर साबित नहीं हो रहा है। बैगा समुदाय वहां जाना पसंद नहीं करते। डिंडौरी स्थित एनआरसी में शिशु रोग विशेषज्ञ नहीं है।

26. बैगा एवं चर्मकार समुदायों में कैश सब्सिडी के प्रति विपरीत राय थी। उनका कहना था कि कैश सब्सिडी राहत देने के बजाय मुश्किलें बढ़ाएगी। बनियों पर निर्भरता बढ़ जाएगी और बैंक से राशि निकालना कठिन काम होगा।

सुझाव

1. बैगा एवं चर्मकार समुदाय का यह जानना बेहद जरूरी है कि उनके समाज में कुपोषण का फैलाव क्यों अधिक है? यानी आदिवासी और दलित वर्गों में चेतना होना आवश्यक है। लोगों को कुपोषण के सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक कारण पता होंगे तो वे व्यवस्था को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकेंगे। कुपोषण को समग्रता से देखने की जरूरत है।

2. पोंडी गांव के अनुभव बताते हैं कि बहुउद्देशीय कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी, एएनएम, आशा आदि सेवाओं को उपलब्ध कराने में सफल हो पाएंगे, यह कहा नहीं जा सकता है। विभिन्न सेवाओं को प्रदान करने के लिए विभिन्न दक्षताओं की जरूरत होती है। यह कौशल अभी तक उन विभागों के पास प्रारंभिक अवस्था में भी नहीं बन पाया है। हालांकि, इस काम में सहयोग के लिए पंचायती राज संस्थाएं निर्वाचित सदस्यों के अलावा अन्य क्षमतावान व्यक्तियों तथा विभिन्न विभागों के अधिकारी–कर्मचारियों को इस प्रयास मे जोड़ सकती हैं। महिला समूहों और गैर शासकीय संस्थाओं को स्थानीय योजना बनाने वाले समूह के साथ जोड़ा जा सकता है।

3. ग्राम पोंडी में बैगा समुदाय के साथ निवसिड संस्था की पहल आजीविका और अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को सशक्त करने व खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने के प्रयास जारी हैं। गांव के विकास के लिए नियोजित की गई सभी गतिविधियां स्वाभाविक रूप से एक दूसरे से जुड़ती हैं और एक–दूसरे को मजबूत करती हैं। इस तरह के प्रयास को ज्यादा व्यवस्थित और मजबूत बनाकर कुपोषण को रोकने में लोगों की भागीदारी को कारगर बनाया जा सकता है।

4. बैगा समुदाय का स्वरूप एक–सा है। इनकी सामाजिक गतिविधियां गरीबी, निरक्षरता और आजीविका की स्थितियों से नियंत्रित होती हैं, लेकिन अगर इन्हें, इन्हीं के हाल पर छोड दिया जाता है तो यह बेहद धीमी गति से नई परिस्थितियों में नए विकल्प तलाशने वाला समुदाय है। इन्हें सक्रिय करने के लिए उनके अंदर छुपी हुई संभावनाओं को पहचानने में सहयोग चाहिए।

5. बैगा समुदाय को कुपोषण से मुक्त रखने के लिए जंल, जंगल, जमीन का संरक्षण एवं विकास ही स्थायी तरीका है। प्राकृतिक परिवेश के संरक्षण से जैव विविधता को बढ़ावा मिलेगा और खाद्य एवं पोषण सुरक्षा देने वाले विविधतापूर्ण खाद्य पदार्थों का दायरा भी बढ़ेगा।

6. मनरेगा योजना के क्रियान्वयन एवं निगरानी तंत्र को ज्यादा जवाबदेह बनाना होगा। काम की मांग के लिए ग्राम पंचायत से अलग आसान तरीके विकसित करने होंगे। साथ ही मजदूरी एवं बेरोजगारी भत्ता समय से मिलने के लिए कारगर उपाय भी करने होंगे।

7. सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं आंगनवाड़ी योजना का सर्वव्यापीकरण करना होगा। यह सुनिश्चित करना होगा कि राशन की दुकान पूरे समय खुले। आंगनवाड़ी में बच्चों एवं आंगनवाड़ी और सहायिका का अनुपात निश्चित करना होगा। साथ ही इनके संचालन और निगरानी तंत्र को ज्यादा मजबूत बनाना होगा।

8. राशन की दुकानों में स्थानीय अनाजों जैसे कोदो, कुटकी, ज्वार, बाजरा, रागी, दालें, तेल आदि का समावेश करते हुए वितरण जिले की प्रकृति एवं वहां की जरूरत के अनुरूप तय करना चाहिए। आंगनवाड़ी में स्थानीय मांग एवं उपलब्धता, स्वीकृति के आधार पर पोषण आहार दिया जाना चाहिए। बैगा एवं चर्मकार दोनों ही समुदायों में अंडे की स्वीकार्यता है। आंगनवाड़ी में इनका प्रयोग बेहतर साबित हो सकता है।

9. नकद सहायता के बजाय सार्वजनिक वितरण प्रणाली को ज्यादा व्यापक एवं मजबूत बनाने की जरूरत है, ताकि लोगों को अनाज सहज सुलभ हो सके।

10. खेती के विकास के लिए स्थानीय अनाजों के उत्पादन को ज्यादा बढ़ावा दिया जाना चाहिए। स्थानीय मोटे अनाजों के उत्पादन के लिए किसानों को प्रेरित करने के साथ ही कुछ सब्सिडी दी जानी चाहिए।

11. पशुपालन खासतौर पर गाय, भैंस, सुअर, खरगोश, मुर्गी, मधुमक्खी आदि पालने के लिए नियमित पेंशन जैसी योजना बनानी चाहिए। बैगा एवं चर्मकार परिवारों को पशु पालन के लिए एक निश्चित राशि पेंशन की तरह प्रोत्साहन के रूप में दी जाना चाहिए, ताकि पशु पालन के लिए समुचित व्यवस्था हेतु धन की कमी न पड़े। उनके उत्पाद को समाज में योगदान के रूप में लिया जाना चाहिए।

12. स्थानीय स्तर पर खेती, पशुपालन, कुटीर उद्योगों आदि में पंचायत राज संस्थाओं की भूमिका बढ़ाना चाहिए। इनसे संबंधित योजनाओं के हितग्राहियों का चयन केवल ग्रामसभा द्वारा ही किया जाना चाहिए।

13. जंगल पर स्थानीय रहवासियों का व्यक्तिगत और सामुदायिक अधिकार सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

वनाधिकार अधिनियम के तहत जो अधिकार पत्र दिए जा रहे हैं। उसमें निवास के प्रमाण एवं जोती गई भूमि को लेकर कई तरह की खामियां सामने आईं हैं। इनका निराकरण शीघ्र किया जाना चाहिए।

14. पंचायत राज संस्थाएं एक शक्तिशाली निकाय हैं, लेकिन प्रतिनिधियों एवं गांव के लोगों को अपनी भूमिकाओं की पर्याप्त जानकारी नहीं होने से इनका संचालन काफी कमजोर है। इन संस्थाओं को अपने सभी कार्यों के साथ स्थानीय संस्थाओं आंगनवाड़ी, राशन की दुकान, योजनाओं के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी है, अतः इन निकायों को अपनी जिम्मेदारियों और अधिकारों को सही तरीके से समझना जरूरी है, जिससे वह स्वयं को स्कूल, आंगनवाड़ी, स्वास्थ्य केन्द्र पेयजल, पीडीएस, स्वच्छता के संदर्भ में अर्थपूर्ण नियोजन और देखरेख में रचनात्मक और सक्रिय भागीदारी दे पाएं।

15. लोगों की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए शिक्षा एवं अन्य संस्थाओं के जरिए सार्थक प्रयास की जरूरत है, ताकि वे आजीविका के अन्य स्त्रोत लोग तलाश सकें। जंगल से बाहर भी रोजगार के अन्य तरीकों पर भी विचार कर सकें।

16. स्थानीय स्तर पर आवश्यकताओं का ठीक से विश्लेषण करने की क्षमता नहीं होने के कारण विकास की योजना कमजोर और घटिया बन जाती है। यद्यपि जानकारियों का संकलन विकेंद्रित तरीके से होता है, लेकिन संबंधित लोगों का स्थानीय संस्थाओं के साथ जुड़ाव न होने की वजह से स्थानीय योजनाओं में उनकी भागीदारी सुनिश्चित नहीं हो पाती। वह भविष्य की तस्वीर नहीं देख पाते। जरूरत है कि स्थानीय योजनाएं लोगों के साथ मिलकर बनें और वह राज्य योजना में शामिल हों।

अध्याय 1

पृष्ठभूमि

सहस्राब्दी विकास लक्ष्य में बच्चों के विकास को मुख्य आधार माना गया है। किसी देश या प्रदेश के विकास के पैमाने में बच्चों के पोषण को महत्वपूर्ण संकेतक के रूप में देखा जाता है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बच्चों के विकास एवं पोषण की चर्चा बहुत संभलकर की जानी चाहिए। अब यह एक ज्वलंत राजनीतिक मुद्दा है। ''हमारे देश में बहुत कम लोग मानते हैं कि बच्चों का जीवन राजनीति द्वारा नियंत्रित होता है। ज्यादातर लोग बच्चों के बारे में सोचते समय परिवार की परिधि से बाहर नहीं जाते। लोग सोचते हैं कि बच्चों की देखभाल का काम केवल परिवार के जिम्मे है और सरकार की जिम्मेदारी विदेश नीति, आयात–निर्यात, मुद्रा नियंत्रण जैसे बड़े कामों की देखरेख करना है। इस तरह के कार्य विभाजन का भ्रम लोगों को इस समझ से वंचित करता है कि उनके बच्चे राजनीतिक नियंत्रण से उतने ही प्रभावित होते हैं जितना कि वे स्वयं।'' मध्यप्रदेश के गांवों, खासकर आदिवासी इलाकों में, आर्थिक और राजनीतिक शोषण के दायरे में बचपन के संकुचन को ठीक तरह से समझा जा सकता है। गरीबी ने बचपन का अर्थ ही बदलकर रख दिया है। आदिवासी समुदायों में बचपन भूख, बीमारी और कुपोषण द्वारा नष्ट कर दिया जाता है।

पिछले दो–तीन दशकों में कुपोषण दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य समस्या के रूप में उभरा है। खासकर 6 साल से कम उम्र के बच्चों में यह समस्या ज्यादा देखी जा रही है। मुख्य बात यह है कि कुपोषण हमेशा खाने की कमी का परिणाम नहीं जान पड़ता है। इसके कारणों में ज्यादातर बच्चों की देखभाल के बारे में अपर्याप्त जानकारी, निरक्षरता, स्वच्छता की कमी, आर्थिक एवं राजनीतिक कारण शामिल होते हैं। बच्चों खासकर कमजोर बच्चों में बार–बार डायरिया होने से कुपोषण ज्यादा खतरनाक रूप धारण कर लेता है और इसका अंत बच्चों की मौत के साथ ही होता है। जाहिर है कि बच्चों में कमजोर पोषण सबसे गंभीर स्वास्थ्य समस्या है। यह बच्चों की वृद्धि की संभावना को कम कर देता है और साथ ही कई बीमारियों के खतरों को बढ़ाने में सहायक बन जाता है।

मध्यप्रदेश के आदिवासी एवं दलित समुदायों में कुपोषण की गंभीर स्थितियां पिछले सालों में बनी हैं। कई अध्ययनों की रिपोर्ट में रेखांकित किया है कि प्रदेश के आदिवासी एवं दलित इलाकों में कुपोषण बच्चों की मृत्यु का सबसे बड़ा कारण बनकर उभरा है। प्रदेश में 60 प्रतिशत बच्चे कुपोषित हैं। ग्रामीण आबादी में फसल प्रतिरूप में बदलाव तो आया ही है, शहरी जनसंख्या में वृद्धि से दूध एवं विटामिन, प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ गांवों से छिनकर शहरों की ओर आने लगे हैं। प्रोटीन एवं विटामिन के स्रोत मोटे अनाज, दालें एवं वनोपज आदिवासी इलाकों से भी अब शहर की ओर जा रहे हैं। इन क्षेत्रों में कुपोषण से बचाव करने वाली आंगनवाड़ी योजना भी कमजोर है। साथ ही समुदाय को राशन की दुकान से भरपूर अनाज लेने में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता हैं।

कुपोषण के संदर्भ में उसके पीछे छिपे कारणों की हमेशा अनदेखी की जाती है। जिन नीतियों या अव्यवस्थाओं के कारण बच्चों में कुपोषण पनप रहा है, उनका विश्लेषण नहीं किया जाता है। आंगनवाड़ी या एनआरसी जैसी योजनाएं कुपोषण को दूर करने में सहायक नहीं हो पा रही हैं। यह समझने की जरूरत है कि कई योजनाओं के संचालन के बावजूद कुपोषण न केवल बना हुआ है बल्कि उसके फैलाव में बढ़ोतरी हो रही है।

बच्चों के कुपोषण का स्तर समझने के लिए क्षेत्रवार स्थिति को दर्शाने वाले अध्ययनों की कमी है। साथ ही विभिन्न समुदायों में कुपोषण के स्वरूप और इससे बचने के लिए स्थानीय व सामुदायिक तौर तरीकों पर अध्ययनों की कमी है। प्रस्तुत अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य आदिवासी एवं दलित समुदाय में कुपोषण एवं अपोषण के स्तर को व्यापक संदर्भ में समझना और इन समुदायों में बच्चों को कुपोषण से मुक्त रखने के लिए पारंपरिक व्यवस्था को जानना है।

अध्याय 2

अध्ययन विधि

अध्ययन क्षेत्र

प्रस्तुत अध्ययन प्रदेश के दो जिलों हरदा एवं डिंडोरी में कुपोषण भोग रहे समुदायों में किया गया है। प्रदेश के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में कुपोषण एवं खाद्य असुरक्षा की स्थिति ज्यादा गंभीर है और कुपोषण से होने वाली मौतों की दर अपेक्षाकृत अधिक है।

मध्यप्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित आदिवासी बहुल जिला है। यह 1998 में मंडला जिले से अलग होकर नया जिला बना। जिले में मैकल पहाड़ियों व सघन वनों का फैलाव है। यहां की बैगा जनजाति को 'राष्ट्रीय मानव' के रूप में जाना जाता है। खेती योग्य जमीन की कमी के कारण जिले में पिछड़ापन अधिक है। यहां का आदिवासी समुदाय वनों पर आश्रित रहा है, पर वनों के राष्ट्रीयकरण व कटाव के बाद उनकी आजीविका पर विपरीत असर पड़ा है। अब उन्हें आजीविका के लिए पलायन करना पड़ता है। डिंडोरी जिले के ग्राम पोंडी का गहन अध्ययन किया गया है।

अध्ययन क्षेत्र का दूसरा जिला हरदा, एक नया जिला है जो पहले होशंगाबाद जिले का भाग था। 1998 में हरदा तहसील को एक नया जिला बनाया गया। यह होशंगाबाद जिला मुख्यालय से लगभग 150 किमी दूर है, इस वजह से यहां विकास योजनाओं की प्रशासनिक निगरानी एवं उसका सुचारू संचालन नहीं हो पाता था। जिले का कुछ हिस्सा मैदानी है और उपजाऊ जमीन के कारण गेहूं एवं सोयाबीन, चना आदि की पैदावार अच्छी होती है। वहीं दूसरी ओर जिले का दक्षिणी भाग पहाड़ी और असमतल भू–भाग वाला है। यहां प्राचीन पहाड़ियों, नदियों एवं नालों के कटाव व मिट्टी के जमाव से छोटे–छोटे हिस्सों में खेती की जमीन पाई जाती है। अध्ययन के लिए हरदा जिले से ग्राम चारूवा का चयन किया गया है।

उद्देश्य

- बैगा आदिवासी एवं चर्मकार दलित समुदाय में कुपोषण के बढ़ते दायरे के कारणों की पहचान एवं विश्लेषण।
- प्रतिदर्श सर्वेक्षण द्वारा कुपोषण के स्तर की जांच करना
- कुपोषण के प्रति समुदाय के नजरिए को समझना।

सेम्पलिंग

प्रस्तुत अध्ययन के लिए मध्यप्रदेश के हरदा एवं डिंडोरी जिलों का चयन सोद्देश्य किया गया है। हरदा जिले का चयन चर्मकार समुदाय के बच्चों की पोषण स्थिति का विश्लेषण करने और डिंडोरी जिले का चयन बैगा आदिवासी क्षेत्र का मूल स्थान होने की वजह से किया गया है। इन दोनों समुदायों से 50 से 60 बच्चों का चयन अध्ययन के लिए किया गया। गांवों एवं इन परिवारों का चयन 6 साल से कम उम्र के बच्चों की संख्या को ध्यान में रखते हुए किया गया। डिंडोरी में पोंडी में 50 से अधिक बच्चे एक ही गांव में मौजूद थे जबकि चर्मकार समुदाय के बच्चों की संख्या एक गांव में प्रायः कम मिलती है। इस कारण चारूवा के आसपास के अन्य गांवों बाफला, मांडला, हिवाला, सिराली आदि को चुना गया। अध्ययन में इन 50 बच्चों के परिवारों को भी शामिल किया गया।

आंकड़ों को जमा करने का तरीका

प्रस्तुत अध्ययन में जानकारी जमा करने के लिए अलग–अलग तरीकों का उपयोग किया गया है, जो कि निम्न हैं –

- बच्चों की माप –(उम्र के अनुसार वजन,ऊंचाई एवं ऊपरी मध्य बांह की परिधि)
- समूह चर्चा
- गहन साक्षात्कार
- नजरिया एकत्रीकरण
- केस स्टडी
- द्वितीयक आंकड़ों (जिले एवं गांवों की जानकारी, आंचलिक खबरों का विश्लेषण) को एकत्र करना

बच्चों की स्थिति की माप सर्वे :अध्ययन के तहत बच्चों के वर्तमान पोषण स्तर को समझने का प्रयास किया गया है। अध्ययनित समुदायों के 50–60 बच्चों का वजन, उंचाई, ऊपरी मध्य बांह की परिधि की माप की गई है। इन बच्चों का माप–तौल आंगनवाड़ी केन्द्र में एवं उनके घरों में जाकर किया गया। इस कार्य के लिए पहले समुदाय के साथ समूह चर्चा कर अध्ययन के मकसद को साझा किया गया। इसके बाद जो बच्चे आंगनवाड़ी में उपस्थित थे, उनकी माप उनके पालकों की मौजूदगी में वहीं की गई और बाद में छूट गए बच्चों की माप उनके घरों पर जाकर की गई।

इस माप के आधार पर आए नतीजों को डब्ल्यूएचओ एवं आईसीएमआर द्वारा ग्रोथ निगरानी के लिए निर्धारित आयु के अनुसार वजन एवं उंचाई से वर्गीकृत किया गया। साथ ही उंचाई की माप को एनएनएमबी सर्वे 2002 के अनुसार मध्यप्रदेश के मध्यमान से भी तुलना की गई।

समूह चर्चा : पोषण एवं बच्चों की सेहत पर बैगा एवं चर्मकार समुदाय के दृष्टिकोण एवं विचारों, सोच व मूल्यों को समझने के लिए समूह चर्चाएं आयोजित की गईं। दोनों गांवों में दो समूह चर्चाएं की गईं, जिसमें कुल 38 लोग शामिल हुए। इनमें18 महिलाएं थीं। शोधकर्ता ने प्रयास किया कि चर्चा में शामिल महिलाओं एवं पुरुषों के विचार सामने आ सकें।

गहन साक्षात्कार : प्रस्तुत अध्ययन में गहन साक्षात्कार के माध्यम से 50 बच्चों के परिवारों से बच्चों के खानपान का स्तर और उनकी पोषण स्थिति को समझा गया। जानकारी जमा करने के लिए ओपेन एंडेड प्रश्न एवं सेमी स्ट्रक्चर्ड फारमेट का इस्तेमाल किया गया। शोधकर्ता द्वारा बैगा एवं चर्मकार समुदाय के घर जाकर सहज माहौल में कुछ प्रश्नों और चर्चा के माध्यम से जानकारी जमा की गई। कुछ बच्चों के खास प्रकरणों की केस स्टोरी तैयार की गई।

नजरिया एकत्रीकरण : इस अध्ययन में लोगों के विचारों एवं नजरिए को समझने के लिए उनसे चर्चा की गई। उनके द्वारा कही गई बातों को लिखा गया है। इसके लिए गांव के अलग–अलग जाति वर्गों के बुजुर्गों से चर्चा की गई। साथ ही इन गांवों में काम कर रही स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों से चर्चा कर बच्चों की पोषण स्थिति एवं समुदायों के स्थानीय तौर तरीकों को समझा गया।

केस स्टडी : अध्ययनित दोनों समुदायों में कुपोषण से संबंधित कुछ प्रकरणों को समझने का प्रयास किया गया, ताकि यह जाना जा सके कि इन समुदायों में कुपोषण के कारण क्या हैं और इन प्रकरणों में किस तरह की सीख निकलकर आ रही है। इससे कुपोषण के प्रति समुदायों के नजरिए एवं उनके सामने आ रही चुनौतियों को समझने में मदद मिली।

द्वितीयक आंकड़ों का विश्लेषण : प्रस्तुत अध्ययन के तहत गांव स्तर की मुख्य जानकारी खासतौर पर जनसांख्यिकीय आंकड़े एवं आंगनवाड़ी की सूचनाएं एकत्र की गईं।

अध्याय 3

बैगा समुदाय में कुपोषण की स्थिति : अध्ययनित गांव पोंडी का विश्लेषण

परिचय एवं भौतिक स्थिति

ग्राम पोंडी डिंडोरी जिले के समनापुर ब्लाक मुख्यालय से 25 किमी. दूर स्थित है। यह बैगा चक क्षेत्र का मुख्य गांव है जो किंवाड़ ग्राम पंचायत में शामिल है। यह गांव बैगा चक क्षेत्र के उत्तरी–पश्चिमी छोर पर बुढ़नेर की सहायक नदी संजारी के किनारे स्थित है। गांव तीन ओर से जंगल से घिरा हुआ है और दक्षिणी भाग में जंगल की सघनता बढ़ती गई है जबकि, उत्तरी भाग में जंगल कम पाए जाते हैं। गांव पहाड़ियों की गोद में बसा हुआ है जहां जमीन ऊंची–नीची और पथरीली है। गांव की बसाहट इसी ऊंची–नीची जमीन पर बिखरी हुई है। गांव के चारों ओर घने जंगलों एवं पहाड़ियों का विस्तार है। पोंडी गांव पोंडिया नाम के एक बैगा व्यक्ति ने बसाया था, जिसकी वर्तमान में पांचवीं पीढ़ी चल रही है। इसी बैगा के नाम पर गांव का नाम पोंडी रखा गया।

सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति

पोंडी गांव में कुल 105 परिवार हैं, जिसमें से 103 परिवार बैगा समुदाय से हैं जबकि 1 परिवार पनिका एवं एक यादव समुदाय का है। गांव की कुल जनसंख्या 504 है, जिसमें 247 महिलाएं एवं 257 पुरुष हैं यानी लिंगानुपात 961 है जो कि मध्यप्रदेश एवं राष्ट्रीय औसत से अधिक है। यह आकलन आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के सर्वेक्षण पर आधारित है।

पोंड़ी गांव में बैगा जीवन का मुख्य आधार खेती है जो जंगलों एवं पहाड़ियों के बीच कुछ ढलानों और निचले हिस्सों पर की जाती है। गांव में बैगा समुदाय के लोग पहाड़ियों पर लटकते हुए खेतों में बेवर खेती करते आ रहे हैं। हालांकि, अब बेवर खेती का चलन बंद हो गया है। अब खेतों को निश्चित समय तक खाली रखना संभव नहीं है। इनकी फसलों में मुख्य रूप से धान, कोदो, कुटकी, मक्का, अरहर, ज्वार, गेहूं, चना, मसूर, रमतीला आदि शामिल हैं। यह खेती केवल बैगा परिवारों के लिए अनाज पूर्ति का साधन ही नहीं है बल्कि बैगा संस्कृति भी है। इन फसलों के साथ ही बैगा समुदाय के त्योहारों, उत्सवों की एक परम्परा भी जुड़ी हुई है। विभिन्न फसलों की उपज को रखने के खास तौर तरीके भी अपनाए जाते हैं। अध्ययनित परिवारों में खेती की जमीन प्रायः कम ही है पर इस जमीन से परिवारों को 4 से 6 माह एवं कुछ परिवारों को 6 से 8 माह तक की जीविका चल जाती है। बड़ी संख्या में गाय, बैल, सुअर आदि पालने वाले बैगा परिवारों में अब पशुधन बहुत कम हो गया है।

तालिका क्रमांक 1
ग्राम पोंडी में अध्ययनित परिवारों में जमीन एवं पशुधन का वितरण

सिंचित जमीन	20 एकड़
असिंचित जमीन	380 एकड
कुल जमीन	400 एकड़
प्रति परिवार कुल जमीन (औसत)	4 एकड़
प्रति परिवार गाय संख्या	0.8
बैलों की संख्या	1.5
प्रति परिवार सुअर संख्या	0.5

उपरोक्त तालिका से जाहिर है कि पोंडी गांव में बैगा समुदाय के परिवारों में खेती योग्य जमीन की बेहद कमी है। औसतन एक परिवार के पास केवल 4 एकड़ जमीन है। चूंकि जमीन ऊंची–नीची एवं पथरीली है, अतः कम जमीन सालभर अनाज और अन्य खाद्य जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। गांव में प्रति परिवार सदस्यों की संख्या औसतन 5 है। इस संख्या के मान से 4 एकड़ जमीन में होने वाला उत्पादन खाद्य जरूरतों को पूरा नहीं करता। गायों एवं बैलों की संख्या से साफ है कि पशुपालन अब लोगों की आजीविका का सहारा नहीं है।

खेती की जमीन की कमी एवं लोगों की खाद्य जरूरतों के बीच अंतर बढ़ने के कारण ज्यादा उत्पादन लेने की लालसा अब किसानों में बढ़ी है और इस लालसा के कारण खेती का प्रतिरूप और फसल संयोजन का स्वरूप भी बदला है। अब किसान ज्यादा

उपज वाली फसलों का उत्पादन करना चाहते हैं। पिछले 10–20 सालों में गांव में फसल के स्वरूप को देखें तो समझ में आता है कि लोगों ने पारंपरिक फसलों के स्थान पर ऐसी नई फसलों को उपजाना शुरू कर दिया है जो स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप नहीं हैं।

पशुधन

लोगों के लिए आजीविका का साधन बन सकने वाला पशुपालन अब कम संख्या के कारण केवल खेती की जरूरतों को पूरा कर पाता है। हर परिवार में अब गायें नहीं हैं और बैल भी जरूरत से कम हैं। पोंडी के सभी परिवारों के पास खेती की जमीन है। इस दृष्टि से देखें तो हर परिवार के पास बैल जोड़ी होनी चाहिए और कुल 210 बैल होने चाहिए जबकि, एक आकलन के अनुसार गांव में बैलों की संख्या 150 से अधिक नहीं है।

खाद्यान्न उत्पादन

तालिका क्रमांक 1 से स्पष्ट है कि 10 साल पहले पोंडी के बैगा समुदाय की मुख्य फसल कोदो, कुटकी, मक्का और रमतीला तथा राई आदि फसलें थीं जबकि, वर्तमान में मुख्य फसल के रूप में अब धान, मक्का, कोदो, कुटकी के अलावा गेहूं, चना, मसूर आदि फसलें उगाई जाने लगी हैं। जाहिर है कि फसल प्रतिरूप में उल्लेखनीय बदलाव आए हैं। कुल 400 एकड़ की खेती की जमीन में सबसे अधिक कमी कोदो एवं कुटकी के फसल क्षेत्र में आई है। कोदो में 100 एकड़ एवं कुटकी में लगभग 85 एकड़ की कमी आई है। तिल, रमतीला और ज्वार के क्षेत्र में भी कमी आईहै। गेहूं के क्षेत्र में 40 एकड़ की वृद्धि हुई है जबकि, धान के क्षेत्र में 125 एकड़ की वृद्धि हुई है। इसके अलावा मटर, चना, मसूर, अलसी, उड़द आदि फसलों के क्षेत्रों में भी बढ़ोतरी हुई है। फसलों के क्षेत्र में कमी और बढ़ोतरी के इस चलन से साफ तौर पर जाहिर होता है कि बैगा समुदाय की पारंपरिक फसलों में कमी हो रही है जबकि, आसानी से प्रोसेस होने वाली फसलें बढ़ रही हैं। इस समुदाय में मेहनत से खाद्य जुटाने की पारंपरिक व्यवस्था भी अब टूट रही है।

तालिका क्रमांक 2
गांव पोंडी में मुख्य फसलों के प्रतिरूप में बदलाव

क्र.	फसल का नाम	वर्तमान क्षेत्रफल एकड़ में	10 साल पहले का क्षेत्रफल एकड़ में	कमी या बढ़ोतरी	कारण
1	धान	140	25	+115	शासकीय नीति एवं संस्थागत प्रयास
2	मक्का	25	30	–5	प्रोसेसिंग का न होना
3	कोदो	40	140	–100	जलवायु परिवर्तन एवं धान को बढ़ावा
4	कुटकी	40	125	–85	जलवायु परिवर्तन एवं धान को बढ़ावा
5	ज्वार	0	8	–8	जलवायु परिवर्तन एवं धान को बढ़ावा
6	रमतीला	5	15	–10	जलवायु परिवर्तन एवं धान को बढ़ावा
7	उड़द	6	0	+6	संस्थागत प्रयास
8	तिल	6	12	–6	धान को बढ़ावा
9	कंद	6	0	+6	जंगल में कंद का खत्म होना
10	अरहर	10	20	–10	धान को बढ़ावा
11	गेहूं	40	0	+40	शासकीय नीति एवं संस्थागत प्रयास
12	मटर	20	8	+12	सिंचाई के साधन न होना एवं खेत सुधार
13	अलसी	10	4	+6	सिंचाई के साधन न होना एवं खेत सुधार
14	मसूर	15	4	+11	सिंचाई के साधन न होना एवं खेत सुधार
15	चना	10	4	+6	शासकीय नीति एवं संस्थागत प्रयास
16	राई	25	25	0	
	कुल	400	400	0	

फसलों में उपरोक्त वृद्धि शासकीय नीतियों एवं स्थानीय स्तर पर काम कर रही निवसिड के प्रयासों का नतीजा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत धान एवं गेहूं की फसल के साथ ही चना और दलहन फसलों को बढ़ावा देने के लिए खास प्रयास किये जा रहा है। इसके अलावा फसल प्रतिरूप में बदलाव का एक और मुख्य कारण यह है कि वर्षाकाल में अनियमितता एवं कमी होना। कोदो, कुटकी, रमतीला आदि फसलें इसी कारण से खत्म हो रही हैं। साथ ही इन फसलों की प्रोसेसिंग कठिन होने के कारण लोगों का रुझान अब इसकी बोवनी में कम होता जा रहा है।

मजदूरी

खेती के अलावा पोंडी के बैगा समुदायों में जीविका के अन्य साधन नहीं हैं। खेती के अलावा मजदूरी ही एकमात्र सहारा है जबकि, मजदूरी गांव में नियमित रूप से नहीं मिल पाती है। पिछले वित्तीय वर्ष 2011–2012 एवं 2012–2013 में पोंडी में ग्राम पंचायत द्वारा महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत करवाए गए काम का विवरण निम्न है –

तालिका क्रमांक 3 से स्पष्ट है कि पोंडी में मनरेगा के तहत लोगों को पर्याप्त काम नहीं मिल रहा है। पिछले वित्तीय वर्ष 2011–12 में केवल 89 मजदूरों को औसतन 29 दिवस का ही कार्य मिला। पोंडी में कुल लगभग 361 मजदूर हैं। इस दृष्टि से केवल 25 प्रतिशत लोगों को ही काम दिया गया। वर्ष 2012–13 में ग्राम पंचायत ने किसी को भी काम नहीं दिया गया। पंचायत द्वारा काम की मांग करने वालों का ब्यौरा ठीक तरह से प्रदर्शित नहीं किया जाता है। पंचायत सचिव उन्हीं लोगों के नाम रजिस्टर में दर्ज कर लेते हैं, जिन्हें काम उपलब्ध कराते हैं। इस कारण काम की मांग करने वाले लोगों की सही संख्या पता नहीं चलती।

पोंडी के 23 परिवारों से प्राप्त जानकारी के अनुसार सभी के पास जॉब कार्ड था और काम की मांग की गई थी। 23 परिवारों में से 57 प्रतिशत परिवारों को ही काम मिला और इन परिवारों में से किसी को भी समय से मजदूरी नहीं प्राप्त हुई। 3–4 माह बाद मजदूरी मिली। मनरेगा के अलावा वन विभाग ने गांव में काम कराया, जिसमें 15 लोगों को लगभग 10 से 15 दिन का काम मिला। मजदूरी के अलावा वनोपज एकत्र करना ग्राम पोंडी के बैगा समुदाय में एक परम्परागत जीविका का साधन रहा है। वन विभाग के नियंत्रण के बावजूद बैगा सदस्य वनों में जाते हैं और निस्तार की चीजों के साथ ही कुछ वनोपज संग्रहण भी करते है। जंगल से तेंदूपत्ता, हर्रा, बायविडंग, मूसली, चार, झाड़ू, लकड़ी आदि एकत्र कर उसे स्थानीय बाजार में बेचा जाता है। इससे एक परिवार को सालाना औसतन 2 से 3 हजार की आमदनी हो जाती है। घटते जंगल के कारण अब वनोपज एकत्र करने में कठिनाई, ज्यादा मेहनत और समय व्यय होता है जिसकी

तालिका क्रमांक 3
मनरेगा के तहत ग्राम पोंडी में काम का विवरण

2011–2012	कुल मानव दिवस काम सृजित हुआ	2599
	कुल मजदूरों की संख्या जिन्हें काम मिला	89
	प्रति मजदूर औसत कार्यदिवस	29
	कुल मजदूरी	307751.6
	प्रति मजदूर औसत मजदूरी प्रति कार्यदिवस	118
2012–2013 सितम्बर 2012 तक	कुल मानव दिवस काम सृजित हुआ	0
	कुल मजदूरों की संख्या जिन्हें काम मिला	0
	प्रति मजदूर औसत कार्यदिवस	0
	कुल मजदूरी	0
	प्रति मजदूर औसत मजदूरी प्रति कार्यदिवस	0

तुलना में परिवारों को कम लाभ प्राप्त होता है। बैगा परिवार के लोगों का कहना है कि हमारे पास आजीविका के दूसरे विकल्प नहीं है इस वजह से खाली समय में वनोपज एकत्र करना हमारे लिए मजबूरी है।

अध्ययनित परिवारों में कुल कार्यशील जनसंख्या का ज्यादातर भाग इन्हीं तीन कामों में संलग्न है। परंपरागत व्यवसाय अब खत्म हो गये हैं। ज्यादातर लोगों का कहना था कि जंगल अधिकार कम होने या खत्म होने से बैगा समुदाय की जीविका खतरे में पड़ गई है। अब लोगों की अपनी जीविका जुटाने के लिए बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।

उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि पोंडी गांव में जीविका के साधन बहुत सीमित हैं और परिवारों की सालाना आमदनी बहुत कम है। औसतन एक परिवार को खेती से 5 से 10 हजार रुपए मजदूरी से 2 से 3 हजार रूपए एवं वनोपज से कुल 3 हजार रुपए की आमदनी होती है। इसके अलावा कुछ परिवारों को पशुपालन एवं मुर्गी पालन से भी 2 से 3 हजार रुपए की आय होती है। गांव में केवल 10 प्रतिशत परिवारों को ही 20 हजार रुपए से अधिक आय हो पाती है। कम आमदनी का असर बैगा समुदाय के जीवनयापन के तरीकों एवं पारिवारिक साधनों एवं सुविधाओं पर देखा जा सकता है। अधिकांश बैगा परिवार कच्चे और कई परिवार वर्षात में सीलन वाले घरों में रहते हैं जिसमें केवल एक कमरा होता है। इसी एक कमरे में पूरा परिवार एक साथ रहता है। बैगा समुदाय में एकल परिवार की संकल्पना प्रभावी है। जैसे ही वयस्क बेटे का विवाह होता है वह अपना नया घर बना लेता है। घरों में रसोई के लिए अलग से जगह नहीं होती। रसोई उसी कमरे में या बरामदे में होती है।

ग्राम पोंडी में किसी भी परिवार में बिजली का कनेक्शन नहीं है। अभी गांव में बिजली पहुंची ही नहीं है। किसी भी परिवार के पास मोटर साइकिल या साइकिल नहीं है और न ही कोई अन्य वाहन देखा गया। गांव में 5 हैंडपंप और 8 कुंए हैं जिसमें से 2 कुंए सूखे हैं जबकि 5 कुंओं में साल भर पानी रहता है एवं 3 कुंओं में गर्मियों के 2 माह पानी सूख जाता है। ज्यादातर परिवार कुंओं से पीने का पानी इस्तेमाल करते है जबकि, किसी भी परिवार के पास पीने के पानी का खुद का साधन नहीं है।

शिक्षा का स्तर

ग्राम पोंडी में शिक्षा का स्तर कमजोर है। गांव में 5 वीं तक स्कूल है और एक ही शिक्षक मौजूद रहता है। स्कूल में मध्याह्न भोजन पिछले 3 माह से बंद था। सर्वेक्षित परिवारों में शिक्षा की स्थिति को तालिका 4 में दर्शाया गया है ।

तालिका 4 से स्पष्ट है कि 84 में से 44 यानि 52.4 प्रतिशत लोग अनपढ़ हैं जबकि, केवल एक व्यक्ति ही 12वीं तक पास है। महिलाएं, पुरुषों की अपेक्षा दुगने से भी ज्यादा अनपढ़ हैं। पांचवीं पास महिलाओं का प्रतिशत भी बहुत कम है। आठवीं एवं 12वीं पास महिलाओं की संख्या नगण्य है। एक आकलन के अनुसार 30 साल से उपर के आयुवर्ग में 5वीं पास लोग लगभग नहीं हैं। ज्यादातर पांचवीं आठवीं पास 15 साल से कम उम्र वर्ग के हैं।

महिलाओं की स्थिति

पोंडी गांव में महिलाओं की स्थिति बाकी गैर आदिवासी समुदायों की तुलना में अच्छी कही जा सकती है। गांव में लोगों से चर्चा के

तालिका क्रमांक 4
पोंडी गांव में शिक्षा की स्थिति

शिक्षा का स्तर	पुरुष		महिला		कुल	
	संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%
अनपढ़	12	28.6	32	76.2	44	52.4
पांचवीं	27	64.3	10	23.8	37	44.0
आठवीं	2	4.8		0.0	2	2.4
12वीं	1	2.4		0.0	1	1.2
कुल	42	100.0	42	100.0	84	100.0

अनुसार महिलाओं को परिवार के आर्थिक एवं राजनैतिक फैसलों में पूरी तरह से आजादी नहीं है जाति पंचायत में भी महिलाएं भागीदार नहीं होतीं। इसके बावजूद महिलाओं के जीवन पर सामाजिक बंधन कम दिखाई देते हैं। महिला एवं पुरुष की सहभागिता अनेक स्तरों पर बराबरीपूर्ण होती है। महिलाओं पर अत्याचार के मामले प्रायः नहीं देखे जाते और न ही विवाह विच्छेद की घटनाएं देखी जाती है। परित्यक्त एवं विधवा महिलाओं का पुनः विवाह करने की स्वीकार्यता है।

स्वास्थ्य की स्थिति

पोंडी गांव में लोगों से बातचीत से पता चला कि गांव में मलेरिया, उल्टी–दस्त, पेट दर्द, खुजली, कमजोरी खून की कमी जैसी स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं। कुछ लोग टीबी जैसे गंभीर रोग से भी पीड़ित हैं। गांव में स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता बहुत कमजोर है। एएनएम और बहु–उद्देश्यीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता का गांव में नियमित आना नहीं होता है। लोगों ने बताया कि किसी–किसी महीने में एएनएम टीकाकरण के लिए आंगनवाड़ी तक आती है। उप स्वास्थ्य केन्द्र गांव से लगभग 8 किमी दूर है। यहां से 9 किमी. दूर कन्हारी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है, पर वहां डॉक्टर प्रायः कम ही मिलते हैं। अस्पताल 25 किमी दूर समनापुर में ही उपलब्ध है। इस कठिनाई के कारण अभी भी बड़ी संख्या में गांव के लोग पारंपरिक गुनिया एवं पंडा के भरोसे इलाज पर निर्भर हैं या स्थानीय झोला छाप डॉक्टर से दवाई लेते हैं। पोंडी में काम कर रही निवसिड संस्था द्वारा भी स्थानीय पैरामेडिकल वर्कर के जरिये दवा का वितरण किया जाता है। 6 साल से कम उम्र के कुल 60 बच्चों में अध्ययन के दौरान देखा गया कि 3 में 4 बच्चे डायरिया एवं 20 बच्चे बुखार एवं निमोनिया के शिकार हुए। इनमें से इलाज के लिए केवल 73 प्रतिशत प्रतिशत बच्चे अस्पताल ले जाए गए जबकि, 27 प्रतिशत पारंपरिक इलाज पर ही निर्भर थे। बच्चों में कुपोषण एवं स्वच्छता कम होने के कारण डायरिया होने का खतरा अधिक है।

छोटे बच्चों में स्वच्छता की आदतें स्वास्थ्य के लिए जोखिम को बढ़ा देती हैं। बच्चे बिना देखभाल के गलियों में खेलते देखे जा सकते हैं। लोगों से चर्चा के आधार पर पता चला कि 3 साल से ऊपर उम्र वर्ग के लगभग 90 प्रतिशत बच्चे भोजन करने के पहले हाथ नहीं धोते। शौच के बाद भी 82 प्रतिशत से अधिक मामलों में बच्चों का हाथ नहीं धुलवाया जाता।

पोषण का स्तर

ग्रामवासियों ने बताया कि पोंडी पोषण के मामले में पारंपरिक रूप से समृद्ध रहा है। पोषण की मजबूत स्थिति लोगों की खाद्य सुरक्षा और विविधता की वजह से थी। बच्चे, महिलाएं और पुरुष सभी पोषित जिंदगी जीते थे और पूरे जीवन भर निरोगी रहते थे। आज पोंडी में बच्चों के पोषण की स्थिति के आधार पर वहां की सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। बच्चों में कुपोषण साफ तौर पर दिखाई देता हैं। खाद्य सुरक्षा और विविधता दोनों पर ही संकट आने से बैगा समुदाय को असंतुलित भोजन और कुपोषण का सामना करना पड़ रहा है। अब बैगा समुदाय के न केवल बच्चों बल्कि वयस्कों में भी सामान्य अवलोकन के दौरान कमजोरी, कमर दर्द, शरीर में दर्द जैसे कुपोषण के लक्षण देखे जा सकते हैं।

तालिका क्रमांक 5
ग्राम पोंडी में पोषण का स्तर वजन एवं ऊंचाई के आधार पर

पोषण स्तर	बालक		बालिका		कुल	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
अति कम वजन	9	34.6	10	29.4	19	31.7
कम वजन	7	26.9	15	44.1	22	36.7
सामान्य पोषण	10	38.5	9	26.5	19	31.7
कुल	26	100.0	34	100.0	60	100.0
कम उंचाई भारतीय औसत के अनुसार	22	84.6	30	88.2	52	86.6
कम उंचाई म.प्र. मध्यमान के अनुसार	11	42.3	10	29.4	21	35.0

तालिका क्रमांक 6
आयुवर्ग के अनुसार पोषण का स्तर वजन एवं ऊंचाई के आधार पर

आयुवर्ग	अति कम वजन				कम वजन				सामान्य				कुल	
	बालक		बालिका		बालक		बालिका		बालक		बालिका			
	सं.	%	सं.	%	सं.	%	सं.	%	सं.	%	सं.	%	सं.	%
0–6 माह	1	11.1	1	10.0		0.0	1	6.7	1	10.0	2	22.2	6	10.0
7–12 माह	2	22.2		0.0	1	14.3	2	13.3	1	10.0		0.0	6	10.0
13 – 24	1	11.1	2	20.0		0.0	1	6.7	4	40.0	1	11.1	9	15.0
25 – 36 माह		0.0	2	20.0		0.0	1	6.7	2	20.0	2	22.2	7	11.7
37 – 48 माह	1	11.1	3	30.0	4	57.1	4	26.7	2	20.0	1	11.1	15	25.0
49 – 60 माह	3	33.3		0.0	2	28.6	5	33.3		0.0	1	11.1	11	18.3
61 – 72 माह	1	11.1	2	20.0		0.0	1	6.7		0.0	2	22.2	6	10.0
कुल	9	100.0	10	100.0	7	100.0	15	100.0	10	100.0	9	100.0	60	100.0

तालिका क्रमांक 7
मध्य ऊपरी बांह की परिधि के अनुसार पोषण का स्तर

मध्य ऊपरी बांह की परिधि (सेमी में)	बालक		बालिका		कुल	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
गंभीर कुपोषण 11.5 सेमी एवं कम	6	23.1	6	17.6	12	20.0
कुपोषण 11.6 से 12.5 सेमी	5	19.2	15	44.1	20	33.3
सामान्य पोषण 12.5 से अधिक	15	57.7	13	38.2	28	46.7
कुल	26	100.0	34	100.0	60	100.0

कुपोषण

इस अध्ययन में हमने 6 साल से कम उम्र के बच्चों में कुपोषण को समझने का प्रयास किया है। पोंडी गांव के कुल 36 परिवारों के 60 बच्चों का वजन, उंचाई और ऊपरी मध्य बांह की परिधि के जरिए कुपोषण के स्तर को जाना गया। इसका विवरण निम्न है –

उपरोक्त तालिका से साफ पता चलता है कि ग्राम पोंडी में कुपोषण का स्तर गंभीर स्थिति में है। कुल 68.4 प्रतिशत बच्चे कम वजन का शिकार हैं जिसमें लगभग आधे यानी 31.7 प्रतिशत बच्चे अति कम वजन की श्रेणी में हैं। इस श्रेणी में बालकों का प्रतिशत बालिकाओं से अधिक यानी 34.6 है जबकि बालिकाओं का प्रतिशत 29.4 है, जबकि कम वजन की श्रेणी में बालिकाओं की संख्या बालकों की अपेक्षा अधिक है। बालकों के 26.9 प्रतिशत की तुलना में बालिकाएं44.1 प्रतिशत कम वजन की हैं। सामान्य पोषण की श्रेणी में भी बालिकाओं की संख्या अधिक है। आमतौर पर 3 साल से कम उम्र के बच्चों में कुपोषण के मामले अधिक देखें जाते हैं पर बैगा समुदाय में 3 से 6 साल की उम्र में कुपोषण अधिक है।

कम उंचाई यानी बौनेपन का आंकड़ा देखें तो कुल 35 प्रतिशत बच्चे अपनी आयु के अनुसार छोटे कद के हैं। बालक अधिक छोटे है जबकि बालिकाएं अपेक्षाकृत कम छोटी हैं। बौनेपन की तुलना यदि राष्ट्रीय औसत से करें तो 86.6 प्रतिशत बच्चे कम उंचाई के हैं जिसमें 84.6 प्रतिशत बालक और 82.2 प्रतिशत बालिकाएं हैं।

ऊपरी मध्य बांह की परिधि के आधार पर कुल 43.3 प्रतिशत बच्चे कुपोषण के शिकार हैं, जबकि 20 प्रतिशत गंभीर कुपोषण की श्रेणी में हैं। इस आधार पर भी बालिकाओं की तुलना में बालकों में गंभीर कुपोषण के मामले अधिक है जबकि, कुपोषण के मामले में बालिकाओं का प्रतिशत बालकों से दुगने से भी अधिक है।

तालिका क्रमांक 8
आंगनवाड़ी में दर्ज बच्चे एवं उनका पोषण स्तर

आयु समूह	बालक	बालिका	कुल	बालक (कुपोषण ग्रेड)						बालिका (कुपोषण ग्रेड)					
				सामान्य		कम वजन		अति कम वजन		सामान्य		कम वजन		अति कम वजन	
				सं.	%	सं.	%	सं.	%	सं.	%	सं.	%	सं.	%
0–3	22	28	50	20	90.9	1	4.5	1	4.5	27	96.4	1	3.6	0	0.0
3–6	23	23	46	14	60.9	9	39.1	0	0.0	10	43.5	13	56.5	0	0.0
कुल	45	51	96	34	75.6	10	22.2	1	2.2	37	72.5	14	27.5	0	0.0

ग्राम पोंडी में 60 बच्चों की माप के बाद कुपोषण की जो तस्वीर उभरी है वह बेहद गंभीर है पर इसके बावजूद आंगनवाड़ी का संचालन कमजोर दिखाई देता है। दरअसल, आंगनवाड़ी केन्द्र को पता ही नहीं है कि स्थिति गंभीर है। आंगनवाड़ी के रिकार्ड में बहुत कम बच्चे ही कुपोषण के शिकार हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा नियमित रूप से बच्चों को वजन हीं नहीं लिया जाता है जबकि, 3 साल से कम उम्र के बच्चों का हर माह और 3 से 6 साल की उम्र के बच्चों का हर तीन माह में वजन लेना जरूरी है।

आंगनवाड़ी से प्राप्त जानकारी के अनुसार कुल 25 बच्चे यानी 25 प्रतिशत बच्चे कुपोषित हैं जिसमें 10 बालक एवं 14 बालिका हैं। यानी 25 प्रतिशत बालक एवं 27 प्रतिशत बालिकाएं कुपोषित हैं। केवल एक बच्चा गंभीर रूप से कुपोषित है। यहां उल्लेखनीय बात यह है कि पोंडी ग्राम में 60 बच्चों की माप के अनुसार कम वजन के बच्चों की संख्या 41 यानि 68.4 प्रतिशत है जबकि अति कम वजन के बच्चों की संख्या 31.7 है। आंगनवाड़ी द्वारा किए गए वजन एवं अध्ययनकर्ता द्वारा किए गए वजन में बड़ा अंतर निकलकर आ रहा है। यह अंतर बहुत अधिक है और आंगनवाड़ी की पूरी कार्यप्रणाली और ग्रोथ मानीटरिंग सिस्टम पर प्रश्नचिन्ह खड़े करता है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा नियमित रूप से बच्चों की वजन निगरानी नहीं की जाती।

बच्चों की देखभाल एवं मां के अनुभव

कुपोषण होने का एक बड़ा कारण मां के अनुभवों से जुड़ा होता है। गर्भस्थ शिशु से लेकर बच्चों के जन्म और उसके किशोरावस्था तक पहुंचने में मां की भूमिका अहम होती है। प्रस्तुत अध्ययन में हमने मां के अनुभवों को 6 साल से कम उम्र के बच्चों की देखभाल के संदर्भ में समझने का प्रयास किया है। कम उम्र में

तालिका क्रमांक 9
गांव पोंडी में बच्चों की देखभाल के संबंध में मां का अनुभव

मां के अनुभव	संख्या (%)
मां जो कभी स्कूल नहीं गईं	100
मां जो साक्षर हैं	0
मां जो पांचवीं पास हैं	0
मां जो बच्चों की देखरेख से संबंधित फैसले खुद लेती हैं	64
मां जिसने कुपोषण के बारे में सुना है	8
मां जो कुपोषण एवं उसके कारणों के बारे में जानकारी रखती हैं	14
मां जिन्होंने संस्थागत प्रसव कराया	21
मां जिन्हें जन्म के समय अपने बच्चे का वजन पता था	21
मां जिन्होंने बच्चे को पहला आहार मां का दूध पिलाया	96
मां जिन्होंने 1 घटे के अंदर मां का दूध नवजात शिशु को पिलाया	74
मां जिन्होंने नवजात शिशु को कोलेस्ट्रम युक्त दूध पिलाया	17
मां जिन्होंने शिशु की 6 माह की उम्र होने पर ठोस आहार देना शुरू किया	96
मां जिन्होंने 6 माह से भी कम उम्र मे बच्चे को मां का दूध पिलाना बंद कर दिया	0

विवाह होना, कम उम्र में बच्चे को जन्म देना, जन्म के समय कई असावधानियां, खाने पीने की चीजों में अस्वच्छता आदि कई ऐसे मामले हैं जिनमें ध्यान देने की जरूरत होती है। पोंडी गांव में हमने मां के अनुभवों को समूहों में और व्यक्तिगत रूप से परिवारों में भी दर्ज किया है। इन अनुभवों पर दृष्टि डालें तो पता चलता है कि अब मां की भूमिका में बैगा महिलाएं अपने आपको मजबूर व असहाय पा रही हैं। उनका कहना था कि हमने अपने बच्चों को कभी अतिरिक्त दूध या पौष्टिक आहार खिलाने की जरूरत महसूस नहीं की है। बच्चे मां के दूध से ही पल जाते थे पर अब बच्चे कमजोरी लेकर ही पैदा हो रहे हैं।

बच्चों की देखभाल और दूध पिलाने के तरीके भी कुपोषण को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। मां का ज्ञान इस संदर्भ में अच्छा होने से बच्चों में संक्रमण के मामले कम होते हैं और बच्चों को कुपोषण से सुरक्षा मिलती है। ग्राम पोंडी में मां के अनुभवों से जाहिर होता है कि बच्चों के कुपोषित होने में मां का अज्ञान महत्वपूर्ण होता है। गांव की कुल 25 महिलाओं के अनुभवों के निम्न परिणाम सामने आए–

तालिका क्रमांक 9 से स्पष्ट है कि माताओं का सामाजिक स्तर काफी कमजोर है। बच्चों की देखरेख से संबंधित फैसले भी अधिकांश महिलाएं लेने में सक्षम नहीं हैं। कुपोषण और उसके कारणों के बारे में माताओं की जानकारी अल्प है। हालांकि कुपोषण को लेकर महिलाओं की अपनी परंपरागत समझ है और उसके उपाय भी पारंपरिक रूप के हैं पर उन्हें कुपोषण को जन्म देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले कारण पता नहीं हैं। केवल 17 प्रतिशत महिलाओं ने ही नवजात शिशु को पहला पीला एवं गाढ़ा दूध पिलाया। संस्थागत प्रसव के बारे में माताओं का विश्वास नहीं है, वे सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था से नाखुश हैं और उनका कहना है कि सरकारी अस्पताल के डॉक्टर और नर्स जानकार नहीं हैं। वे महिलाओं से ठीक से बात नहीं करते और उन्हें बेवजह परेशान करते हैं।

बच्चों के खानपान का स्तर

प्रस्तुत अध्ययन में हमने बच्चों के खानपान के स्तर को मापने का प्रयास किया है। इस काम में कई तरह की मुश्किलें आईं। लोगों को बच्चों को दिए जाने वाले आहार की मात्रा के बारे में पता नहीं होता। अतः हमने इस संबंध में माता– पिता से प्राप्त जानकारी के आधार पर एक मोटा आकलन किया है। अतः जरूरी नहीं है कि यह आकलन बच्चों द्वारा रोजाना खाये जाने वाले खाद्य पदार्थों को बिल्कुल सही तरह से प्रदर्शित करे, लेकिन इससे पोंडी गांव में बच्चों को मिल रही खुराक का अंदाज लगाया जा सकता है।

तालिका 10 से स्पष्ट है कि अनाज की मात्रा तो बच्चों को पर्याप्त मिल रही है। इसके अलावा अन्य सभी तरह के खाद्यों की मात्रा कम प्राप्त हो रही है। भरपूर मात्रा में पोषक तत्व प्रदान करने वाली खाद्य सामग्री दालें, दूध, तेल और चीनी आदि तो बच्चों के खाने से गायब है। सब्जियां भी लगभग बच्चों को कंद आदि मिलाकर पर्याप्त उपलब्ध हो जाती हैं, पर इस में कम पोषक तत्वों वाली सुखाई गई सब्जियां भी शामिल हैं। इस मात्रा को आंगनवाड़ी भी पूरा नहीं कर पा रही है। आंगनवाड़ी में जो खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाई जा रही है उसमें भी तेल, दूध की मात्रा नगण्य है। दालों की मात्रा बहुत कम है। आंगनवाड़ी में बच्चों की उपस्थिति 25 प्रतिशत से भी कम रहती है। ग्राम पोंडी की आंगनवाड़ी में 4 दिनों तक क्रमशः 8, 11, 7 और 0 बच्चे ही उपस्थित मिले। आंगनवाड़ी खाद्य पदार्थों की कमी को पूरा करके खाद्य पदार्थों की उपलब्धता में बेहतर संतुलन बना सकती है। आंगनवाड़ी बच्चों के विकास एवं पोषण के लिए गांव स्तर पर मुख्य संस्था है। इसे बेहतर बनाने के लिए गांव के लोगों के प्रयास भी नाकाफी हैं।

गांव में बच्चों को मिलने वाले अनाज एवं अन्य खाद्य पदार्थों में पोषकता की कमी है। भरपूर पोषण देने वाले अनाजों एवं वनोत्पाद से मिलने वाले फल, कंद, भाजियों की कमी के कारण

तालिका क्रमांक 10
9 – 3 से 6 साल के बच्चों में औसत खाद्य पदार्थों की उपलब्धता (ग्राम में)

खाद्य पदार्थ	अनाज	मिलेट	दालें	पत्तेदार सब्जी	अन्य सब्जी	जड़ कंद	तेल घी	फल	मछली	मांस	अंडे	दूध	चीनी गुड़
आईसीएमआर द्वारा अनुशंसित	200		50	75	50		25	50	30			250	40
उपलब्ध मात्रा	160	50	12	50	20	20	0	0	15	15	5	0	5

स्रोत : ग्राम पोंडी के 8 बच्चों के खुराक सर्वेक्षण का दैनिक औसत – साप्ताहिक सर्वे के आधार पर

तालिका क्रमांक 11
10 ग्राम पोंडी में 6 साल से कम उम्र के बच्चों में उपलब्ध पोषक तत्वों की मात्रा

पोषक तत्व	प्रोटीन	कैलोरी	वसा	कैल्शियम ग्राम	लौह तत्व मिग्रा	विटामिन ए मिग्रा	थियामिन मिग्रा	रिबोफ्लोबिन मिग्रा	नियासिन मिग्रा	विटामिन सी मिग्रा
आईसीएम आर द्वारा अनुशंसित	31	1600	20	4	18	0.9	0.8	10	10	50
उपलब्ध मात्रा	27.60	921.40	7.20	2.80	11.40	0.91	0.67	0.34	0.65	34.80
कमी	3.40	678.60	12.80	1.20	6.60	+0.01	0.13	9.66	9.35	15.20
कमी प्रतिशत में	10.97	42.81	64	30	36.67	+1.1	16.25	96.6	93.5	33.4

स्रोत : ग्राम पोंडी के 8 बच्चों के खुराक सर्वेक्षण का दैनिक औसत – साप्ताहिक सर्वे के आधार पर

भोजन में पोषक तत्वों की कमी लगातार बढ़ रही है जिसका नतीजा यह है कि बड़ी संख्या में बच्चे कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। बैगा समुदाय के बच्चों को कंद, फल, दूध की पर्याप्त मात्रा पिछले 15 साल पूर्व तक उपलब्ध होती थी।

उपरोक्त पोषक तत्वों की तालिका एक नमूने के तौर पर बैगा समुदाय के लोगों से बच्चों को मिलने वाले खाद्य पदार्थों में उपलब्ध मात्रा को दर्शाती है। वास्तविक मात्रा में कुछ अंतर आ सकता है क्योंकि, उपलब्ध भोजन की मात्रा में दैनिक और मौसमी आधार पर अंतर हो सकता है। बच्चों को मिलने वाले आहार को माता–पिता से पूछकर निर्धारित की गई है, इसको मापना संभव नहीं हो सका। तालिका में केवल विटामिन 'ए' की मात्रा ही पर्याप्त है। बाकी सभी पोषक तत्वों में 30 से 97 प्रतिशत तक की कमी दिखाई देती है।

आंगनवाड़ी की सेवाओं की स्थिति

आंगनवाड़ी गांव स्तर पर एकमात्र ऐसा केन्द्र है जो कि कुपोषण की समस्या का निदान करने के लिए 6 साल तक के बच्चों, गर्भवती व धात्री माताओं, किशोरी बालिकाओं को सेवाएं मुहैया कराता है। इस केन्द्र के जरिए ही एकीकृत बाल विकास योजना संचालित की जाती है जो कि बच्चों को न केवल पोषण में मददगार होता है बल्कि कुपोषण को दूर करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ग्राम पोंडी में आंगनवाड़ी केन्द्र पक्के भवन में लगता है। भवन के पास में ही एक हैंडपंप है। भवन में शौचालय बना हुआ है पर उसका उपयोग नहीं होता है।

तालिका क्रमांक 12
आंगनवाड़ी सेवाओं की उपलब्धता के बारे में महिलाओं का फीडबैक

क्र.	आंगनवाड़ी की सेवाएं	कुल महिलाएं		जवाब		नियमित		अनियमित		पता नहीं	
		संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%
1	पोषाहार खिलाना	25	100	22	88	17	77.3	3	13.6	2	9.1
2	टीकाकरण कराना	25	100	18	72	2	11.1	12	66.7	4	22.2
3	प्रसव पूर्व जांच	25	100	17	68	1	5.9	15	88.2	1	5.9
4	अनौपचारिक शिक्षा	25	100	8	32	3	37.5	5	62.5	0	0.0
5	संदर्भ सेवाएं	25	100	6	24	1	16.7	5	83.3	0	0.0
6	बच्चों का वजन लेना	25	100	18	72	1	5.6	14	77.8	3	16.7
7	गृह भेंट	25	100	17	68	2	11.8	11	64.7	4	23.5
8	स्वास्थ्य परामर्श	25	100	9	36	1	11.1	7	77.8	1	11.1
9	पोषाहार घर के लिए देना	25	100	23	92	20	87.0	0	0.0	3	13.0

अध्ययन के दौरान 4 दिन आंगनवाड़ी केन्द्र का अवलोकन किया गया। एक दिन आंगनवाड़ी बंद थी जबकि, बाकी दिनों में 8 से 10 बच्चे ही उपस्थित थे। बच्चे सूखे चावल खा रहे थे, जिसमें थोड़ी मात्रा में गुड़ मिलाया गया था। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने बताया कि दूध नहीं मिल पाता है। डिब्बे का दूध डालते हैं। केन्द्र पर अमूल का आधा किलो दूध पावडर डिब्बे में था पर उसका उपयोग नहीं होता है। आंगनवाड़ी केन्द्र में गांव के सभी 6 साल से कम उम्र के बच्चों का नाम दर्ज है। आंगनवाड़ी द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के बारे में गांव के लोगों की आमराय थी कि आंगनवाड़ी खुलती है। आंगनवाड़ी के काम के बारे में 56 प्रतिशत लोगों ने बताया कि आंगनवाड़ी पोषण उपलब्ध कराने का केन्द्र है जबकि, अन्य लोगों ने बताया कि इस सबंध में उनको पता नहीं है, या लोग इसके बारे में अपनी राय नहीं देना चाहते थे।

उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि ग्राम पोंडी में आंगनवाड़ी सेवाओं के बारे में महिलाओं का अनुभव मिलाजुला है। कुल 25 महिलाओं में से 22 महिलाएं आंगनवाड़ी में पोषाहार खिलाये जाने के बारे में जानती है पर 17 महिलाओं यानी 77.3 प्रतिशत महिलाओं का कहना है कि पोषाहार नियमित रूप से नहीं खिलाया जा रहा है। 25 में से 23 यानि 92 प्रतिशत महिलाओं ने बताया कि 3 साल से कम उम्र के बच्चों एवं गर्भवती तथा धात्री महिलाओं के लिए पोषाहार के पैकेट वितरित किए जाते हैं। यह भी सच है कि यह पोषाहार घर के सभी सदस्य उपयोग करते हैं। यह केवल बच्चों, गर्भवती व धात्री महिलाओं के उपयोग में नहीं आता। 18 यानी 72 प्रतिशत महिलाओं ने कहा कि आंगनवाड़ी में टीकाकरण होता है, पर जब बच्चों को कितने टीके लगे है सवाल किया गया तो न तो किसी भी महिला के पास टीकाकरण कार्ड पाया गया और न हीं किसी महिला ने बताया कि बच्चों को कौन से टीके लगे हैं।

25 में से 18 यानी 72 प्रतिशत महिलाओं ने बताया कि आंगनवाड़ी में बच्चों की वृद्धि निगरानी यानी बच्चों का वजन लेने का काम किया जाता है पर किसी भी महिला को अपने बच्चों के वजन के बारे में जानकारी नहीं थी। 17 यानी 68 प्रतिशत महिलाओं ने बताया कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता लोगों के घर जाती है जबकि 9 यानी 36 प्रतिशत महिलाओं ने कहा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता स्वास्थ्य के बारे में लोगों को जानकारी और सलाह देती है।

आंगनवाड़ी के लिए बनी निगरानी समिति सक्रिय नहीं है। यह समिति आंगनवाड़ी के प्रभावी संचालन को सुनिश्चित नहीं करती। आंगनवाड़ी की निगरानी में समुदाय की भागीदारी के बारे में न तो गांव के लोगों को पता है और न ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को कोई जानकारी है। निगरानी समिति से न तो माताओं को कोई प्रेरणा मिलती है और न ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के कामकाज पर कोई असर पड़ता है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता गांव की एक उम्रदराज निष्क्रिय महिला है। उन्हें आंगनवाड़ी बारे में कुछ पता नहीं है। वे अनपढ़ हैं इसलिए आंगनवाड़ी का रिकार्ड उनकी बेटी तैयार करती है। कार्यकर्ता केवल बच्चों को पोषण आहार वितरित कराने का ही काम करती हैं। बच्चों को पोषाहार खिलाते वक्त हाथ धुलाने के लिए भी ध्यान नहीं दिया जाता।

बाल विकास और कुपोषण को नियंत्रित करने वाले विभागों को पूरी तकनीकी सहायता और बजट प्राप्त होता है। अटल बाल आरोग्य मिशन भी इस दिशा में प्रयासरत है, पर आंगनवाड़ी, क्लस्टर और ब्लाक स्तर पर कोई सहयोगी तंत्र सक्रियता से काम करता नहीं दिखता जिससे कुपोषण को नियंत्रित करने के लिए ठोस कदम उठाए जा सके।

कुपोषित बच्चों को नियमानुसार गहन देखभाल के लिए एनआरसी या अस्पताल में रखा जाना चाहिए। पर आंगनवाड़ी में नियमित रूप से वजन न करने के कारण सही स्थिति का न तो पता है और न ही एनआरसी भेजने के बारे में सलाह दी जाती है। साथ ही कुपोषित बच्चों के लिए जो सेवाएं आंगनवाड़ी के स्तर पर दी जाना है वह भी नहीं उपलब्ध कराई जाती।

गांव की अर्थव्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था चरमराई– पनपा कुपोषण

डिंडोरी जिले के समनापुर विकासखंड के पोंडी गांव में पिछले कुछ सालों में विपरीत परिस्थितियां निर्मित हुई हैं। इन परिस्थितियों ने लोगों को भूख एवं कुपोषण के जाल में फंसा दिया है। बैगा चक क्षेत्र के पोंडी गांव के बैगा आदिवासियों को इस अव्यवस्था के परिणाम किस रूप में सामने आने वाले हैं, इसका अंदाजा नहीं था। बैगा बहुत घने वन क्षेत्रों में रहने वाली बेहद शर्मीली, शांत रहने वाली शिकारी जनजाति है। मध्यप्रदेश की सभी आदिवासी जातियों में बैगा सबसे विशिष्ट जीवन पद्धति और मानवीय मूल्यों के कारण अपनी एक अलग पहचान बनाए हुए है। बैगा का जंगल, पेड़–पौधों, फल–फूलों, जड़ी–बूटी, टीलों–पहाड़ों, पशु–पक्षियों,बादल–बिजली,धरती–आकाश, खेत–खलिहानों

से गहरा और अलग किस्म का नाता है। खास जीवनशैली के कारण बैगा बहुत स्वस्थ और बीमारियों से परे रहे हैं। आज भी बैगा समुदाय के लोग गंभीर रोगों के शिकार नहीं होते।

वर्तमान में बैगा समुदाय की आजीविका असुरक्षित है। गांव की जमीन असिंचित है। गांव के विकास की योजनाएं गैरजवाबदेह तरीके से चल रही हैं। इनके संचालन में गांव के लोगों की भागीदारी नहीं के बराबर है। जंगल लगातार खत्म किए जा रहे हैं। जंगल की जमीनों पर लोगों को बहुत सीमित मालिकाना हक दिए गये हैं। इस समय में बैगा समुदाय के लिए अपनी जीवन पद्धति कायम रखना मुश्किल हो रहा है। इस समुदाय में अब बच्चों में गंभीर कुपोषण और वयस्क लोगों में खून की कमी के लक्षण साफ तौर पर देखे जा सकते हैं।

बैगा समुदाय के बुजुर्गों का कहना था कि हमें कभी भी खाने पीने की वस्तुओं की कमी नहीं महसूस हुई। खेती से सालभर की खाद्य जरूरतें भी पूरी होती थीं और बुरे वक्त के लिए आवश्यक अनाज भी भंडारित करके रखने की परंपरा भी हमारे समुदाय में रही है। बेंवर खेती से 16 प्रकार के अनाज (कोदो, कुटकी, रमतीला, सांवा, कांग, मड़िया, मूंग, राहर, डिंगरा, धान, मक्का आदि) घरों में साल भर रहते थे। इसके अलावा चैत में चार, तेंदूफल, मूसली, जोगी लटरी, डूमर, सुरे, आम, बिल्हा, जामन, सिहार, कचनार, फागुन में भिलवा, महुआ, जेठ में सरई मुंडी, लोडंगीकांदा, आषाढ़ में सरईपिहरी, तूमा पिहरी, पुटुपिहरी, बांस पिहरी, क्वार में आंवला, हर्रा, बहेड़ा, कार्तिक में बिरहोर पिहरी, पूष और माघ में बड़ाइन कांदा, कनिहाकांदा, डोनची कांदा बड़ी मात्रा में मिल जाता था। पूरे साल भर गढ़नी, काकू, जिंटा, झींगा, कुसवा, छूरिया आदि मछली और केकड़े मिल जाते थे। हर महीने जंगली सुअर, खरगोश, चूहे मार लेते थे। जंगली मुर्गी, तीतर, खरहा और चूहे भी पकड़ते थे। तरह-तरह की भाजी और छाछ भी मिल जाती थी। उपरोक्त खाद्य वस्तुओं का विश्लेषण करें तो साफतौर पर पता चलता है कि बैगा परिवारों में बच्चों, महिलाओं, युवा एवं बूढ़ों सभी के लिए भरपूर मात्रा में विविधतापूर्ण खाद्य पदार्थ मौजूद थे। इन खाद्यों में पर्याप्त मात्रा में कैलोरी, प्रोटीन, सभी तरह के विटामिन, वसा आदि मिल जाते थे। चर्चा के दौरान ही फूलचंद कहते हैं कि हमे किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती थी।

स्पष्ट है कि बैगा समुदाय प्रकृति से तालमेल के साथ अपनी आजीविका एवं पोषण की सुरक्षा करता था, लेकिन अब सरकारी और गैरसरकारी प्रयास मिलकर बैगा गांवों में फैले कुपोषण को दूर करने में नाकाम साबित हो रहे हैं। कुपोषण को व्यवस्थागत खामी का परिणाम न मानकर इसे एक बीमारी मानकर उपाय ढूंढे जा रहे हैं जो पोंडी गांव में सार्थक नहीं दिखते। दरअसल, पोंडी में कुपोषण जंगल व्यवस्था के चरमराने से उपजी भूख का परिणाम है। भूख न दवा से मिटती है न आंगनवाड़ी में मिलने वाले आहार से। भूख मिटती है रोटी से, केवल रोटी ही काफी नहीं है, उसके साथ दाल और सब्जी भी चाहिए। दूध भी चाहिए और विटामिन की कमी को पूरा करने के लिए फल, अंडे और मांस, मछली भी चाहिए।

पोंडी के लोगों से बातचीत यह बताती है कि उनके बच्चों में कुपोषण सरकार की अव्यवस्था का नतीजा है। सरकार ने जंगल को खत्म किया, लेकिन बैगा जीवन को सुरक्षित करने, जैव विविधता को संरक्षित करने, जीवन व्यवस्था को बेहतर बनाने, आजीविका के दूसरे उपायों को पुख्ता करने, मानवीय मूल्यों का सरंक्षण करने वाली व्यवस्था को कायम नहीं किया यानी शासन व्यवस्था को गांव स्तर पर नहीं सुधारा। इसका नतीजा यह हुआ कि लोगों को आंगनवाड़ी, स्कूल, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और पंचायत की तरफ टकटकी लगाए रखने की आस तो बनी पर इससे लोगों का न तो पेट भरा और न ही उनकी भूख मिटी। पोंडी में किसी भी योजना का लाभ नजर नहीं आया और संविधान द्वारा दिए गए हकों का भी अभाव नजर आया। गांव की दाई उजियारो बाई कहती है कि अब बच्चे पैदा ही कमजोर हो रहे हैं। शोभाराम का बच्चा तो बिलकुल सूखा हुआ दिखता है। सालभर का हो गया पर रेंग भी नहीं सकता। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी उसे ठीक न कर पाई। वह कहती है कि उसे खून की कमी हो गई है।

कुपोषण और आईसीडीएस व्यवस्था

कुपोषित प्रकाश के परिवार की दशा से साफ जाहिर है कि बैगा समुदाय में कुपोषण बढ़ने का मुख्य कारण जंगल की पूरी व्यवस्था बिगड़ना और इस असर बैगा समुदाय के जीवनयापन के तौर तरीकों पर पड़ना है। पोंडी के 2 तिहाई से अधिक बच्चों का कुपोषित होना इस ओर इशारा करता है कि बैगा समुदाय का जंगल अब उनके हाथ में नहीं रह गया है। उनकी आत्मनिर्भरता छीनकर सरकारी सहायता का मोहताज बना दिया गया है। उनके बच्चों को अब खाने के लिए आंगनवाड़ी और स्कूल की तरफ ताकना होगा। यदि किसी दिन आंगनवाड़ी में खाना नहीं बना या स्कूल नहीं खुला तो उनको भूखा रहना पड़ सकता है। सबसे बड़ी विडम्बना यह है कि आंगनवाड़ी बैगा के जीवनयापन के तौर

गांव में काम नहीं खुला, घर की हालत बिगड़ी

पोंडी के शोभाराम के घर के बाहर कुपोषित बच्चा प्रकाश चारपाई पर लेटा हुआ था। हम लोग जब उनके घर पहुंचे तो उसकी दादी ने बड़ी बहन के साथ बाहर भेज दिया। दरअसल, वह इस बात से डर गई थीं कि हम उनके बच्चे को तौलेंगे और टीका लगाएंगे, एनआरसी भेजने के लिए दबाव डालेंगे। वे बच्चे को अपने तरीके से ही ठीक करने के पक्ष में थीं। उन्हें अस्पताल और एएनएम का तरीका पसंद नहीं है। वे कहती हैं कि हमें बच्चे को लेकर डिंडौरी में नहीं रहना। प्रकाश की मां भदिया बाई का कहना था कि प्रकाश सहित उनके सभी बच्चों का जन्म घर पर ही हुआ। पैदा होते ही प्रकाश बहुत कमजोर था और 3 दिन तक दूध नही चूसा। 3 दिन बाद जबरदस्ती मुंह में दूध दिया। 9 महीने तक पेट में रहा फिर भी कमजोर हुआ। जब प्रकाश पेट में था तब जो घर में उपलब्ध था वही खाते थे। इस साल गांव में काम नहीं मिला तो मांस नहीं खा पाए घर में तंगी रहती है तो सुअर, मुर्गी बेच देते हैं। एक मुर्गी 200 से 300 रूपए तक में बिकती है, 6 महीने में तीन-चार मुर्गी बिक गई। सुअर 400 से 500 रूपए में बिक जाता है। साल भर में 5 से 6 सुअर बेच दिए। बकरी 1500 से 2000 रूपये में बिक जाती है। इस साल इन्हीं को बेचकर घर खर्च चल रहा है।

प्रकाश पेट में था तब भी टीके लगवाए थे। खून बढ़ने की गोली भी खाई थी। बच्चा 3 दिन तक कमजोर था हमने उसका जड़ी-बूटी से उसका इलाज किया। गुनिया की बताई जड़ी दी। उसने मायवेला, रूकवा की पत्ती पीसकर पानी में एक महीने दी। दूसरी दवाई भी खाई। इसके अलावा मणिया, उड़द की दाल, कोदो भात, पेज भाजी लिया। बच्चे को भी जडी एक महीने तक बांध रखी। पता नहीं बच्चा छट्टी पाई (कुपोषित) कैसे हो गया। प्रकाश की कमजोरी को देखकर नर्स ने 14 दिन भर्ती करने को कहा। वहां पैसे भी मिलते हैं पर हम नहीं गए। घर के काम छोड़ डिण्डौरी कैसे जाएं? इसका दादा भी बीमार था कोई देखना वाला नही था। सबसे पहली बेटी है। दूसरी बेटी हुई, तीसरे नम्बर की बेटी हुई थी, बुखार आया और खत्म हो गई। चौथा लड़का हुआ और ये पांचवां प्रकाश है। वह बताती हैं कि हर महीने आंगनवाड़ी में तोलते हैं और 4 पैकेट देते है, सभी बच्चे खाते हैं। गांव में दूध नहीं है जो घर में बने वही देते हैं। सर्दी-खांसी हो गई थी, पास के गांव बम्हनी में बंगाली डॉक्टर को दिखाया। समनापुर सरकारी अस्पताल जाने आने में 50 रूपए किराये के लगते है। बम्हनी में 50 रूपए में बंगाली डॉक्टर से इलाज हो जाता है। पंचायत से इस साल कोई काम नहीं खुला। सचिव से हमने मौखिक काम मांगा, पर उसने दिया नहीं। इस साल वन विभाग ने भी काम नहीं खोला तो कुछ काम नहीं मिला।

शोभाराम की मां घर के बाहर चकोड़ा भाजी सुखा रही थीं। पूछने पर बताया कि इसे सुखाकर न रखें तो घर में खाने की कमी होने पर कोई आसरा नहीं होगा। चकोड़ा एक ऐसा पौधा है जो आमतौर पर सभी क्षेत्रों में पाया जाता है, पर बहुत कम क्षेत्रों में इसे खाने में शामिल किया जाता है। बैगा समुदाय में इसे भाजी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। कुछ लोगों का कहना है कि यह बैगा संस्कृति का हिस्सा है, पर बैगा समुदायों से चर्चा में समझ में आया कि यह मजबूरी भी है क्योंकि, अब जंगल की अनेक चीजें खत्म हो रही हैं तो जो है उसे ही खाना होगा। जंगल कम हो रहा है भाजी भी कम हो रहीं कुछ दिन मे कुछ नही मिलेगा। जंगल का कब्जा सरकार नहीं मान रही है। साल भर में भाढो और क्वार में घर में सबसे अधिक परेशानी और खाने की कमी होती है। भदिया बाई परिवार नियोजन के बारे में कहती हैं कि पहले 10-12 बच्चा भी पल जाते थे। कोई कमजोरी भी नहीं आती थी। अब जंगल में कुछ न बचा तो बच्चे भी नहीं बच रहे हैं। सरकार का राशन लेने 7 कि.मी. दूर जाना पड़ता है। सरकार राशन की दुकान भी नाकेदार को देगी तो परेशानी और बढ़ेगी ही। हमारे गांव में राशन मिल रहा है, लेकिन दूसरे गांव में बहुत देर से राशन मिलता है। उसका सवाल बकाया है-सरकार जब जंगल कटवाय रहीस तो जमीन पूरी हम लोगन को क्यों नहीं देई रहीस?

तरीकों एवं उनके समय से परे सरकार द्वारा निर्धारित तयशुदा समय सारणी के अनुसार संचालित होगी। बैगा परिवार आज भी अपनी सुबह जंगल से शुरू करते हैं और शाम को भी जंगल में होते हैं। ऐसी स्थिति में ग्राम पोंडी में भी देखा गया कि केवल एक चौथाई बच्चे ही आंगनवाड़ी में मौजूद होते हैं। आमतौर पर बच्चे अपने मां-बाप के साथ या तो खेत में होते हैं या फिर जंगल में।

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के साथ सहयोग कर रही कार्यकर्ता का कहना है अब बैगा समुदाय में शादी की उम्र भी घट रही है। बैगा समुदाय के बारे में उनकी सोच अलग है। वह बैगा समुदाय में ही कुपोषण का कारण देखती हैं। वह कहती हैं कि गांव की सोमवती की शादी 13 साल में हुई और 14 साल की उम्र में जुड़वा बच्चे हुए। दोनों कमजोर थे और जल्दी ही मर गए। बैगा शौच के बाद

पानी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। बच्चों को कई दिनों तक नहलाते नहीं। कमजोर बच्चों को एनआरसी भेजने के लिए तैयार नहीं होते। सरकार ने भी एनआरसी जिले में स्थापित की है। नजदीक होती तो लोग जाते भी। बच्चों के कुपोषण के बारे में वह कहती हैं कि बैगा समुदाय के लोग मछली, भाजी, मांस 1 2 महीने खाते थे तो कुपोषण नहीं था। अब यह खाना नहीं मिलता। सभी के घर में मुर्गियां हैं। पर अंडे नहीं खाते, इसलिए कि मुर्गी बेचेंगे। आंगनवाड़ी से जो मिक्स चावल मिलता है उसे खूब रगड़कर धोते हैं, इससे पौष्टिक तत्व खत्म हो जाते हैं। कहते हैं कि कड़वा लगता है। सरकार को इसे बंद कर देना चाहिए। महिला एवं बाल विकास अधिकारी का कहना है कि अब बैगा समुदाय में कुपोषण बहुत कम हो गया है। हम आंगनवाड़ी व्यवस्था को लगातार बेहतर कर रहे हैं। हम एक नए प्रोजेक्ट एबीसीडी पर काम कर रहे हैं जिसमें आंगनवाड़ी बहुत बेहतर तरीके से संचालित होगी। गर्भवती और धात्री महिलाओं को कुटकी का लड्डू खिलाया जाएगा। अभी हम इस प्रोजेक्ट के बारे में ज्यादा बता नहीं सकते। बैगा समुदाय की संस्कृति अच्छी है हमें उसी के अनुरूप योजना बनानी चाहिए पर सरकार की योजना तो पूरे प्रदेश के लिए बनती है। हम प्रयास कर रहे हैं कि उनके अनुरूप योजना बनाएं। लेकिन ग्राम पोंडी में बच्चों में अधिक कुपोषण के बारे में वे अनुत्तर हो जाती हैं।

समेकित बाल विकास योजना बच्चों के कुपोषण को दूर करने और पोषण सुरक्षा देने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती हैं, लेकिन पोंडी में आंगनवाड़ी के संचालन में कई तरह की दिक्कतें सामने आईं। आंगनवाड़ी नियमित रूप से नहीं खुलती है और बच्चों की उपस्थिति भी सुनिश्चित नहीं है। इसका मुख्य कारण बच्चों को आकर्षित करने के लिए आंगनवाड़ी में विभिन्न गतिविधियों का न होना और मीनू के अनुसार पोषक आहार न मिलना है। अधिकांश समय चावल खिलाया जाता है। आंगनवाड़ी में पूरे सप्ताह अलग-अलग तरह के आहार की व्यवस्था नहीं होती। पोषण आहार देने/बांटने वाला समूह दूसरे गांव का है और उसने एक महिला को नियुक्त कर दिया है जिसकी नियमित निगरानी नहीं होती। आहार वितरण में बच्चों की स्वच्छता पर भी पूरा ध्यान नहीं दिया जाता। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का स्वयं का जानकारी का स्तर बहुत कम है। वह महिलाओं को स्वास्थ्य की जानकारी उपलब्ध कराने में सक्षम नहीं है और न ही कोई जानकारी प्रदान करती है।

टेकहोम राशन का उपयोग

आंगनवाड़ी से गर्भवती व धात्री महिलाओं को पोषण आहार के

गांव में नेटवर्क नहीं तो कैसी जननी एक्सप्रेस

ग्राम पोंडी के बैगा समुदाय की टिकलो बाई की जुड़वा बेटियां है। वह बताती हैं कि उसकी शादी 14 साल की उम्र हो गई थी। उनके 5 बच्चे हैं। एक लड़की की बुखार एवं उल्टी-दस्त से मृत्यु हो गई। उसका इलाज नहीं करवा पाएं वह कहती है कि एक दो साल के अंतराल से बच्चे होते गए जून 2012 को जुड़वा बेटियां हुई। रात का समय था डिलेवरी घर पर ही हुई। टिकलो बाई को जननी सुरक्षा के बारे में पता है। वह कहती है कि फोन करो तो गाड़ी आ जाती है किन्तु हमारे गांव में गाड़ी नहीं आती है क्योंकि, फोन नहीं लगता है। फोन करने के लिए कहीं पहाड़ पर चढ़ो या 5 किमी दूर बहम्नी गांव जाओ तब तक तो प्रसव ही हो जाए। प्रसव का समय पहले से पता नहीं होता, ऐसे में पहले से अस्पताल भी नहीं जा सकते। टिकलो बाई की दोनों बेटियां कुपोषित हैं जब उनसे कमजोरी का कारण पूछा तो वे कहने लगी जो घर में रूखा- सूखा मिलता है वहीं खा लेते हैं। कमजोरी दूर करने के लिए जंगल की दवाई दी पर ज्यादा फायदा नहीं हुआ। बच्चों को घर के चावल दे रहे हैं। कभी खिचड़ी में बनती है तो पानी से गीला कर उसे दे देते हैं। आंगनवाड़ी से दोनों बेटियों के लिए मिलने वाले 8 पैकेट खाने को घर के सभी लोग खा लेते हैं। वह कहती हैं कि छोटे बच्चों के कारण जंगल रोज नहीं जा पाते उससे नुकसान होता है। ठंड में लकड़ी भी पहले जैसी नहीं ला पाती हूं। पहले रोज लेने जाते थे अब एक-दो रोज में जाना पड़ता है। जब जंगल जाते हैं तो एक बेटी को उसकी नानी के पास छोड़कर जाना पड़ता है एक को साथ ले जाती है। नानी उसको क्या खिलाती है? कैसे देख-देख करती है? उसके बारे में कुछ नहीं पता है। जंगल जाने में 2 से 4 घंटा लगता है। बच्चे को दूध मिलता रहे इसके लिए हर बार बच्चे बदलते रहते हैं जैसे एक बार में सीता को ले गए तो दूसरी बार में ओता को ले जाते हैं। दो से ढाई एकड जमीन है। वन विभाग से पट्टा मिल गया पर कितने एकड़ का मिला, यह टिकलो बाई को नहीं पता है। खेती में पूरा नहीं होता। जो अनाज मिलता है वह घर में ही खर्च हो जाता है। वह कहती है सरकार से हमें कोई योजना का लाभ नहीं मिला है। पंचायत गांव में काम भी नहीं खोलती। वह कहती हैं मेरी ज्यादा बेटियां हैं तो लाड़ली लक्ष्मी योजना का लाभ नहीं मिल पाया है।

पैकेट दिये जाते हैं। इस पैकेट के इस्तेमाल के बारे में लोगों को ठीक से जानकारी नहीं दी गई है। वे खिचड़ी को धोकर उसके पौष्टिक तत्व बाहर निकाल देते हैं। कुछ लोग पैकेट खोलने के बाद सामग्री रख देते हैं तो उसके खराब होने की आशंका बढ़ जाती है। लोगों की यह भी शिकायत थी कि सामग्री कड़वी लगती है इस वजह से इस्तेमाल नहीं करते। ग्राम चारूवा की महिलाओं का भी कहना था कि बिना साफ किए बच्चों को खिला दें तो दस्त लग जाते हैं।

'आशा' से निराशा

गांव स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं सहज उपलब्ध नहीं हैं। पोंडी गांव में आशा कार्यकर्ता 15 किमी दूर गांव से आती है। आशा की सेवाएं गांव में नहीं मिल पा रही हैं। आंगनवाड़ी का संचालन बेहतर नहीं है, उसकी नियमितता और गुणवत्ता पर गांव के लोगों को शिकायतें हैं। एएनएम भी गांव से लगभग 10 किमी से दूर रहती है और किसी-किसी महीने ही आती है। किसी भी परिवार के पास टीकाकरण का रिकार्ड नहीं मिला। स्वास्थ्य योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। कुपोषित बच्चों को कैसे ध्यान रखना है, गर्भवती महिलाओं को क्या सावधानी बरतनी है, दो बच्चों के बीच अंतराल क्यों जरूरी है आदि लोगों को पता नहीं है।

गंभीर कुपोषित बच्चों को एनआरसी ले जाया जाना चाहिए, इसकी जानकारी भी परिवारों को नहीं है। उनको किसी ने यह नहीं बताया कि एनआरसी में 15 दिन खाना और मजदूरी का मुआवजा मिल सकता है। एक गंभीर कुपोषित बच्चे की दादी ने बताया कि कोई यह जानकारी पहले देता तो बच्चा ठीक हो जाता। उपस्वास्थ्य केन्द्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में दवाओं, डॉक्टरों की उपलब्धता नहीं है। प्रसव के लिए समनापुर ले जाना पड़ता है, जहां पहुंचने के लिए जननी एक्सप्रेस सहज उपलब्ध नहीं है।

टिकलो बाई की बातों से जाहिर है कि गांव में काम और जंगल में पर्याप्त वनोपज न मिलने के कारण बच्चे कुपोषित हो रहे हैं। दूर जंगल में जाने की वजह से बच्चों को दिन-भर भूखा रहना पड़ता है। यह बड़ी विचित्र स्थिति है कि एक मां अपने बच्चे को दिन बदलकर देखभाल करने के लिए मजबूर है। मनरेगा के तहत गांव में काम देने का वादा अधूरा साबित हो रहा है और बच्चों को मां की देखभाल से वंचित होना पड़ रहा है।

चावल बना मुख्य भोजन

पोंडी गांव में जब हम बच्चों के परिवारों से बातचीत के लिए घरों में गए तो पाया कि हर परिवार के घर के सामने चकोड़ा भाजी सुखाई जा रही थी। कई घरों में बच्चे खाना खाते हुए भी दिखे लेकिन कोई ऐसा परिवार नहीं मिला जिनके यहां खाने में एक से अधिक खाद्य पदार्थ शामिल हो। लगभग सभी घरों में बच्चे मां या दादी के साथ राशन की दुकान का चावल या कुछ घरों में कोदो का चावल नमक के साथ खा रहे थे। कुछ घरों में पेज और चरोटा भाजी को मिलाकर खाया जा रहा था। किसी भी घर में इसके अलावा पिछले 15 से 20 दिनों में और कोई आहार नहीं खाया गया। इक्का-दुक्का घरों में ही बताया गया कि उनके खाने में मुर्गी या फिर सुअर का मांस एक बार खाया गया। चावल भी इसलिए, क्योंकि सभी बैगा परिवारों को एक संघर्ष के बाद अंत्योदय राशन कार्ड मिल गया है और राशन की दुकान से मोटा चावल सस्ते में मिल जाता है। अब राशन की दुकानें एक नीतिगत फैसले के तहत वन विभाग के नियंत्रण में संचालित की जा रही हैं। इससे बैगा चक के कुछ गांवों में समय से राशन न मिलने की शिकायतें भी सामने आ रही हैं। इस संबंध में वन विभाग का कहना है कि खाद्य एवं आपूर्ति विभाग समय से आवंटन नहीं दे रहा है जबकि, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारियों का कहना है कि वन विभाग समय से राशि जमा करके सामग्री नहीं ले रहा है। दोनों एक-दूसरे पर आरोप मढ़ रहे हैं। बैगा समुदाय के लोगों का यह भी कहना था कि राशन दुकान में सुधार किया जाना चाहिए और इसे हर पंचायत में खोलना चाहिए। सरकार राशन के बदले राशि न दे, इससे बैगा समुदाय को बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। राशि मिलने में कठिनाई तो होगी ही राशि लोग अन्य कामों में खर्च कर देंगे और राशन के लिए घर की मुर्गी और मवेशी तो बिकेंगे ही। साथ ही बाजार में बैगा समुदाय को व्यापारी भी ठगेगा।

राशन की दुकान से चावल और गेहूं मिलने से बैगा समुदाय के पारंपरिक खाद्य एवं पोषण सुरक्षा तंत्र पर विपरीत असर पड़ा है। अब बैगा समुदाय के लोगों के पारंपरिक अनाज खाने से बाहर हो रहे हैं। जी हां, अब यह चौकने वाली बात नहीं है कि कभी कोदो, कुटकी, मंडिया, मक्का, राहर, मूंग आदि बड़े चाव से खाने वाले बैगा अब चावल और गेहूं के आदी हो गए हैं। अब गांव का श्रम और उत्पादन महानगरों एवं शहरों की सेवा में अर्पित हो रहा है। कोदो कुटकी को अब स्थानीय बनिये खरीदकर शहर की ओर

भेज रहे हैं जो शहरी लोगों के लिए पौष्टिक आहार बन रहा है। कोदो–कुटकी को घरों में प्रोसेस करना कठिन है इसलिए, इसे बेचकर सस्ता चावल और गेहूं खरीदना बैगा समुदाय को ज्यादा आसान लगने लगा है। कृषि विभाग के प्रांगण में कोदो–कुटकी को प्रोसेस करने वाले उपकरण धूल खा रहे हैं क्योंकि, ये महंगे हैं और इन्हें बैगा समुदाय के लोग खरीद नहीं सकते।

कोढ़ो कुटकी हटाओ; धान गेहूं उपजाओ का नारा

बैगा समुदाय की मुख्य खेती 'बेंवर' अब बैगा चक में नहीं दिखाई देती। बेंवर खेती से बैगा समुदाय को पूरे साल भर अनेक प्रकार के अनाज और भाजी मिल जाती थी। बेंवर झूम खेती का स्थानीय तरीका था जिसमें बैगा लोग कई तरह के अनाज एक साथ उगाते थे जो अलग–अलग समय में उत्पादन देता था। इस फसल पद्धति में फसल को एक–दूसरे का सहारा मिलता था। यह पूरी तरह से जैविक, पर्यावरण मित्र और मिश्रित खेती है। इसमें बहुतायत में विटामिन, प्रोटीन और कैलोरी थी। बेंवर में बैगा जाति के लोग सोलह प्रकार के बीज बोते थे। बेंवर खेती के बारे में बुजुर्ग बैगा आज भी कहते हैं कि जब बेंवर खेती का चलन था, तब हम 16 जाति का खाना खाते थे।

सरकार भी गेहूं चावल की उपज बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन दे रही है। एक समय कोदो–कुटकी हटाओ का नारा भी बैगा क्षेत्र में दीवारों पर लिखा गया था। हालांकि अब कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि गेहूं, धान, चना के अलावा हम पारंपरिक फसली जैसे कोदो–कुटकी को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं और अपने आफिसों में कोदो–कुटकी के हरे भरे खेतों के चित्र भी लगा रखे हैं पर पोंडी गांव का फसल प्रतिरूप देखें तो स्पष्ट है कि कोदो और कुटकी व अन्य पारंपरिक फसलों के क्षेत्र घटे हैं। वहीं दूसरी ओर उल्लेखनीय यह भी है कि बेंवर खेती का अंग रही पारंपरिक फसलें जंगल में होती थीं लेकिन अब तो जंगल पर वन विभाग नियंत्रण कर रहा है। कृषि विभाग का दावा है कि वे कोदो–कुटकी जैसे अनाजों को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं और इस संबंध में शोध भी किया जा रहा है। किसानों को सिंचाई के लिए सब्सिडी दे रहे हैं। टीगार्ड दे रहे हैं लेकिन यह प्रक्रिया इतनी धीमी है कि इसका पूरा लाभ किसानों को नही मिल पाता है।

वनाधिकार से वंचित रहने की वजह से पोंडी गांव में बैगा समुदाय के खाने में अब ख़ाद्य एवं पोषण सुरक्षा देने वाले अनाज, दालें, भाजी, कंद, फल, मांस, मछली, मशरूम, शहद आदि घटकर आधे से भी कम हो गये हैं। तात्पर्य यह है कि जिन तरीकों व साधनों से लोगों को ताकत देने वाला भर पेट भोजन मिलता था वे साधन अब लोगों की पहुंच से बाहर हो गए हैं। इससे कुपोषण को जन्म देने वाली परिस्थितियां बन गई हैं। जब खाना नहीं मिलेगा तो कमजोरी और कुपोषण ही नहीं पनपेगा बल्कि बीमारियां भी बढ़ेंगी। बीमारियां कुपोषण को और गंभीर स्थिति में ले जायेंगी। यूनिसेफ ने एक रिपोर्ट में बताया है कि वर्ष 2010 में भारत में 6 लाख से ज्यादा बच्चे निमोनिया व डायरिया से मरे। यह बड़ी गंभीर बात है। क्या निमोनिया व डायरिया इतनी गंभीर बीमारियां है कि बच्चे मरते जायें? बिल्कुल नहीं, निमोनिया व डायरिया से उन्हीं बच्चों के मरने का खतरा अधिक होता है जिन्हें गंभीर कुपोषण है। कुपोषण बच्चे की बीमारी से लड़ने की ताकत खत्म कर देता है। मध्यप्रदेश में भी हजारों बच्चे इन्हीं बीमारियों से मौत का शिकार हो जाते हैं। दरअसल, इनके इलाकों में कुदरती पोषण के स्रोत जल, जंगल, जमीन का तेजी से विनाश किया गया है जो स्थानीय लोगों को रोजमर्रा का भोजन देते थे। उनके सामने एक–दो दिन के भोजन का नहीं बल्कि हमेशा के लिए संकट खड़ा किया गया है। इस संकट के लिए सरकार ज्यादा दोषी है।

वनाधिकार के लिए भटकते बैगा

शोभाराम बैगा कहते हैं कि सरकार हमारे बच्चों को अस्पताल पहुंचाने के बजाय जंगल लौटा दे। अभी सरकार ने हमारे गांव में वनाधिकार का पट्टा दिया है पर पूरी जमीन का हक नहीं दिया। चुनाव के समय तो जल्दी–जल्दी थोड़ी जमीन का हक दे दिया फिर भूल गए। हम किस जंगल से लकड़ी काटेंगे, कहां से बांस लाएंगे, कहां गाय, बकरी चराएंगे, उसका हक भी नहीं दिया। 2–3 एकड़ जमीन में परिवार नहीं पलता। पोंडी गांव के आसपास के गांवों के कई परिवार पटवारी और तहसील के चक्कर लगा रहे हैं पर जो सालों से जंगल में बसे हैं, उन्हें पहचान का प्रमाणपत्र जुटाने के लिए भटकाया जा रहा है। वन विभाग जंगल की जमीन को अपनी समझता है। वह नहीं चाहता कि सबको हक मिले। लोगों को भटकाना, वंचित रखना, धौंस दिखाना उनकी आदत बन गई है।

बैगा बच्चे गंभीर कुपोषित

हमने बैगा समुदाय के 60 बच्चों के अध्ययन में पाया कि 60

में से 41 बच्चे कम वजन के थे जबकि 19 बच्चों में अति कम वजन के थे। इन बच्चों को वजन तो कम था ही, साथ ही 20 बच्चों को पिछले तीन माह में बुखार, खांसी, निमोनिया की शिकायतें भी हुईं। 4 बच्चों को डायरिया भी हुआ। ये सभी बच्चे प्रशिक्षित डॉक्टर तक नहीं पहुंच सके। स्थानीय डॉक्टर से या फिर घरेलू और स्थानीय बैगा वैद्यों से इलाज कराया। चूंकि आंगनवाड़ी रिकार्ड के अनुसार एक ही बच्चा गंभीर कुपोषण की श्रेणी में है अतः उसे ही एनआरसी ले जाने की सलाह आंगनवाड़ी व एएनएम द्वारा दी गई। बच्चे का परिवार 50 किमी दूर बच्चे को लेकर एनआरसी जाने को तैयार नहीं हुआ।

इस संबंध में डिंडोरी स्थिति एनआरसी की स्थिति को देखें तो वहां 20 बच्चों के लिए भवन और व्यवस्था तो दिखाई देती है पर डॉक्टर नहीं है। ऐसी स्थिति में वह केन्द्र बच्चों की देखभाल के लिए उपयुक्त नहीं है। बैगा समुदाय जिनमें ज्यादा कुपोषण है वहां नहीं जाते। एनआरसी स्टाफ से प्राप्त जानकारी के अनुसार 2012 के अंतिम तीन माह में वहां एक भी बैगा बच्चा भर्ती नहीं हुआ। एक बच्चे के परिवार का चेक एनआरसी में रखा हुआ है। एनआरसी स्टाफ कहते हैं कि बैगा लोगों को यहां रहना पसंद नहीं और वे अपना चेक लेने भी नहीं आए। बैगा समुदाय में एकल परिवार व्यवस्था होती है। एनआरसी आने का मतलब हुआ कि घर छोड़कर यानी मुर्गी, बकरी, सुअर सब छोड़कर आना होगा। साथ में सभी बच्चों को भी लाना होगा। एनआरसी साथ में आने वाले बच्चों को मदद नहीं करता। ऐसी स्थिति में एनआरसी आना उनके लिए दूर की बात है।

बाजार जिसने पोषण सुरक्षा को छीना

बैगा समुदायों में बाजार से खरीदने और बेचने का काम बहुत सीमित था क्योंकि, समुदाय में आत्मनिर्भरता अधिक थी। स्थानीय स्तर पर खाद्य पदार्थों की कमी के कारण बाजार पर अब निर्भरता बढ़ी है। जाहिर है बाजार से खरीदी के लिए धन की जरूरत है। इस धन का इंतजाम करने के लिए फसलोत्पादन और सीमित मात्रा में जंगल से जुटाए गए वनोपज को बेचना मजबूरी है। जो वनोपज अपने उपयोग के लिए उपलब्ध थी, वह अब बाजार पहुंच रही है। बैगा के जीवन को पोषण और खाद्य सुरक्षा देने वाली वनोपज और विविध फसलें अब बेहद कम कीमत पर शहरों और महानगरों के लिए पौष्टिक आहार प्रदान करने का स्रोत बन रही हैं। मूसली, हर्रा, चिरौंजी के बदले सीमित मात्रा में नमक, कपड़े और बर्तन बाजार से खरीदने वाले बैगा अब बाजार से कनकी, नमक, गेहूं, सब्जियां, महुआ, इलेक्ट्रॉनिक सामान, कपड़े आदि खरीदते हैं, बदले में कोदो कुटकी, राई, मसूर, मक्का, धान, गेहूं, रमतीला, हर्रा, बहेड़ा, महुआ, मुर्गी, सुअर आदि बेचते हैं। जाहिर है पोषक पदार्थों से युक्त फसल उत्पादन को बेचने और केवल पेट भरने वाले पदार्थों को खरीदने का चलन बढ़ा है।

सुरक्षित पेयजल की कमी

पिछले कुछ सालों में पोंडी में उल्टी दस्त में बढ़ोतरी हुई है। इस समस्या के कारण भी छोटे बच्चों में गंभीर कुपोषण हो जाता है। यदि समय से इन बच्चों की समुचित देखभाल नहीं हुई तो यह स्थाई कुपोषण में बदल जाता है। पोंडी में हैंडपंप के पानी में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण बैगा समुदाय अधिकांश समय कुंए के पानी का उपयोग करता है। इस पानी की स्वच्छता का स्तर हमेशा संतोषजनक नहीं होता है। वर्षात के महीने में कुंए का जल अस्वच्छ होता है और उल्टी–दस्त की अशंका ज्यादा रहती है। पिछले तीन माह में 6 साल से कम उम्र के 14 प्रतिशत बच्चों को उल्टी दस्त की शिकायत पाई गई।

शासकीय नीति एवं कार्यक्रम स्थानीय जरूरतों को पूरा करने में कारगर नहीं

दूरदराज के जंगली एवं पहाड़ी भागों के विकास के लिए कई शासकीय कार्यक्रम एवं योजनाएं चलाईं गईं। इन योजनाओं का खास मकसद था कि आदिवासी क्षेत्रों में जीविका और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा मिले व सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास की प्रक्रिया को मजबूती मिले। यहां हम खाद्य सुरक्षा को मदद करने वाले कुछ कार्यक्रमों एवं योजनाओं का विश्लेषण करेंगे जो सीधे तौर पर खाद्य एवं पोषण सुरक्षा में योगदान करती हैं –

धान का क्षेत्र जहां 25 एकड़ से 6 गुना बढ़कर 150 एकड़ तक पहुंच गया। वहीं कोदो कुटकी का घटकर 200 एकड़ से 80 पर आ गया। इसका असर लोगों के पोषण पर भी पड़ा।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत रोजगार की उपलब्धता भी गांव में ठीक से नहीं है। वित्तीय वर्ष 2012–13 में मनरेगा के तहत ग्राम पोंडी में अक्टूबर 2012 तक कोई काम नहीं किया गया है। पिछले वित्तीय वर्ष में गांव में केवल 25 प्रतिशत लोगों को ही काम मिला। कुल 1,599 मानव दिवस काम का सृजन हुआ जबकि, पोंडी गांव में कुछ मजदूरों के जॉब कार्ड देखा गया और उनसे बात की गई तो पता चला कि वेबसाइट पर दी गई जानकारी सही नहीं है। 60 से 70 दिन काम करने वाले मजदूरों के जॉब कार्ड और बैंक पासबुक दोनों में ही जानकारी दर्ज नहीं है। इन मजदूरों ने भी

20 से 25 दिन ही काम करने की बात स्वीकार की है। जाहिर है कि मनरेगा में अनियमितता की गई है।

बैगा विकास प्राधिकरण

बैगा विकास के लिए जिले स्तर पर समिति बनाई गई है पर इसमें से बैगा नदारद हैं। इस समिति में चुने हुए प्रतिनिधि जिला एवं जनपद पंचायत के अध्यक्ष, विधायक, सांसद और कलेक्टर एवं अन्य शासकीय अधिकारी तो सदस्य हैं पर बैगा समुदाय से चुने जाने वाले 5 सदस्यों को अभी तक नहीं चुना गया है। यह समिति निष्क्रिय है। इसकी बैठकें नियमित नहीं होती। परियोजना अधिकारी श्री एमएल पनारिया के अनुसार हितग्राही मूलक योजनाएं खेती के विकास, शिक्षा, आवास आदि से संबंधित चलाई जा रही हैं। बैगा विकास प्राधिकरण के तहत स्टॉफ एवं पर्याप्त राशि की कमी हैं।

आदिवासी विकास योजना के तहत 100 बैगा परिवारों को कपिलधारा कुंए में उपयोग हेतु 20 हजार रुपए का डीजल पंप दिया गया है। इसके अलावा नल–जल, आवास, बालिका शिक्षा, बैल जोड़ी आदि के लिए मदद की जा रही है। प्रति परिवार बालिका की मां को 1000 रुपये शिक्षा के लिए दिए हैं। जिले में मलेरिया के अध्ययन हेतु 50 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। बैगा भाषा में जानकारी बढ़ाने के लिए बैगाचक में रेडियो केन्द्र बनाया गया है। पर इन सब योजनाओं के लिए राशि की उपलब्धता बहुत कम होती है। वर्ष 2012–13 के लिए कुल 246.46 लाख रुपये ही आवंटित किए गए। इस राशि में सभी तरह की विकास योजनाएं शामिल हैं।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली

ग्राम पोंडी के बैगा समुदाय से बातचीत से पता चला कि राशन की दुकान पर पिछले सालों में दबाव बढ़ा है। राशन की दुकान से राशन तो मिल रहा है, पर इसे लेने में कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लोगों ने समय से दुकान का न खुलना, दुकान का दूर होना, पिछले माह का राशन आगे के महीनों में न देना जैसी कुछ दिक्कतें बताईं। पोंडी के अध्ययनित 25 परिवारों में से 23 के पास राशन कार्ड है और इन सभी ने राशन की दुकान से राशन लिया है। लोगों ने बताया कि 1 क्विंटल गेहूं पिछले दिनों एक साथ दिया गया, लेकिन आधे परिवारों का कहना था कि हमें चावल कम दिया जाता है। 25 प्रतिशत परिवारों ने राशन कभी–कभी अच्छा न मिलने की शिकायत की, जबकि 75 प्रतिशत लोग राशन से संतुष्ट दिखे। एक अन्य सवाल के जवाब में लोगों का कहना था राशन की दुकान से दाल, तेल, कोदो, कुटकी, मंडिया जैसे मोटे अनाज मिले तो ज्यादा अच्छा है, पर अब यह फसलें होती ही नहीं तो कहां से स्थानीय अनाज मिलेगा। स्पष्ट है कि पीडीएस की स्वीकार्यता लोगों के लिए मजबूरी है। यह अनाज की कमी के समय राहत तो देता है पर पोषण सुरक्षा नहीं देता। पोंडी के आसपास के कुछ गांवों में राशन नियमित न मिलने के संदर्भ में सहायक खाद्य आपूर्ति अधिकारी डिंडौरी का कहना है कि शासन के निर्देश से 22 गांवों में वन समितियों को राशन वितरण का कार्य सौंपा गया है। वन सुरक्षा समितियों के पास राशि की कमी के कारण समय से राशन नहीं उठातीं। उनकी निगरानी वन विभाग को करना है। शासन को मोटे अनाजों का समर्थन मूल्य भी निर्धारित करना चाहिए। बैगा के लिए दिए गए अनाज को व्यापारी सस्ते में खरीद रहे हैं।

अशिक्षा और जागरुकता में कमी

बैगा समुदाय में अशिक्षा अधिक है। यह समुदाय अपने पारंपरिक स्वरूप को बनाए रखने व उसी व्यवस्था में खुश रहा है। 30 साल से अधिक उम्र वर्ग में बहुत कम लोग पढ़े–लिखे हैं। माताओं में अशिक्षा अधिक है। जागरुकता के अभाव में कम उम्र में शादी, कम उम्र में गर्भ धारण करना, दो बच्चों के बीच अंतराल में कमी, बच्चों को मां का दूध, ठोस आहार देने आदि के तरीकों में परंपरागत तरीके को ही अपनाया जाता है। ग्राम पोंडी में 25 परिवारों के सर्वे से प्राप्त जानकारी के आधार पर गौर करें तो कोई भी मां पढ़ी–लिखी नहीं है। पोंडी में विवाह की उम्र 16 साल है और आधे से अधिक मामले में महिलाएं 18 साल से कम उम्र में गर्भवती हो जाती हैं। दो बच्चों के मध्य अंतराल भी 3 साल से कम है, कई मामलों में तो 2 साल से भी कम है। इन वजहों से बच्चों की उचित देखभाल में कमी हो जाती है।

अध्याय 4

चर्मकार समुदाय में कुपोषण की स्थिति: अध्ययनित गांव चारूवा का विश्लेषण

चर्मकार समुदाय में कुपोषण की स्थिति को समझने के लिए हरदा जिले के ग्राम चारूवा का अध्ययन किया गया। मध्यप्रदेश में चर्मकार समुदाय के लोग प्रायः आदिवासी इलाकों को छोड़कर सभी क्षेत्र में बसे हुए हैं। उत्तरी मध्यप्रदेश एवं मालवा के जिलों में इस समुदाय की जनसंख्या अधिक है जबकि, दक्षिणी एवं पूर्वी मध्यप्रदेश में अपेक्षाकृत कम है। चर्मकार समुदाय के साथ सदियों से सामाजिक भेदभाव रहा है।

चारूवा गांव की सामाजिक आर्थिक स्थिति का विश्लेषण

ग्राम चारूवा हरदा जिले के खिरकिया विकासखंड में हरदा से 45 एवं खिरकिया से 10 किमी दूर स्थित है। यह जिले के बड़े गांवों में शामिल है। यहां कुल 892 परिवार रहते हैं एवं जनसंख्या 4,690 है। यह चार गांवों से मिलाकर बना है। हरिपुरामाल, महलपुरा दमामी, महलपुरा माल और जाधोपुरा गांव एक-दूसरे के बेहद नजदीक थे। समय के साथ आबादी बढ़ती गई और गांवों की सीमाएं आपस में जुड़ गई। चार गांव के मिल जाने से इसे चारुवा कहा जाने लगा। यह ऐतिहासिक गांव है, जहां प्राचीन समय का शिवमंदिर स्थापित है। पूर्व में विभिन्न राजाओं ने सैनिकों के विश्राम, आगे सेना को पहुंचाने और सुरक्षित ठिकाने के रुप में इस जगह का उपयोग किया। 1860 में यह इलाका पूरी तरह ब्रिटिश आधिपत्य में आ गया। वर्तमान में चारुवा एक विकसित पंचायत है। मुख्य रूप से यह गांव अब व्यवसायियों, छोटे धंधे करने वालो का गांव है। खेती की जमीन बहुत सीमित लोगों के पास है। यहां विभिन्न जातियों के लोग रहते हैं जिसमें मुख्य रूप से राजपूत, गुर्जर, प्रजापति, ब्राह्मण, कुशवाह, अग्रवाल, मुस्लिम, बलाई, चर्मकार आदि हैं। चारूवा आर्थिक रूप से समृद्व है। जैन समाज यहां सबसे समृद्धशाली है। यहां व्यापार करने वाले लोगों के अलावा नौकरी पेशा वर्ग और किसानों के घर हैं। कुछ परिवार खुदरा व्यवसायी मजदूरी करने वाले भी हैं जो दिहाड़ी आधार पर अपनी आजीविका चलाते हैं। चारूवा में सोयाबीन नकदी फसल के रूप में बोयी जाती है। सोयाबीन के अलावा गेहूं और चना, मक्का धान आदि फसलें उगाई जाती हैं।

मुस्लिमों, बलाई और चर्मकारों की अपनी अलग-अलग बस्ती है। चर्मकारों की 35-40 परिवारों की बस्ती है, जिनकी जनसंख्या लगभग 200 है। वर्ग और जाति भेद यहां दिखाई देता है। खान-पान, पीने के पानी के सार्वजनिक स्रोतों में भेदभाव है। स्कूल में मध्यान्ह भोजन साथ में दिया जाता है, लेकिन अन्य जातियों के बच्चे उनसे परहेज करते हैं। चर्मकार समुदाय की बसाहट में स्थित आंगनवाड़ी में केवल चर्मकार समुदाय के ही बच्चे आते हैं, इसलिए आंगनवाड़ी में किसी तरह के भेदभाव की स्थिति देखने को नहीं मिलती।

चर्मकार समुदाय के परिवार प्रायः एक गांव में कम संख्या में बसे होते हैं। ज्यादातर गांवों में इनकी संख्या 2 से 4 परिवारों की ही होती है। चारूवा में 50 बच्चे न होने के कारण उसी क्षेत्र के अन्य गांवों से भी अध्ययन के लिए बच्चों एवं उनके परिवारों को शामिल किया गया। यहां पर हम चर्मकार समुदाय के सामाजिक आर्थिक स्थिति का संक्षिप्त विश्लेषण करेंगे। चारूवा के अलावा सभी गांवों के चर्मकार समुदाय के लोगों की स्थिति एक जैसी ही है। वर्तमान में चर्मकार समुदाय के ज्यादातर लोग मजूदरी और खेती के कामों में संलग्न हैं। कुछ परिवारों के लोग नौकरी में लगे हैं जबकि, कुछ परिवारों के लोग अपने परंपरागत व्यवसाय को जीवित रखा है।

तालिका क्रमांक 13
ग्राम चारूवा एवं अन्य गांवों के अध्ययनित परिवारों में जमीन एवं पशुधन का वितरण

कुल अध्ययनित परिवार	32
कुल जनसंख्या	195
सिंचित जमीन	12
असिंचित जमीन	29
कुल जमीन	41
प्रति परिवार कुल जमीन	1.4
प्रति परिवार गाय संख्या	0.2
प्रति परिवार बैलों की संख्या	0.5

उपरोक्त तालिका से जाहिर है कि चर्मकार समुदाय के परिवारों में खेती योग्य जमीन की बेहद कमी है। औसतन एक परिवार के पास केवल 1.4 एकड़ जमीन है। गांव में प्रति परिवार सदस्यों की संख्या 5 है। इस संख्या के मान से 1.4 एकड़ जमीन में जो उत्पादन होता है वह खाद्य जरूरतों को पूरा नहीं करता। पशुपालन भी चर्मकार समुदाय में कम ही है।

कृषि जमीन न होने के कारण चर्मकार समुदाय में आजीविका का कोई निश्चित आधार नहीं है। कुछ परिवारों के पास जमीन नहीं है जबकि, कुछ परिवारों के पास कम जमीन है। खेती के अलावा मजदूरी ही नियमित आय का जरिया है। मजदूरी गांव व आसपास के गांवों में गेहूं एवं सोयाबीन की कटाई के समय ही पर्याप्त रूप से मिल पाती है। पिछले कुछ सालों में हारवेस्टर द्वारा कटाई का चलन बढ़ने से मजदूरी में भी कमी आई है। मनरेगा के तहत भी पंचायत नियमित रूप से लोगों को काम नहीं दे रही है।

वित्तीय वर्ष 2011–2012 एवं 2012–2013 में 600 मजदूर हैं। इस दृष्टि से केवल 11 प्रतिशत लोगों को ही काम दिया गया। वर्तमान वित्तीय वर्ष में सितम्बर तक 504 लोगों ने काम की मांग की जबकि, केवल 79 लोगों को काम मिला। पंचायत सचिव जिन लोगों को काम उपलब्ध कराते हैं उन्हीं लोगों का नाम मांग रजिस्टर में दर्ज कर लेते हैं। इसके कारण काम की मांग करने वाले लोगों की सही संख्या मालूम नहीं पड़ती। चारूवा एवं अन्य गांवों के चर्मकार समुदायों के 32 परिवारों से प्राप्त जानकारी के अनुसार सभी के पास जॉब कार्ड था और काम की मांग की थी। 32 परिवारों में से 14 प्रतिशत परिवारों को ही काम मिला और इन परिवारों में से किसी को भी समय से मजदूरी नहीं प्राप्त हुई।

उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि चारूवा एवं अन्य अध्ययनित गांवों में चर्मकार समुदाय के जीविका के साधन बहुत सीमित हैं और परिवारों की सालाना आमदनी बहुत कम है। चर्मकार समुदाय के 50 प्रतिशत अध्ययनित परिवार गरीबी रेखा से नीचे है जबकि 1 परिवार अति गरीब है। औसतन एक परिवार को खेती से 10 से 25 हजार रुपये मजदूरी से 4 से 8 हजार रूपये एवं परम्परागत व्यवसाय से 20 से 25 हजार व अन्य कामों से कुल 3 से 6 हजार रुपये की आमदनी होती है। जो परिवार पारंपरिक व्यवसाय करते हैं वे अन्य कामों में नहीं जाते। कम आमदनी का असर चर्मकार समुदाय के जीने के तरीकों एवं पारिवारिक साधनों एवं सुविधाओं पर देखा जा सकता है।

तालिका क्रमांक 14
ग्राम चारूवा में मनरेगा के काम विवरण

वर्ष	कार्य विवरण	चारूवा
2011–2012	कुल मानव दिवस काम सृजित हुआ	1704
	कुल मजदूरों की संख्या जिन्हें काम मिला	53
	प्रति मजदूर औसत कार्यदिवस	32
	कुल मजदूरी	20 ,6851
	प्रति मजदूर औसत मजदूरी प्रति कार्यदिवस	121
2012–2013 सितम्बर 2012 तक	कुल मानव दिवस काम सृजित हुआ	2,186
	कुल मजदूरों की संख्या जिन्हें काम मिला	79
	प्रति मजदूर औसत कार्यदिवस	28
	कुल मजदूरी	2,88,552
	प्रति मजदूर औसत मजदूरी प्रति कार्यदिवस	132

चारूवा एवं अध्ययनित अन्य गांवों में ग्राम पंचायत द्वारा महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत काम का विवरण निम्न हैं

उपरोक्त तालिका से साफ स्पष्ट है कि चारूवा एवं अन्य अध्ययनित गांवों में मनरेगा के तहत लोगों को काम पर्याप्त नहीं मिल पा रहा है। पिछले वित्तीय वर्ष में केवल 53 मजदूरों को ही औसतन 32 दिवस का कार्य मिला। ग्राम चारूवा में लगभग

रहवास और जीवनशैली

91 प्रतिशत चर्मकार परिवार कच्चे और कई परिवार वर्षात में सीलन वाले घरों में रहते हैं, जिसमें केवल एक कमरा एवं बरामदा होता है और इसी एक कमरे में पूरा परिवार एक साथ रहता है। 69 प्रतिशत परिवारों के घरों में रसोई के लिए अलग से जगह नहीं है। रसोई उसी कमरे में या बरामदे में होती है। 30 प्रतिशत परिवारों के पास घरों में शौचालय है जबकि, चारूवा गांव में 14 में से केवल एक परिवार के पास ही शौचालय है।

चर्मकार समुदाय के घरों में 68 प्रतिशत के पास बिजली का कनेक्शन है जबकि, 6 प्रतिशत के पास एक बत्ती कनेक्शन है। अध्ययनित सभी गांवों में हैंडपंप है। 68 प्रतिशत परिवार पीने के पानी के लिए हैंडपंप, 22 प्रतिशत नल व 10 प्रतिशत परिवार कुंए का इस्तेमाल करते हैं। 85 प्रतिशत परिवार पीने के पानी का सार्वजनिक स्रोत प्रयोग करते हैं, केवल 15 प्रतिशत परिवारों के पास पीने के पानी हेतु निजी साधन मौजूद हैं।

तालिका क्रमांक 15
14 चर्मकार समुदाय में शिक्षा की स्थिति

शिक्षा का स्तर	पुरुष	%	महिला	%	कुल	%
अनपढ़	14	18.7	32	49.2	46	32.9
साक्षर	2	2.7	2	3.1	4	2.9
पांचवीं	35	46.7	12	18.5	47	33.6
आठवीं	11	14.7	15	23.1	26	18.6
10वीं	6	8.10	2	3.1	8	5.7
12वीं	4	5.3	1	1.5	5	3.6
ग्रेजुएट	3	4.0	1	1.5	4	2.9
कुल	75	100.0	65	100.0	140	100.0

शिक्षा का स्तर

चर्मकार समुदाय में शिक्षा का स्तर बैगा समुदाय की अपेक्षा बेहतर पर कमजोर है। चारूवा में 12वीं तक स्कूल है और यहां नवोदय विद्यालय भी है जबकि, अन्य गांवों में भी 8 वीं से 12 वीं तक स्कूल है। शिक्षा की सुविधाएं अपेक्षाकृत ठीक हैं। चर्मकार समुदाय के सर्वेक्षित परिवारों में शिक्षा की स्थिति को तालिका 15 में दर्शाया गया है।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि चर्मकार समुदाय के एक तिहाई लोग अशिक्षित है जबकि, आधी महिलाएं अशिक्षित हैं। एक तिहाई लोग 5 वीं तक पढ़े हैं जिसमें महिलाओं का प्रतिशत 18.5 है। आठवीं तक पढ़ी महिलाओं का प्रतिशत पुरुषों की अपेक्षा अधिक है। आठवीं से आगे की पढ़ाई में महिलाएं पुरुषों से पीछे हैं।

महिलाओं की स्थिति

चर्मकार समुदाय में महिलाओं की स्थिति बाकी अनुसूचित समुदायों के जैसे ही है, पर इन क्षेत्रों में दूसरी गैर अनुसूचित समुदायों से कुछ बेहतर है। चर्चा से ज्ञात हुआ कि महिलाओं को परिवार के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक फैसले लेने में पूरी तरह से आजादी नहीं है। जाति पंचायत में भी महिलाओं की भागीदार नहीं होती। महिलाओं के जीवन पर सामाजिक बंधन हैं। महिला एवं पुरूष की सहभागिता कुछ स्तरों पर बराबरीपूर्ण होती है, पर इसका असर महिलाओं के जीवन पर दिखाई नहीं देता।

स्वास्थ्य की स्थिति

चर्मकार समुदाय के लोगों से बातचीत से पता चला कि उनके गांव में मलेरिया, उल्टी–दस्त, पेट दर्द, खुजली, कमजोरी खून की कमी जैसी स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं। कुछ लोग टीबी जैसे गंभीर रोग से भी पीड़ित हैं। गांव में स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता बहुत कमजोर है। एएनएम और बहु–उद्देश्य स्वास्थ्य कार्यकर्ता गांव में आते हैं पर ये कार्यकर्ता चर्मकार समुदाय की बस्तियों या परिवारों में जाना पसंद नहीं करते। एएनएम आंगनवाड़ी केन्द्र तक ही अपने आपको सीमित रखती है। अध्ययनित तीन गांवों में उप स्वास्थ्य केन्द्र स्थित है और 2 गांवों के नजदीक गांव में है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सिराली एवं खिरकिया में स्थित है जो चारूवा से 10 किमी. दूर है। 6 साल से कम उम्र के कुल 50 बच्चों में अध्ययन के दौरान देखा गया कि पिछले तीन माह में 8 बच्चे डायरिया, 2 निमोनिया एवं 27 बच्चे बुखार के शिकार हुए। इनमें से 34 प्रतिशत बच्चों का सरकारी अस्पताल में इलाज कराया जबकि अन्य बच्चों को इलाज प्रायवेट डॉक्टर या अस्पताल में हुआ। केवल बुखार की शिकायत वाले 10 प्रतिशत बच्चों का घरेलू इलाज किया गया।

बच्चों की देखभाल और उनकी अस्वच्छता भी कुपोषण को बढ़ाने में एक कारक बनती है। ग्राम चारूवा एवं अन्य सर्वेक्षित गांवों में लगभग 74 प्रतिशत बच्चों को भोजन करने के पहले हाथ नहीं

धुलाया जाता। शौच के बाद भी 79 प्रतिशत से अधिक मामलों में बच्चों का हाथ नहीं धुलाया जाता।

पोषण का स्तर

पोषण स्वास्थ्य का पूरक होता है। इससे छोटे बच्चों यानी 6 साल से नीचे की उम्र वर्ग के बच्चों की सेहत प्रभावित होती है। उचित पोषण मां और परिवार द्वारा बच्चों की देखभाल से निर्धारित होता है। चर्मकार समुदाय में बच्चों की देखभाल और पोषण का स्तर सामाजिक–आर्थिक स्थिति से जुड़ा है। चारूवा गांव में समुदाय की स्थिति अन्य समुदायों के साथ बराबरी की नहीं है। चर्मकार समुदाय को गांव में निम्न दर्जा प्राप्त है और उनके साथ अनेक स्तरों पर भेदभाव बरता जाता है।

चर्मकार समुदाय के बच्चों में कुपोषण साफ तौर पर दिखाई देता है। कुपोषण के मामले ज्यादातर आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों में अधिक है। इस अध्ययन में हमने 6 साल से कम उम्र के बच्चों में कुपोषण को समझने का प्रयास किया है। चारूवा एवं अन्य सर्वेक्षित गांवों के कुल 32 परिवारों के 50 बच्चों का वजन, उंचाई और ऊपरी मध्य बांह की परिधि के जरिये कुपोषण के स्तर को जाना गया, जिसका विवरण तालिका क्रमांक 16 में है।

उपरोक्त तालिकाओं से स्पष्ट है कि चर्मकार समुदाय में 6 साल से कम उम्र के बच्चों में कुपोषण गंभीर रूप से व्याप्त है। कुल 46 प्रतिशत बच्चे कम वजन के हैं जबकि 22 प्रतिशत बच्चे अति कम वजन की श्रेणी में आते हैं। यहां एक उल्लेखनीय तथ्य यह सामने आ रहा है कि कुपोषण के मामलों में बालकों की संख्या अधिक है। बालिकाओं के 13 प्रतिशत की तुलना में 33 प्रतिशत बालक कम वजन के शिकार हैं। अति कम वजन के मामलों में इसके विपरीत स्थिति दिखाई देती है। अति कम वजन

तालिका क्र. 16
ग्राम चारूवा में पोषण का स्तर वजन एवं ऊंचाई के आधार पर

पोषण की स्थिति	बालक		बालिका		कुल	
	संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%
सामान्य पोषण	15	55.6	12	52.2	27	54.0
कम वजन	9	33.3	3	13.0	12	24.0
अति कम वजन	3	11.1	8	34.8	11	22.0
कुल	27	100.0	23	100.0	50	100.0
कम उंचाई (भारतीय औसत)	7	26	16	69	23	46
कम उंचाई (मध्यप्रदेश मध्यमान)	9	33	5	31	14	28

तालिका क्र. 17
ग्राम चारूवा में पोषण का स्तर आयु के अनुसार वजन एवं ऊंचाई के आधार पर

आयु वर्ग	सामान्य पोषण				कम वजन				अति कम वजन				कुल	
	बालक		बालिका		बालक		बालिका		बालक		बालिका			
	सं	%	सं	%	सं	%	सं	%	सं	%	सं	%	सं	%
0 – 6 माह	2	13.3	2	16.7		0.0		0.0		0.0		0.0	4	8.0
7 – 12 माह	4	26.7		0.0	1	11.1		0.0		0.0	1	12.5	6	12.0
13 – 24 माह	3	20.0	1	8.3	3	33.3		0.0	1	33.3	2	25.0	10	20.0
25 – 36 माह	3	20.0		0.0	1	11.1	1	33.3		0.0	3	37.5	8	16.0
37 – 48 माह	1	6.7	3	25.0	2	22.2		0.0	2	66.7		0.0	8	16.0
49 – 60 माह	1	6.7	4	33.3	2	22.2	2	66.7		0.0	2	25.0	11	22.0
60 – 72 माह	1	6.7	2	16.7		0.0		0.0		0.0		0.0	3	6.0
कुल	15	100.0	12	100.0	9	100.0	3	100.0	3	100.0	8	100.0	50	100.0

तालिका क्र. 18
ग्राम चारूवा में पोषण का स्तर मध्य बांह की परिधि के आधार पर

मध्य बांह की परिधि अनुसार कुपोषण	बालक		बालिका		कुल	
	संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%
सामान्य पोषण 12.5 से अधिक	17	63.0	15	65.2	32	64.0
कुपोषण 11.6 से 12.5 सेमी	8	29.6	6	26.1	14	28.0
गंभीर कुपोषण 11.5 सेमी एवं कम	2	7.4	2	8.7	4	8.0
कुल	27	100.0	23	100.0	50	100.0

के मामलों में बालिकाओं के 35 प्रतिशत की तुलना में बालकों की संख्या 11 प्रतिशत ही है।

चर्मकार समुदाय में बढ़ती उम्र के साथ कुपोषण के मामले बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तालिका क्रमांक 17 में कुपोषण के मामलों को आयु वर्ग के अनुसार दर्शाया गया है। तालिका 17 से स्पष्ट है कि 7 से 12 माह तक की वर्ग में सामान्य पोषण का प्रतिशत 26.7 है जबकि इसी आयु वर्ग में कम वजन एवं अति कम वजन का प्रतिशत बालक एवं बालिकाओं में क्रमशः 11 एवं 12.5 है। इसी तरह 2 साल की उम्र वर्ग में 20 प्रतिशत सामान्य पोषण की तुलना में कम वजन एवं अति कम वजन के मामले बालक वर्ग में 33 एवं बालिकाओं में 25 प्रतिशत तक दिखाई देते हैं। 6 साल की उम्र वर्ग में कुपोषण के मामले नहीं दिखाई दे रहे हैं। स्पष्ट है कि चर्मकार समुदाय में 2 से 5 साल की आयु बच्चों के लिए ज्यादा जोखिम वाली है।

यदि हम उंचाई के मामले में देखें तो कुल 46 प्रतिशत बच्चे कम उंचाई के हैं। तुलनात्मक रूप से बालिकाएं कम उंची हैं। कुल 69 प्रतिशत बालिकाएं भारतीय औसत से कम उंची हैं जबकि, 26 प्रतिशत बालकों की उंचाई कम है। मध्यप्रदेश के बच्चों से यदि तुलना करे तो चर्मकार समुदाय के 28 प्रतिशत बच्चे कम उंचाई के हैं। यहां बालकों की उंचाई बालिकाओं की तुलना में कम है। 31 बालिकाओं के मुकाबले 33 बालक कम उंचाई के हैं।

6 साल से कम उम्र वर्ग के बच्चों की मध्य बांह की परिधि भी कुपोषण की ओर इशारा कर रही है। तालिका क्रमांक 17 में मध्य बांह की परिधि के अनुसार कुल 28 प्रतिशत बच्चे कुपोषण की श्रेणी में हैं जबकि, 8 प्रतिशत बच्चे गंभीर कुपोषण के शिकार हैं। यहां भी बालकों के मुकाबले बालिकाएं कम कुपोषित हैं जबकि, गंभीर कुपोषण बालिकाओं में ज्यादा है।

ग्राम चारूवा एवं अन्य गांवों में चर्मकार समुदाय में 50 बच्चों की माप के बाद कुपोषण की जो तस्वीर उभरी है वह बेहद गंभीर है। इस स्थिति से निपटने के लिए बनाई गई योजनाओं का क्रियान्वयन कमजोर दिखाई देता है। आंगनवाड़ी के रिकार्ड में बहुत कम बच्चे ही कुपोषण के शिकार हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा नियमित रूप से बच्चों को वजन हीं नहीं लिया जाता है। ग्राम चारूवा में आंगनवाड़ी केन्द्र में बच्चों के पोषण की स्थिति तालिका 20 में दी गई है।

आंगनवाड़ी से प्राप्त जानकारी के अनुसार कुल 7 बच्चे (2 बालक कुपोषित एवं 2 बालक गंभीर कुपोषित, 3 बालिका

तालिका क्रमांक 19
आंगनवाड़ी में दर्ज बच्चे एवं उनका पोषण स्तर

आयु समूह	बालक	बालिका	कुल	बालक (कुपोषण ग्रेड)			बालिका (कुपोषण ग्रेड)		
				सामान्य	कुपोषित	गंभीर कुपोषित	सामान्य	कुपोषित	गंभीर कुपोषित
0–3	21	21	42	17	2	2	18	3	0
3–6	22	19	41	22			19	0	0
कुल	43	40	83	39	2	2	37	3	0

तालिका क्रमांक 20
चर्मकार समुदाय के बच्चों की स्थिति

आयु समूह	बालक	बालिका	कुल	बालक (कुपोषण ग्रेड)			बालिका (कुपोषण ग्रेड)		
				सामान्य	(कम वजन)	(अति कम वजन)	सामान्य	(कम वजन)	(अति कम वजन)
0–3	8	8	16	8	0	0	7	1	0
3–6	9	10	19	9	0	0	10	0	0
कुल	17	18	35	17	0	0	17	1	0

कुपोषित) यानी 8.4 प्रतिशत बच्चे कुपोषित हैं। यानी 9.4 प्रतिशत बालक एवं 7.3 प्रतिशत बालिकाएं कुपोषित हैं। कुल तीन बच्चे गंभीर कुपोषित हैं जो कि बालिकाएं हैं। आंगनवाड़ी द्वारा प्राप्त इन आंकड़ों पर नजर डालें तो साफ स्पष्ट है कि चर्मकार समुदाय में कुपोषण नगण्य है। केवल एक बालिका का वजन कम है। कुपोषण के मामले सबसे अधिक पिछड़े वर्गों के बच्चों में है जबकि आदिवासी समुदाय के बच्चों में कुपोषण के मामले नहीं देखे जाते। कुपोषण के मामले केवल 0 से 3 वर्ष की आयु समूह में है।

मां के अनुभव

कुपोषण का एक बड़ा कारण मां एवं बच्चों की देखभाल के तरीकों से जुड़ा है। गर्भस्थ शिशु से लेकर बच्चों के जन्म और उसके किशोरावस्था तक पहुंचने में मां की भूमिका ज्यादा अहम होती है। इस अध्ययन में हमने 6 साल से कम उम्र के बच्चों की देखभाल के संदर्भ में मां के अनुभवों को समझने का प्रयास किया है। कम उम्र में विवाह का होना, कम उम्र में बच्चे को जन्म देना, जन्म के समय सावधानियां, खाने पीने की चीजों में स्वच्छता

तालिका क्रमांक 21
ग्राम चारूवा में मां के अनुभव

मां के अनुभव	संख्या (%)
मां जो कभी स्कूल नहीं गईं	50
मां जो साक्षर हैं	9
मां जो पांचवीं पास हैं	22
मां जो आठवीं या अधिक शिक्षित हैं	19
मां जो बच्चों की देखरेख से संबंधित फैसले खुद लेती हैं	26
मां जिन्होंने कुपोषण के बारे में सुना है	25
मां जो कुपोषण एवं उसके कारणों के बारे में जानकारी रखती हैं	6
मां जिन्होंने संस्थागत प्रसव कराया	69
मां जिन्हें जन्म के समय अपने बच्चे का वजन पता था	25
मां जिन्होंने बच्चे को पहला आहार मां का दूध पिलाया	91
मां जिन्होंने 1 घटे के अंदर मां का दूध नवजात शिशु को पिलाया	59
मां जिन्होंने नवजात शिशु को कोलेस्ट्रम युक्त दूध पिलाया	91
मां जिन्होंने शिशु की 6 माह की उम्र होने पर ठोस आहार देना शुरू किया	78
मां जिन्होंने 6 माह से भी कम उम्र में बच्चे को मां का दूध पिलाना बंद कर दिया	0

आदि कई ऐसे मामले हैं जिनमें ध्यान देने की जरूरत होती है। चारूवा एवं अन्य सर्वेक्षित गांवों में हमने मां के अनुभवों को समूहों में भी और व्यक्तिगत रूप से परिवारों में भी दर्ज किया है। चर्मकार समुदाय की महिलाओं का कहना था कि बच्चे कम हो रहे हैं तो भी कमजोरी आ रही है। समुचित खानपान की सुविधा न होने के कारण ऐसा हो रहा है। हमारी रोजी–रोटी के साधन कमजोर हैं। घर में बच्चों के लिए दूध भी नहीं है।

बच्चों की देखभाल और दूध पिलाने के तरीके भी कुपोषण को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। मां का ज्ञान इस संदर्भ में अच्छा होने से बच्चों को संक्रमण के मामले कम होते हैं और बच्चों को कुपोषण से सुरक्षा मिलती है। ग्राम चारूवा एवं अन्य अध्ययनित गांवों में मां के अनुभवों से जाहिर होता है कि बच्चों को कुपोषित होने में मां का ज्ञान महत्वपूर्ण है। चर्मकार समुदाय की कुल 32 महिलाओं के अनुभवों के निम्न परिणाम सामने आए –

तालिका क्रमांक 21 से स्पष्ट है कि ज्यादातर माताएं स्कूल नहीं गई हैं। बच्चों की देखरेख से संबंधित फैसले भी ज्यादातर महिलाएं लेने में सक्षम नहीं हैं। केवल 26 प्रतिशत महिलाएं बच्चों से संबंधित फैसले खुद करती हैं। 91 प्रतिशत महिलाओं ने नवजात शिशु को पहला पीला एवं गाढ़ा दूध पिलाया। 59 प्रतिशत महिलाएं ही नवजात शिशुओं को जन्म के एक घंटे के अंदर दूध पिला पाई हैं जबकि 40 प्रतिशत से अधिक माताओं ने शिशुओं को एक दिन के अंदर या उससे भी अधिक समय बाद दूध पिलाया। दूध न पिलाने का मुख्य कारण परिवार की सलाह है जिसमें कहा जाता है कि मां का पहला दूध साफ नहीं होता है। 25 प्रतिशत माताएं ही कुपोषण के बारे में जानती हैं एवं 6 प्रतिशत को ही कुपोषण के कारणों के बारे में पता है।

तालिका क्रमांक 22

ग्राम चारूवा में 3 से 6 साल के बच्चों में औसत खाद्य पदार्थों की उपलब्धता

खाद्य पदार्थ	अनाज	मिलेट	दालें	पत्तेदार सब्जी	अन्य सब्जी	जड़/कंद	तेल/घी	फल	मछली	मांस	अंडे	दूध	चीनी गुड़
आईसीएमआर द्वारा अनुशंसित	200		50	75	50		25	50	30			250	40
उपलब्ध मात्रा	200	0	10	30	20	0	10	5	10	10	5	25	5

तालिका क्रमांक 23

ग्राम चारूवा में 3 से 6 साल के बच्चों के खाद्य में पोषक तत्वों की उपलब्धता

पोषक तत्व	प्रोटीन	कैलोरी	वसा	कैल्शियम ग्राम	लौह तत्व मिग्रा	विटामिन ए मिग्रा	थियामिन मिग्रा	रिबोफ्लोबिन मिग्रा	नियासिन मिग्रा	विटामिन सी मिग्रा
आईसीएम आर द्वारा अनुशंसित	31	1400	20	0.4	18	0.9	0.8	1.0	10	50
उपलब्ध मात्रा	32.566	831.3292	22.359	0.3	7.6	0.6	1.0	0.7	95	15.2
कमी	+1.5	–768.68	+2.35	–0.1	–10.31	–0.3	+0.2	–0.3	–05	–34.7
कमी (प्रतिशत में)	4.8	54	+11	25	57	33	25	30	5	69

स्रोत : ग्राम पोंडी के 8 बच्चों के खुराक सर्वेक्षण का दैनिक औसत – साप्ताहिक सर्वे के आधार पर

बच्चों के खानपान का स्तर

प्रस्तुत अध्ययन में हमने बच्चों के खानपान के स्तर को मापने का प्रयास किया है। इस मापन के काम में कई तरह की मुश्किलें आईं। लोगों को बच्चों को दिए जाने वाले आहार की मात्रा के बारे में पता नहीं होता। अतः हमने इस संबंध में माता–पिता से प्राप्त जानकारी के आधार पर एक मोटा आकलन किया है। अतः यह आकलन जरूरी नहीं है कि बच्चों द्वारा रोजाना खाए जाने वाले खाद्य पदार्थों की बिल्कुल सही तरह से प्रदर्शित करे। पर इससे चारूवा गांव में बच्चों को मिल रही खुराक का अंदाज लगाया जा सकता है।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि अनाज की मात्रा तो बच्चों को पर्याप्त मिल रही है, लेकिन अन्य सभी तरह के खाद्यों की मात्रा कम प्राप्त हो रही है। भरपूर मात्रा में पोषक तत्व प्रदान करने वाले खाद्य पदार्थ जैसे दाल, सब्जियां, दूध, तेल और चीनी आदि बच्चों के खाने में बहुत कम मात्रा में उपलब्ध है। आंगनवाड़ी में जो खाद्य उपलब्ध कराया जा रहा है उसमें भी तेल, दालों, दूध की मात्रा ठीक नहीं है। आंगनवाड़ी में बच्चों की उपस्थिति आधे से भी कम रहती है। आंगनवाड़ी खाद्य पदार्थों की कमी को पूरा करके संतुलन बना सकती है, लेकिन ग्राम चारूवा के अनुभव बताते हैं कि आंगनवाड़ी बच्चों को खाद्य सुरक्षा देने में पूरी तरह से सफल नहीं हो पा रही है। आंगनवाड़ी बच्चों के विकास एवं पोषण के लिए गांव स्तर पर मुख्य संस्था है। इसे बेहतर बनाने के लिए गांव के लोगों के प्रयास नगण्य हैं।

उपरोक्त तालिका एक नमूने के तौर पर चर्मकार समुदाय के बच्चों को मिलने वाले खाद्य पदार्थों में उपलब्ध पोषक तत्वों की मात्रा को दर्शाती है। उपलब्ध भोजन की मात्रा में वास्तविक मात्रा से दैनिक और मौसमी आधार पर अंतर हो सकता है। बच्चों को मिलने वाले आहार की मात्रा माता–पिता से पूछकर निर्धारित की गई है। इसको मापना संभव नहीं हो सका। तालिका में केवल प्रोटीन, वसा एवं थियामिन की मात्रा कुछ अधिक है। बाकी सभी पोषक तत्वों में 5 से 69 प्रतिशत तक की कमी दिखाई देती है।

बच्चों के दैनिक आहार में मुख्य तौर पर फल, दूध, हरी सब्जियों की कमी है। इसका असर विटामिन की कमी के रूप में देखा जा सकता है। साथ ही कैलोरी की मात्रा भी प्रभावित होती है। कैलोरी की कमी की वजह से बच्चों का विकास और वजन धीमी गति से बढ़ता है। यहां उल्लेखनीय है कि यदि प्रोटीन की मात्रा पर्याप्त हो तो भी फायदा नहीं होता। बच्चों में शारीरिक विकास तेज गति से होता है। इस समय अधिक उर्जा की जरूरत होती है। अनेक अध्ययनों के अनुसार प्रति किलोग्राम यदि 10 कैलोरी ऊर्जा कम हो जाए तो शारीरिक वृद्धि रूक जाती है। अतः इस समय बच्चों को स्टार्च युक्त भोजन पर्याप्त मात्रा में मिलना जरुरी होता है।

आंगनवाड़ी की सेवाओं की स्थिति

इस अध्ययन के तहत हमने आंगनवाड़ी केन्द्रों की कुपोषण को दूर करने में भूमिका को समझने का प्रयास किया है। ग्राम चारूवा में आंगनवाड़ी केन्द्र एक पक्के भवन में लगता है। इस भवन के पास में ही एक हैंडपंप है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता गांव की बेटी है जो 25 किमी दूर स्थित छनेरा में रहती हैं। यह कार्यकर्ता चर्मकार समुदाय की ही हैं और गांव की महिलाओं एवं बच्चों के साथ

तालिका क्रमांक 24
आंगनवाड़ी सेवाओं की उपलब्धता के बारे में महिलाओं का फीडबैक

क्रं.	आंगन्वाड़ी की सेवाएं	कुल महिलाएं	जवाब		नियमित		अनियमित		पता नहीं	
			संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%
1	पोषाहार खिलाना	32	28	87.5	18	64.3	9	32.1	1	3.6
2	टीकाकरण कराना	32	31	96.9	2	6.5	28	90.3	1	3.2
3	प्रसव पूर्व जांच	32	28	87.5	2	7.1	24	85.7	2	7.1
4	अनौपचारिक शिक्षा	32	21	65.6	1	3.6	14	66.7	6	28.6
5	संदर्भ सेवाएं	32	11	34.4	2	7.1	3	27.3	6	54.5
6	बच्चों का वजन लेना	32	30	93.8	1	3.6	28	93.3	12	40.0
7	गृह भेंट	32	15	46.9	7	25.0	7	46.7	1	6.7
8	स्वास्थ्य परामर्श	32	14	43.8	7	25.0	7	50.0	0	0.0
9	पोषाहार घर के लिए देना	32	27	84.4	20	71.4	0	0.0	7	25.9

उसका घनिष्ठ संबंध है। अध्ययन के दौरान 4 दिन आंगनवाड़ी केन्द्र का दौरा किया गया, लेकिन आंगनवाड़ी में बच्चों की संख्या आधी से भी कम थी। आंगनवाड़ी केन्द्र में आसपास के सभी घरों के 6 साल से कम उम्र के बच्चों का नाम दर्ज हैं। आंगनवाड़ी द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के बारे में गांव के लोगों की आम राय थी कि आंगनवाड़ी खुलती है। ज्यादातर लोग आंगनवाड़ी को पोषण आहार वितरण का केन्द्र ही समझते हैं।

चर्मकार समुदाय की महिलाएं आंगनवाड़ी की सेवाओं को सीधे तौर पर कार्यकर्ता से जोड़कर फीडबैक देती हैं। उनका जवाब कार्यकर्ता को प्रभावित न कर दे, इस बात को ध्यान में रखते हुए ही वे बात करती हैं। यह आम धारणा है कि यदि सही जानकारी दी तो इसे कार्यकर्ता नाराज हो जाएगी। इसलिए उन्होंने आंगनवाड़ी के बारे में पहले तो हां में जानकारी दी पर आगे के सवालों में उनके उत्तर से बात समझ में आती है। 87 प्रतिशत महिलाएं जहां पोषण आहार खिलाने के बारे में राय देती हैं वहीं 32 प्रतिशत महिलाएं इसके अनियमित होने के बारे में भी राय रखती हैं। 97 प्रतिशत महिलाएं टीकाकरण के बारे में बताती हैं पर 90 प्रतिशत इसके अनियमित होने की भी बात कहती हैं। 93 प्रतिशत महिलाओं ने बच्चों के वजन लिए जाने की बात बताई, लेकिन केवल 3.6 प्रतिशत महिलाएं ही नियमित वजन के बारे में राय देती हैं।

आंगनवाड़ी की निगरानी के लिए बनी समिति के बारे में किसी को पता नहीं है। यह समिति आंगनवाड़ी के प्रभावी संचालन को सुनिश्चित नहीं करती। समिति के सदस्यों को न तो समिति के बारे में पता है और न ही आंगनवाड़ी को लेकर इनकी अपनी कोई आवाज है।

बाल विकास और कुपोषण को नियंत्रित करने वाले विभागों को पूरी तकनीकी सहायता और बजट प्राप्त होता है। अटल बाल आरोग्य मिशन भी इस दिशा में प्रयासरत है, पर आंगनवाड़ी, क्लस्टर और ब्लाक स्तर पर कोई सहयोगी तंत्र सक्रियता से काम करता नहीं दिखता जिससे कुपोषण को नियंत्रित किया जा सके।

कुपोषित बच्चों को नियमानुसार गहन देखभाल के लिए एनआरसी या अस्पताल में रखा जाना चाहिए। पर आंगनवाड़ी में नियमित रूप से वजन न करने के कारण सही स्थिति पता ही नहीं चलती है। कुपोषित बच्चों के लिए जो सेवाएं आंगनवाड़ी के स्तर पर दी जानी है वह भी उपलब्ध नहीं कराई जातीं।

पारंपरिक व्यवसाय छूटा, पर न मिला विकल्प – उपजा कुपोषण

पिछले 2 से 3 दशक पूर्व तक चर्मकार समुदाय की मुख्य आजीविका चर्मशोधन का काम था। इस व्यवसाय से जुड़े चर्मकारों के साथ समाज में भेदभाव किया जाता था। यह भेदभाव वर्णवादी व्यवस्था और कामों के बंटवारे के आधार पर प्रारंभ हुआ। मरे हुए पशुओं की खाल उतारने, उसे साफ करने और पकाकर सुरक्षित करने जैसी चर्मशोधन प्रक्रिया से जुड़े होने के कारण इस समुदाय को हेय दृष्टि से देखा जाने लगा। यह चर्मशोधन प्रक्रिया हमारे देश में सबसे पुरानी कारीगरी है। भारतीय उपमहादीप में सबसे पहले स्थापित होने वाला यही उद्योग था। मूल्यहीन प्रतीत होने वाले चर्म को सबके उपयोग के लायक की जाने वाली वस्तु में बदलना एक महत्वपूर्ण काम था। चर्मकार समुदाय के लोग मरे हुए पशुओं की खाल को बगैर छेदे उतारने की निपुणता रखते थे। चाकू के सटीक इस्तेमाल के लिए हाथों और आंखों का अच्छा तालमेल जरूरी होता है। इस तकनीक को आगे की पीढ़ियां सीखती गईं। यह शिक्षा सैद्धांतिक और व्यावहारिक थी। इस कार्य में लगे समुदायों को अलग–अलग भागों में अलग नामों से जाना जाता है। चर्मकार समुदाय द्वारा चर्मशोधन की प्रक्रिया पर्यावरण के लिए अनुकूल थी जिसमें नमक और पेड़ों की छाल का उपयोग किया जाता था। वर्तमान चर्मशोधन उद्योगों द्वारा बड़े पैमाने पर रसायनों का उपयोग होता है जो भीषण प्रदूषण फैलाते हैं।

वर्तमान चर्म उद्योगों ने चर्मकारों के पारंपरिक व्यवसाय को नष्ट कर दिया और इस समुदाय को अपने परंपरागत व्यवसाय को छोड़ने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा। नई पीढ़ी ने इसे अपने लिए सम्मानजनक व्यवसाय के रूप में नहीं स्वीकार किया और वर्तमान में लगभग 90 प्रतिशत से अधिक लोगों ने चर्मशोधन एवं इससे जुड़े कामों को छोड़ दिया है। इस व्यवसाय को छोड़ने के बाद इस समुदाय के सामने आजीविका की समस्या खड़ी हुई और चर्मकार समुदाय आर्थिक व सामाजिक स्तर कमजोर हो गया। इस समुदाय के कुछ परिवारों ने शिक्षा एवं अन्य कुशलता बढ़ाकर अपनी आजीविका को सुधारा है लेकिन अनेक परिवारों में अभी भी आजीविका के विकल्प नहीं बने हैं। उन्हें अपनी जीविका के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है। इस व्यवसायगत बदलाव व आजीविका के नए विकल्प में कमी के कारण समुदाय में सेहत और कुपोषण जैसी समस्याएं बढ़ी हैं। इसका असर छोटे बच्चों पर होना स्वाभाविक है।

चारूवा गांव के चर्मकार समुदाय के लोगों का कहना था कि पहले हमारा धंधा चलता था। बाजार में प्लास्टिक एवं बड़े कारखानों में बने जूतों एवं अन्य सामानों के आने से हमारा परंपरागत व्यवसाय बंद हो गया। सरकार ने चर्म व्यवसाय से जुड़े लोगों की मदद नहीं की। पहले जंगल से हेड़ा लाते थे जो चमड़ा पकाने के काम आता था। चमड़े में चूना भी डालते और साफ करके हेड़ा डालते और काहु की छाल डालकर चमड़े को लाल किया जाता था। जंगल का राष्ट्रीयकरण हो गया। जंगल से हेड़ा नहीं ला सकते और जंगल में हेड़ा अब रहा भी नहीं। पहले जंगल था, जमीन थी मवेशी पालते थे तो छोटे बच्चों को दूध, दही, मक्खन, घी मिलता था। अब चारा नहीं है। बड़े समुदाय और दबंग लोगों ने चरागाहों और सार्वजनिक जमीनों को भी कब्जे में ले लिया। गांव के आसपास कोई जमीन अब भूमिहीन और गरीब परिवारों के लिए नहीं बची है तो मवेशी भी पालना मुश्किल हो गया। हमें चर्म के काम का ही ज्ञान था तो वह काम आसानी से कर सकते थे। अब केवल मजदूरी कर सकते हैं जो हमेशा नहीं मिलती। अब बड़े पैमाने पर हारवेस्टर आने लगे हैं तो मजदूरी भी खत्म हो गई है।

ग्राम पंचायत में हमने 3 बार आवेदन दिया, पर काम नहीं मिला। पावती नहीं देते हैं। कहते हैं कि तुम्हारे क्षेत्र में बने तालाब का गहरीकरण होगा तो तुम्हें काम दे देंगे। हमारे समाज के 40 घरों में से केवल 8 घरों के पास ही जमीन हैं। 4 से 6 आदमी खोट ले लेते है बाकी मजदूरी ही करते हैं। कुछ लोग व्यापारी के यहां हम्माली करते हैं। प्रति बोरे के हिसाब से 5 से 10 रुपये दे देते हैं उतारने एवं चढ़ाने के जिससे 60 से 100 रुपए और सीजन पर ज्यादा भी मिल जाता है। इससे भी परिवारों की पूरी आजीविका नहीं चल पाती लोग कर्जदार हैं।

कुपोषित बच्चे करण की मां रजनी ने सर्वे के दौरान बताया कि हरदा जिले के ग्राम चारूवा में आज से 15 साल पहले विस्थापित होकर आए। परिवार के पास कई सालों तक राशन कार्ड नहीं रहा। जैसा कि पानी में घर, खेत ही नहीं डूबा, राशन कार्ड भी डूब गया है। जब मनरेगा या पंचायत से अन्य योजनाओं की लाभ की बात आई तो पंचायत द्वारा यह कह दिया जाता कि तुम्हारे पास राशन कार्ड नहीं। हमने छोटे घास की जमीन पर घर बनाया और 15 साल से रह रहे हैं लेकिन पट्टा नहीं है। अब हमारा किसी तरह इस साल के सर्वे में बीपीएल में नाम जुड़ गया तो कुटीर के लिए या शौचालय के लिए पट्टा मांग रहे हैं। पट्टा कहां से लाएं हमें जानकारी नहीं। पति को पेट पालने के लिए मोची का धंधा करना पड़ रहा है। मेरे 2 छोटे बच्चे हैं जिनके कारण घर में रहना पड़ता है। बच्चों को अलग से दूध कैसे पिलाऊं ?

रजनी की उम्र 35 साल है। वह बताती हैं कि मेरा विवाह 17 साल में हो गया और 18 साल में ही मां बन गई। पहले पति से मुझे 3 बच्चे हुए। मेरा पति बहुत शराब पीता था मुझे मारता था। मैंने दूसरी शादी की। दूसरे पति की पहली पत्नी ने पूरी जमीन, गहने बेच कर किसी के साथ भाग कर शादी कर ली। दूसरे पति से एक बेटी और दूसरा बेटा करण है। करण बहुत कमजोर पैदा हुआ उसको खिरकिया में 15 दिन अस्पताल में भी रखा फिर भी कोई अंतर नहीं आया। दूसरी बार भी आंनगवाड़ी कार्यकर्ता एवं नर्स ने भर्ती करने के लिए कहा, लेकिन हमको कहीं जाना था इसलिए हम अस्पताल नहीं जा पाए।

गांव में पानी तो हैण्डपम्प से लाते हैं, पर वहां छुआछूत भी है। हम पानी भरते हैं तो दूसरे समुदाय के लोग नीचे अलग खड़े रहते हैं और हमारे जाने के बाद हैण्डपम्प को धोते हैं। बुरा तो लगता है पर क्या करें ? घर पर शौचालय के लिए आवेदन दिया है, पर जमीन का पट्टा न होने के कारण कोई सुविधा नहीं मिलती। वे कहते हैं कि कुटीर भी दे देंगे, शौचालय भी देंगे पर पट्टा लाओ। आज हम 12 –15 साल से रह रहे हैं, पंचायत को पट्टा बनाकर देना चाहिए पर वे हमसे रिकार्ड मांगते हैं। एक कमरा है उस पर टीन डले हैं, रात में ठंड, गर्मी में गर्मी से परेशान रहते हैं। बरसात में घर में भी पानी आ जाता है, पर हमारी परेशानी किसी को नहीं दिखाई देती। छोटे बच्चे हैं वे भी परेशान होते हैं। रजनी के घर में एक पलंग, एक जोड़ी पुराने बिस्तर, एक कढ़ाही और गेहूं रखने की छोटी कोठी है। उसी में दो बड़े और छोटे बच्चों के साथ निवास कर रहे हैं। इसके पहले तो कूपन भी नहीं था। कहते थे कि जहां से आए वहां का पुराना कूपन जमा करो तब कूपन बनेगा। किन्तु इस साल बीपीएल सर्वे हुआ और हमारी किस्मत खुल गई। हमारा बीपीएल राशन कार्ड बन गया।

रजनी ने बताया कि उसके पति रोज 9 बजे बस स्टैंड पर जूते–चप्पल की मरम्मत करते हैं और मवेशी उठाने का काम कभी आता है, तो चले जाते हैं। चारूवा में 20 से 50 रुपए मिल जाते हैं, लेकिन जब दो बच्चे हो गए जरूरत बढ़ी तो खिरकिया में भी फेरी लगाकर जूते–चप्पल की मरम्मत करने लगे। एक दिन में 100 रुपए मिल जाते हैं। रजनी अपनी परेशानी बताते हुए कहती हैं कि मैं और मेरे बच्चे पति की आमदनी पर ही आश्रित हैं। छोटे बच्चे होने के कारण मजदूरी पर नहीं जा पाती हूं। एक बार जाने की कोशिश की तो मिस्त्री ने मना कर दिया कहा कि तुम बच्चों को संभालोगी या मजदूरी करोगी।

पंचायत में मनरेगा के तहत हमसे खाता खुलवा लिया और खाता नम्बर ले गए लेकिन जॉब कार्ड नहीं दिया हमने मांगा तो कहा कि काम करोगे तो देंगे नहीं तो नहीं देंगे। मेरे पति को निंदाई और मजदूरी का काम अच्छा नही लगता है इसलिए वे नहीं जाते हैं। मै छोटे बच्चे होने के कारण नही जा पाती इसलिए जॉब कार्ड नहीं मिला।

अनाज की कमी और घर चलाने में परेशानी तो सालभर ही आती है, लेकिन बरसात में अधिक परेशानी रहती है। जब से बीपीएल का कार्ड मिला तब से अनाज मिल जाता है। अभी 3 महीने के 58 किलो गेहूं और 2 किलो चावल दिए।इसके अलावा 2 किलो 900 ग्राम शक्कर और 5 लीटर मिट्टी का तेल मिला। गेहूं अच्छा या बुरा मिलना डीलर पर निर्भर है। कभी बोरी में खराब मिलता है तो हम बदलने की कहते हैं तो वो चिढ़ता है, कहता है कि नखरे मत करो। लेना हो तो लो, नहीं तो मत लो। मजबूरी में लाना पड़ता है। बच्चे को सुबह उठते से ही भूख लगने पर बिस्कुट देते हैं। कभी–कभी कुरकुरे खिला देते हैं। बच्चा 1 रुपए की थैली वाले कुरकुरे खा रहा था। कई बार इस थैली में अधिक दिन दुकान पर रखे होने या पुराने होने पर इल्ली हो जाती है, जो कुरकरे के रंग जैसी व छोटी होने के कारण दिखाई नहीं देती है।

वह बताती है कि आंनगवाड़ी से मिलने वाले एक पेकैट को हम एक दिन बना लेते हैं और घर के सभी लोग खा लेते हैं। डॉक्टर ने तो इसे रोज दूध पिलाने को कहा है, पर इतनी महंगाई में हम दूध कैसे लाएं ? जिस दिन पति की ज्यादा कमाई हो जाती है उस दिन दूध ले आते हैं तो हम पिला देते हैं। जो घर पर रोटी–दाल बने वो ही देते है। बच्चों को कभी–कभी चावल लाकर खिलाते हैं। दाल भी महंगी है तो रोज इसको दाल नहीं दे पाते। तुअर की दाल 80 रुपये किलो है। मैं भोपाल की रहने वाली हूं। यहां गांव में निंदाई और खेत का सोयाबीन काटने का काम मुझसे नहीं होता है। निर्माण कार्य में मजदूरी या हम्माली का काम कर सकती हूं। गांव के लोग इसमें भी भेदभाव करते हैं। घर के अंदर काम हो तो नहीं बुलाते हैं। पानी भी अलग गिलास में देते हैं।

बच्चे के कमजोर होने के बारे में रजनी कहती हैं कि हर महीने तो तोलते हैं, लेकिन वजन नहीं बढ़ रहा है। कमजोर तो है, पर हम क्या करें ? जैसा घर में है वैसा खिलाते हैं। बीमार पड़ता है तो अस्पताल ले जाते हैं। बस में आने जाने का 20 रुपए लगते हैं। सरकारी अस्पताल में दवाई बिना पैसे की मिल जाती है। गांव के उपस्वास्थ्य केन्द्र के बारे में रजनी ने बताया कि वहां केवल टीकाकरण होता है। दवा गोली नहीं मिलती। खिरकिया में 15 दिन के लिए भर्ती करवाया था, तब जरूर वजन बढ़ा था किन्तु अब यहां आया तो वैसा ही वजन हो गया।

ग्राम चारूवा में केवल एक रजनी की ही कहानी नहीं है, कई परिवारों में यही हाल देखा जा सकता है। आजीविका की तलाश में पिछले कई सालों से चर्मकार समाज की जद्दोजहद चल रही है। इस जद्दोजहद में बचपन घोर संकट में फंसता नजर आ रहा है।

समाज के सामने वैकल्पिक रोजगार को लेकर भी संकट है। कुछ साल पहले चारूवा गांव के चर्मकार समुदाय के किसी रिश्तेदार ने शिवरात्रि पर लगने वाले चारूवा मेले में चाय की दुकान लगा ली तो गांव के कुछ लोगों ने इसका विरोध किया कि नीची जाति के लोग चाय की दुकान कैसे लगा सकते हैं। चारूवा का मेला धार्मिक स्थान पर लगता है। मेले में उसे दुकान नहीं लगाने दी गई। इस घटना के बाद कई परिवार रोजगार न होने पर भी धंधा करने का नहीं सोचते है क्योंकि, लोग उनके धंधे को जाति से जोड़ते हैं। अब यदि मेले में दुकान भी लगाते हैं तो केवल परम्परागत धंधा यानी जूता–चप्पल बेचने या रिपेरिंग की। चर्मकार समुदाय इस घटना से काफी आहत हुआ और अब भी उनके मन में डर है कि लोग सोचेंगे की चमार की दुकान है। एक–दो युवाओं ने सब्जी दुकान लगाई भी तो उन्हें बाजार में अलग जगह मिलती है। उनसे सब्जी नहीं खरीदी जाती। जो लोग उन्हें नहीं जानते थे वे ही दुकान से सामान लेते हैं।

आजीविका छिनी – गहराया बच्चों पर संकट

चर्मकार समुदाय में 6 साल से कम उम्र के बच्चों के पोषण स्तर को कई कारक प्रभावित करते हैं। पोषण या कुपोषण के स्तर को अलग से नहीं देखा जा सकता। इस स्थिति को समग्रता से देखने की जरूरत है। कुपोषण को बढ़ाने में सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक कारक उत्तरदायी हैं। चर्मकार समुदाय कर पारंपरिक व्यवसाय खत्म होने के बाद अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है और नई व्यवस्था बनने में अभी भी कई दिक्कतें आ रही हैं। गांव के लोगों में अशिक्षा है, इसके चलते बिगड़ती आर्थिक हालत को संभालने व नए विकल्प खड़े करने की क्षमता नहीं बन पा रही है। इसका नतीजा यह हुआ है कि शासकीय योजनाओं पर निर्भरता बढ़ी है। विकास योजनाओं का भरपूर लाभ उठाने के लिए भी लोगों को पर्याप्त जानकारी नहीं है।

नकदी फसल का चलन

हरदा क्षेत्र में कपास, धान, मक्का, ज्वार, अरहर, कोदो, कुटकी, तिल आदि फसलों का स्थान सोयाबीन ने ले लिया है। अब इन फसलों की बोवनी 10 प्रतिशत भी नहीं बची है। धान एवं मक्का कुछ क्षेत्रों में अभी भी बोए जा रहे हैं, पर अन्य कई पोषक फसलों के खत्म होने से भोजन में विविधता भी खत्म हो गई है। सोयाबीन से आय तो बढ़ी है, पर उस राशि का उपयोग लोगों की सेहत या उनके खानपान स्तर से नहीं जुड़ पाया। क्षेत्र में शराब का चलन बढ़ा है, जिसका विपरीत असर खानपान और पोषण पर पड़ा है। सोयाबीन हाई प्रोटीन एवं कैलोरी देने वाली फसल है, पर उसका लाभ लोगों को नहीं मिलता क्योंकि, इसकी प्रोसेसिंग के स्थानीय तौर तरीके नहीं हैं। सोयाबीन बेचकर लोग परिवार में मोटर साइकिल, टीवी व अन्य सुख–सम्पन्नता की वस्तुए खरीदते हैं और भोजन या सेहत पर कम खर्च करते हैं। यद्यपि कि चर्मकार समुदाय के पास बहुत कम जमीन है, पर सोयाबीन के कारण दूसरी फसलों का स्थानीय बाजार नहीं है। लोगों को बाजार से ही अनाज खरीदना पड़ता है जो कि महंगा है।

खेती में स्थानीय मजदूरों का कम उपयोग

पिछले कुछ सालों में हरदा क्षेत्र में सोयाबीन और गेहूं की कटाई के समय पंजाब एवं हरियाणा राज्यों से हारवेस्टर आने लगे हैं। इस कारण अब खेती में मजदूरी के अवसर घटे हैं। चर्मकार समुदाय के लिए खेती मजदूरी ही आजीविका का एकमात्र सहारा रहा है। मजदूरी न मिलने से आजीविका पर नया संकट खड़ा हो गया है। इसकी वजह से इन समुदायों की खाद्य सुरक्षा एवं पोषण की जरूरतें पूरा होने में दिक्कतें हो रही हैं।

स्थानीय चर्म व्यवसाय को बाजार ने निगला

चर्मकार समुदाय की आजीविका का साधन चर्म व्यवसाय रहा है। इस व्यवसाय को बड़े चर्म उद्योगों एवं जूते बनाने वाली कंपनियों ने खत्म कर दिया। अब बाजार में लोग कंपनियों द्वारा निर्मित सस्ते जूतों का उपयोग करते हैं। चर्मकार द्वारा बनाए गए जूतों की मांग कम हो गई है। चर्मकार समुदाय का पारंपरिक व्यवसाय तो लगभग खत्म हो गया, पर उसके बदले में उन्हें केवल मजदूरी का ही सहारा मिला। मजदूरी का भी कोई ठिकाना नहीं है। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना ने भी चर्मकार समुदायों को निराश किया है। किसी भी परिवार को पंचायत 20 से 25 दिन से ज्यादा काम नहीं देती है।

जलजनित रोगों में वृद्धि

चारूवा गांव एवं आसपास के अन्य अध्ययनित चर्मकार समुदाय में भी 50 में से 8 यानी 4 प्रतिशत बच्चों को उल्टी–दस्त की शिकायत पाई गई। चारूवा में पिछले कुछ सालों में उल्टी–दस्त के मामले बढ़े हैं। गांव में बस्ती की सघनता बढ़ने के कारण अब आसपास शौच के लिए जमीन की कमी है। बच्चों को आसपास के गलियों में शौच करते देखा जा सकता है। इस वजह से बच्चों में संक्रमण बढ़ने की अशंका बढ़ जाती है।

शासकीय नीति एवं कार्यक्रम स्थानीय जरूरतों को पूरा करने में कारगर नहीं

ग्राम चारूवा एवं अन्य गावों में चर्मकार समुदाय के लोगों 53 लोगों को मनरेगा में औसतन 32 दिन ही काम मिला है। इन मजदूरों को पूरे 100 दिन का काम देने की व्यवस्था पंचायत द्वारा नहीं कराई जा रही है।

समेकित बाल विकास योजना बच्चों के कुपोषण को दूर करने और पोषण सुरक्षा देने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है, लेकिन आंगनवाड़ी के संचालन में चारूवा के चर्मकार मोहल्ले में कुछ दिक्कतें सामने आई हैं। आंगनवाड़ी नियमित रूप से खुलती है, पर बच्चों की उपस्थिति सुनिश्चित नहीं है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता गांव के बाहर से आती हैं और आमतौर पर आने में देरी होती है। आंगनवाड़ी से गर्भवती व धात्री महिलाओं को पोषण आहार के पैकेट दिए जाते हैं। इस पैकेट के इस्तेमाल के बारे में लोगों को ठीक से जानकारी नहीं दी जाती है। लोग खिचड़ी के पैकेट को धोकर उसके पौष्टिक तत्व बहा देते हैं। कुछ लोग बनाने के बाद उसे रख देते हैं तो खराब होने की आशंका बढ़ जाती है। कुछ लोगों की यह भी शिकायत थी कि खिचड़ी कड़वी लगती है इस वजह से इस्तेमाल नहीं करते।

अशिक्षा और जागरुकता की कमी

चर्मकार समुदाय में महिलाओं में अशिक्षा अधिक है। 30 साल से अधिक उम्र वर्ग में बहुत कम लोग पढ़े–लिखे हैं। चारूवा में चर्मकार समुदाय की 50 प्रतिशत महिलाएं कभी स्कूल नहीं गईं जबकि, 22 प्रतिशत महिलाएं ही 5वीं पास हैं। 91 प्रतिशत

माताओं ने ही बच्चों को कोलेस्ट्रम युक्त दूध बच्चे को पिलाया। जागरुकता के अभाव में कम उम्र में शादी, कम उम्र में गर्भ धारण करना, दो बच्चों के बीच अंतराल में कमी, बच्चों को मां का दूध, ठोस आहार देने के तरीकों आदि में परंपरागत तरीके ही अपनाए जाते हैं।

सामाजिक भेदभाव एवं चर्मकार समुदाय

पारंपरिक रूप से चर्म व्यवसाय से जुड़े लोगों को परंपरागत व्यवसाय छोड़ने के बावजूद भी आज सामाजिक भेदभाव सहना पड़ता है। गांव स्तर पर आजीविका के साधन जुटाने, पानी के स्रोतों, सार्वजनिक स्थलों के उपयोग आदि में चर्मकार समुदाय को छुआछूत का सामना करना पड़ रहा है। इस सामाजिक भेदभाव के कारण भी बच्चों की सेहत प्रभावित होती है और शरीर पर बुरा असर पड़ता है। सीधे तौर पर विश्लेषण करें तो सामाजिक भेदभाव कुपोषण को प्रभावित नहीं करता, पर यह परिस्थितियां कुपोषण को बढ़ावा देने वाले परिवेश को निर्मित करने में भूमिका अदा करती हैं। सामाजिक भेदभाव बच्चों में हीन भावना को जन्म देता है। क्षेत्र की ज्यादातार आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका पिछड़े वर्ग से हैं। उनके द्वारा बच्चों को भोजन वितरण, बर्तन की सफाई, देखरेख, उनको बुलाने आदि में भेदभाव किया जाता है। जहां आंगनवाड़ी कार्यकर्ता चर्मकार समुदाय एवं सहायिका पिछड़े वर्ग की हैं वहां भी भेदभाव की स्थितियां हैं। गांव के सामाजिक दबाव के कारण आंगनवाड़ी कार्यकर्ता इन स्थितियों को बदलने में सक्षम नहीं है।

चारूवा गांव के लोग भेदभाव को अब इसे अपने सम्मान के साथ जोड़ते हैं और भेदभाव होने पर भी उसे नकारना चाहते हैं। कुछ महिलाओं ने दबी जुबान से इस बात को बताया कि अभी भी हमारे समुदाय के लोगों को नीचा ही माना जाता है। पीने का पानी लेने जाने पर अगर हैंडपंप पर सामान्य वर्ग के लोग हैं तो हमें दूर खड़ा होना पड़ता है। कभी हम हैंडपंप पर चले जाएं और बर्तन छू जाए तो विवाद खड़ा हो जाता है। आंगनवाड़ी हमारे मोहल्ले में हैं तो दूसरे समुदाय के बच्चे आंगनवाड़ी नहीं आते हैं।

अध्याय 5

कुपोषण से बचाव की पारंपरिक पद्धतियां

प्रायः सभी समुदायों में कुपोषण से बचाव के पारंपरिक तरीके रहे हैं। भले लोग कुपोषण शब्द से परिचित नहीं थे, लेकिन उनकी संस्कृति में ही इससे बचाव के तौर तरीके कायम थे। गर्भावस्था के समय खानपान एवं कामकाज में ध्यान रखना, किशोरी बालिकाओं को पहले मासिक धर्म आने पर खानपान का विशेष इंतजाम करना, प्रसव के बाद पौष्टिक आहार की व्यवस्था करना, शिशुओं को कमजोरी से बचाने के लिए घुट्टी पिलाना, दूध के लिए भैंस, गाय और बकरी पालने की परंपरा रही है। हम यहां बैगा एवं चर्मकार समुदाय के कुपोषण से बचने के तौर–तरीकों को समझने का प्रयत्न करेंगे।

बैगा समुदाय के बारे में पोंडी गांव के लोगों से कुपोषण के बारे में विस्तृत चर्चा की गई। बैगा समुदाय में कमजोर पैदा होने वाले बच्चों को छट्टीपाई कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि बच्चे को कोई बाहरी प्रकोप हो गया है और इस प्रकोप के कारण बच्चा कमजोर है। इसे दूर करने के लिए टोटके किए जाते है और साथ ही मां और बच्चे दोनों को जड़ी आदि खिलाई जाती है। टोटके की प्रक्रिया में स्वच्छता पर खास जोर दिया जाता है, यानी कुपोषण के कारणों में स्वच्छता को एक मुख्य कारक के तौर पर भी देखा जाता है। बैगा समुदाय की महिलाओं के अनुसार पिछले कुछ समय से बच्चे कमजोर पैदा हो रहे हैं। ननिया बाई कहती है कि पहले एक मां के आठ बच्चे भी पल जाते थे और कमजोरी नहीं आती थी।

खानपान के स्तर और पौष्टिकता का ध्यान बैगा समुदाय में एक सामान्य परंपरा और संस्कृति रही है। अनाज, जंगल उत्पाद, मौसमी फलों एवं अनेक प्रकार की भाजियों, पशुपालन, शिकार आदि के जरिये पूर्ण पोषणता मिल जाती थी। इसके लिए अलग से कोई प्रयास या उपाय करने की जरूरत ही नहीं थी। शहद के साथ कुटकी का चावल उबालकर खाने की अनोखी परम्पराएं थीं जिसके चलते बच्चों में कभी कमजोरी नहीं आती थी। रसनवा त्योहार में बांस में पकाई गई शहद और कुटकी को सबसे पहले कन्याओं एवं बच्चों को खिलाने की परंपरा रही है। उजियारो बाई बताती है कि यदि बच्चा समय से पहले यानि 7 माह में भी हो जाता है, तो बैगा जड़ी–बूटी के बल पर जिंदा रख लेते है। उजियारो बाई कहती हैं कि कोदो कुटकी अब पहले जैसा नहीं हो रहा है इसलिए, भी कुपोषण बढ़ रहा है। उजियारो बाई का कथन भी ठीक लगता है कि चावल बच्चों को कमजोर बना रहा है। दरअसल, बच्चों को केवल चावल खिलाने से पोषक तत्वों की उपलब्धता में कमी आ रही है। असल में परंपरा में किसी बच्चे को अचानक दस्त आदि से आई कमजोरी को दूर करने के लिए प्राकृतिक इलाज किया जाता था और बच्चे पुनः स्वस्थ हो जाते थे।

ये दवाएं जंगल में उपलब्ध हैं। अब कई तरह की जड़ी–बूटियां खत्म हो गई हैं और इतनी कम हो गई हैं कि इनका मिलना दुर्लभ हो गया है। बैगा में कहावत है कि ''सूखे झुराए रहे उनको हरे करना है तो जंगल जायने टहनी लायने''। इसका मतलब यह है कि किसी को यदि कमजोरी आ रही है तो जंगल से जड़ी–बूटी लाकर उसे देना है। बैगा लोगों का कहना है कि जंगल ही हमारा घर है, जंगल ही हमको पाले और वही रक्षा करे। पोंडी गांव के 6 बैगा वैद्यों को बच्चों में कुपोषण के उपचार, मां की कमजोरी से निपटने के उपाय आदि के बारे में गहरा अनुभव है। साथ ही अनेक तरह के टोटके व मंत्र आदि की विधियां भी प्रचलित हैं। इन टोटकों में भी कुछ वैज्ञानिक तरीके समाहित हैं। नवजात शिशु को कीटाणुओं से बचाने के लिए परसा पेड़ की टहनी घर में रखी जाती है, ताकि कीटाणु नष्ट हो जाएं। प्रसव के बाद नाल को जमीन में गाड़ा जाता है और उस स्थान पर पीपल, पकरी, आमा, बेल, जामुन, साल, परसा की लकड़ी लगाई जाती है, ताकि उसका बुरा प्रभाव न पड़े।

शरीर को कमजोरी से बचाने व रोगों से मुक्त रखने के लिए खास तरह का काढ़ा भी उपयोग किया जा सकता है, जो 108 पेड़ों की छालों से विधिपूर्वक तैयार होता है, लेकिन वर्तमान में इन तरीकों का चलन बेहद कम हो गया है। बैगा वैद्य की तरह ही बैगा दाई भी बहुत कुशल होती हैं। पोंडी गांव में कई अनुभवी दाइयां हैं, जो बैगा महिलाओं का प्रसव कराती हैं। दाइयों का कहना है कि प्रसव के आधुनिक तरीके उनके समुदाय को मदद

तालिका क्रमांक 25
जड़ी–बूटी के उपचार की विधियां

क्रं.	स्वास्थ्य समस्या	जड़ी बूटी का उपयोग	उपयोग की विधि
1	बच्चों की कमजोरी	• नक्सीर जड़ • भरवा जड़ • धज्जी • करनमा	• नक्सीर जड़ को पीसकर गुड़ के साथ गोली बनाते हैं और 2 से 4 दिन तक देते हैं। • छोटे बच्चों को मां के दूध में मिलाकर देते हैं। • भरवा जड़ी को शराब में मिलाकर 3 दिन तक देते हैं • दहनी की जड या छाल पीसकर मां के दूध के साथ मिलाकर 15 दिन तक पिलाते हैं।
2	मां को दूध न आना	खुकिया जड़ी	• धज्जी एवं करनमा जड़ी को कमजोर बच्चे को बांधते हैं। • मां को दूध न उतरने की स्थिति में खुकिया जड़ी को जलाकर उसकी राख को गुड़ में मिलाकर खिलाते हैं और 1.30 घंटे में दूध आ जाता है। • दुधिया घास एवं केचुवा जड़ी मिलाकर खिलाते हैं। • दुधिया को खुकिया के साथ मिलाकर भी खिलाते हैं।
3	मां की कमजोरी	• कोयलारी कंद • बड़ी कुब्बा • वनसेमी की जड़ • तिलमिली जड़ • पसारन गठारन • वेला • मायवेला • परसा जड़	• कोयलारी कंद को गुड़ में मिलाकर या बिना गुड़ मिलाये भी खिलाते हैं। • बड़ी कुब्बा की जड़ का रस दिन में तीन बार 3 से 5 दिन तक चूसते हैं। • वनसेमी की जड़ भी खिलाई जाती है। • प्रसव के बाद चक्कर आने की स्थिति में तिलमिली की जड़ को सुखाकर पीसकर खिलाते हैं। • पसारन गठारन की वेला का छिलका उतारकर गर्भवती को देते हैं ताकि कमजोरी न आए। • प्रसव के बाद की कमजोरी को दूर करने के लिए मायवेला, मायछेदी की छाल देते हैं। • कोदो का पेज, मूंगदाल, कोदो चावल, बैगानी कुटकी, मंडिया की रोटी, तीन दिन तक देते हैं।
4	मां को प्रसव के बाद बुखार की कमजोरी	• कांके पेड़ की टहनी • महुआ छाल • खमार की छाल	• कांके पेड़ की टहनी की दातून कराई जाती है। • महुआ की छाल पीसकर देते हैं। • खमार की छाल तीन दिन तक पीसकर देते हैं।
5	बच्चों को उल्टी दस्त	• भुवारी वेला • कुम्हारिन का छत्ता • झिझी की जड़	• भुवारी वेला गोल करके दिन में तीन बार खिलाते हैं। छोटे बच्चों के लिए मां को ही यह दिया जाता है। • कुम्हारिन के दत्ते को घोलकर पिलाते हैं। • झिझी की जड़ को रस निकालकर चूसते हैं।
6	बच्चों को निमोनिया	• कैचा की जड़ • पपीता की जड़ • बड़ाइन कंद	• कैचा की जड़ पीसकर शहद के साथ चटाते हैं। • पपीता की जड़ को पीसकर 3 दिन तक पिलाते हैं। • बड़ाइन कंद भूनकर खिलाते हैं।
7	बच्चों में खून की कमी	निपतिया की जड़	• तिनपतिया की जड़ एवं बंदरा चना की जड़ चूसते हैं।

ननिया दाई: कुशल प्रसव जानकार

बैगा चक के पोंडी गांव में ननिया बाई एक अनुभवी दाई हैं। उनकी पोती संतोषी की बेटी को प्रसव के लिए समनापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र ले गए। समनापुर में जिला अस्पताल डिंडोरी के लिए रेफर कर दिया गया। ननिया बाई के परिवार ने न चाहते हुए भी किसी दुर्घटना से बचने के लिए डिंडोरी अस्पताल गए। जिला अस्पताल के डॉक्टर ने बताया कि बच्चा पेट में मर गया है। इसे तत्काल जबलपुर अस्पताल ले जाओ। साथ में परिवार को समझाइश दी गई कि विलम्ब किया तो जच्चा को भी खतरा बढ़ जाएगा। संतोषी बाई के प्रसव को गहराई से छानबीन किए बगैर जबलपुर मेडिकल हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया। ननिया दाई ने अस्पताल में ही अपने तरीके से जांच की और कहा कि बच्चा भी जीवित है और मां भी ठीक है। दोनों जिंदा रहेंगे। कुछ नहीं होगा। इनको घर ले चलो। संतोषी बाई के घबराए परिवार के पास कोई और विकल्प नहीं था। जबलपुर ले जाने के लिए न तो उनके पास पैसे थे और न कोई मदद्गार। ननिया बाई पर विश्वास करना ही उन्हें बेहतर विकल्प सूझा और वे संतोषी बाई को घर लाए। घर पर ही ननिया बाई ने अपनी सूझबूझ और कौशल से प्रसव कराया। बच्चा उल्टा हो गया था, इस जटिलता को ननिया बाई समझ गई और पारंपरिक तकनीक का सहारा लिया और बिना किसी ऑपरेशन के बच्चे का जन्म हो गया। जच्चा व बच्चा दोनों ही स्वस्थ्य हैं।

नहीं देते बल्कि उनकी मुश्किलें बढ़ाने वाले साबित होते हैं। अस्पताल में जाने पर बैगा समुदाय की महिलाओं को सम्मान नहीं दिया जाता। सरकारी डॉक्टर को ठीक से जानकारी भी नहीं है।

कुपोषण से बचाव का सबसे बेहतर तरीका बैगा समुदाय में खाद्य संस्कृति यानी खाने के तौर तरीकों में निहित था। ग्राम पोंडी में 25 परिवारों के आहार ग्रहण करने के पारंपरिक तौर तरीकों का विश्लेषण किया गया। इस तरीके में बैगा समुदाय के लोगों द्वारा आहार में न केवल विविधता की झलक मिलती है बल्कि उसे तैयार करने की विधि में भी ज्यादा पोषक तत्वों को बनाए रखने व उसकी पाचकता का ध्यान रखा जाता है। उनके खाने में ठोस, तरल, रेशेदार पदार्थों की मात्रा का संतुलन होता था जोकि चयापचय दर में संतुलन स्थापित करता है। बैगा समुदाय के भोजन में मसालों, तेल और गरिष्ठ पदार्थों की मात्रा नगण्य होती है।

बैगा समुदाय में अधिकांश खाने की चीजों को कच्चा भी उपयोग किया जाता है। कुछ खाद्य पदार्थों को उबालकर तो कुछ को भूनकर खाते हैं। कुछ जंगली मसाले जैसे वनजीरा, वनहल्दी, मिर्ची का ही उपयोग करते हैं। पेज बैगा समुदाय का मुख्य भोजन है। कोदो, कुटकी, मंडिया एवं पेज पूरे साल भर खाया जाता है। इसके अलावा मौसम के अनुसार भाजी, मछली, शिकार, कंद, फल आदि इनके भोजन का हिस्सा होते हैं। नीचे बैगा समुदाय के भोजन की तालिका प्रदर्शित की गई हैं –

साथ ही छाछ और दूध भी खाने में शामिल रहता था। अतिरिक्त खाद्य पदार्थ फसल उत्पादनों को पूरे साल तक उपयोग हेतु

तालिका क्रमांक 26

मौसम के अनुसार भोजन की उपलब्धता

क्र.	मौसम	सुबह	दोपहर	शाम
1	शीत ऋतु	भुने हुए मक्का	मक्के का पेज, चरोटा, चेंच एवं अन्य भाजी	कोदो का चावल/पिहरी पीड़ी, ककड़ी एवं अन्य मशरूम, भाजी
2	ग्रीष्म ऋतु	मक्के का पेज, कोदो, कुटकी का चावल भाजी	पेज मक्का/कोदो भाजी	कोदो, कुटकी चावल, रोटी, भाजी, कभी कभी दाल
3	वर्षा ऋतु	पेज, भाजी	कोदो कुटकी का चावल, जंगली भाजी	चावल , भाजी, मशरूम, कंद

सुरक्षित रखने में मदद करते रहे हैं। इसके अलावा बैगा समुदाय में अनेक खाद्य पदार्थों को सुखाकर रखने की भी परंपरा रही है। मौसम के अनुसार अनेक तरह की भाजी, कंद, फल एवं सब्जियां पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होती रही हैं। इन खाद्य पदार्थों को उपयोग के अलावा सुखाकर आगे के लिए रखा जाता है। अनेक प्रकार के खाद्यों से न केवल खाद्य सुरक्षा मिलती है बल्कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें साथ–साथ पोषण सुरक्षा भी सुनिश्चित होती है। खानपान के इन तरीकों में पिछले 10 सालों में कई तरह के बदलाव आए हैं।

चर्मकार समुदाय में कुपोषण से बचने के तौर तरीके ग्रामीण परिवेश से जुड़े रहे हैं। समुदाय आधारित कोई तरीका नहीं रहा है। चारूवा में लोगों ने बताया कि चर्मकार समुदाय की अनाज के लिए निर्भरता दूसरे समुदायों पर अधिक थी। चर्मकार समुदाय के पास अपनी जमीन नहीं थी। गांवों में उच्चवर्गीय परिवारों से खेती के उत्पादन से कुछ अनाज मिल जाता था और जूते बनाकर उसे बेचने से भी अनाज होता था। इसी पर पूरे साल की आजीविका चलती थी। बच्चों को किसी तरह की कमजोरी आती थी तो घुट्टी पिलाते थे। आज भी घुट्टी पिलाने की परंपरा कायम है। आमतौर जो बच्चे कमजोर या निमोनिया के शिकार हो जाते हैं उन्हें घुट्टी पिलाई जाती है। छुहारा, जायफल, हर्रा, बहेड़ा, अजवाइन आदि मिलाकर घुट्टी बनाई जाती है। परिवारों में अनाज का संग्रह करने की व्यवस्था थी, ताकि साल भर भोजन के लिए दिक्कत न आएं। मछली पकड़ने, शिकार करने की भी पर्याप्त संभावनाएं थीं। परिवारों में अनाजों की प्रोसेसिंग होने से उसमें पौष्टिक तत्वों के ह्रास होने की संभावनाएं कम थीं जबकि, मशीनीकृत प्रोसेसिंग में अनाजों के पौष्टिक छिलके समाप्त हो जाते हैं। महिलाएं भी अब कमजोर होने लगीं तो इसका असर बच्चों पर पड़ता है। आंगनवाड़ी से महिलाओं के लिए दी जाने वाली खिचड़ी में स्वाद नहीं होने और दुर्गंध की शिकायतें मिली हैं।

अध्याय 6

स्थानीय स्वयंसेवी संस्था की कुपोषण दूर करने में भूमिका

पोंडी सहित बैगा समुदाय के कई गांवों निवसिड संस्था नागपुर सामाजिक–आर्थिक विकास एवं लोगों के सशक्तिकरण के लिए निरंतर काम कर रही है। निवसिड के प्रयास ने समुदाय के सामूहिक निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को मजबूत कर उनकी स्थानीय क्षमताओं को विकसित किया हैं। पोंडी गांव में समुदाय के लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, खेती आदि मुददों पर चर्चा करते हैं। निवसिड उनके द्वारा उठाए गए मुददों का समर्थन करता है, और उनको सुलझाने के लिए सहयोग करता है। योजनाओं का लाभ दिलाने, संबंधित कार्यालयों को देने वाले आवेदनों को तैयार कराने, कौन सा आवेदन किसे देना आदि जिम्मेदारियां संस्था के सहयोग से स्थानीय कार्यकर्ताओं के जरिए पूरी की जाती हैं। इन क्षेत्रों के शिक्षित युवाओं द्वारा परंपरागत खेती के तरीकों में बदलाव लाकर अपने गांव के स्त्रोतों को अधिक उन्नत किया जा रहा है। उत्पादनों के लिए उचित बाजार खोजना, खेती में उन्नत खाद का उपयोग करना, बेहतर प्रक्रियाओं को अपनाना आदि क्षेत्र में आ रही जागरुकता के स्पष्ट संकेत हैं।

संस्था द्वारा कुपोषण एवं पोषण सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सामुदायिक व्यवस्था कायम की गई है। इस सामुदायिक व्यवस्था के तहत अनाजों के भंडारण और जरूरत के समय उपलब्ध कराने के लिए अनाज कोठी का संचालन किया जा रहा है। साथ ही संस्था द्वारा संगठित जंगल अध्ययन मंडल जंगल के विकास और उनके बचाने के तौर तरीकों पर न केवल अध्ययन कर रहा है बल्कि उनके संरक्षण के लिए प्रयास भी कर रहा है। पर इन प्रयासों के बावजूद ग्राम पोंडी में कुपोषण की स्थिति संस्था की रणनीति एवं गतिविधियों पर सवाल खड़े करती है।

हरदा जिले में चर्मकार समुदाय के सशक्तिकरण के लिए अम्बेडकर विचार मंच हरदा प्रयास कर रहा है। अम्बेडकर विचार मंच ने चर्मकार समुदाय को संगठित करने, अपनी पहचान को मजबूत बनाने व स्थानीय स्वशासन में उनकी भूमिका बढ़ाने, स्थानीय क्षमता को विकसित करने के बेहतर प्रयास किए हैं। यह मंच लोगों के मुद्दों, उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए निरंतर काम कर रहा है, लेकिन मंच द्वारा बच्चों के अधिकार और कुपोषण को कम करने के लिए किए गए प्रयास पर्याप्त नहीं है।

अध्याय 7

कुपोषण से बचने के उपाय

पिछले भागों मे हमने कुपोषण के कारणों का विश्लेषण किया है। उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि बैगा एवं चर्मकार समुदाय में 6 साल से कम उम्र के बच्चों में कुपोषण के कुछ ढांचागत कारण हैं। ये ढांचागत कारण जंगल के ह्रास, आजीविका एवं खेती के तौर तरीकों में बदलाव, बाजारवादी व्यवस्था, दोषपूर्ण विकास नीतियों आदि से जुड़े हुए हैं। कुपोषण से बचने के लिए इन्हीं ढांचागत कारणों को समझना होगा और इसके ढांचागत उपाय ही मुख्य बचाव के तरीके भी बन सकते हैं। इस बात को पोंडी गांव के बैगा एवं चारूवा गांव के चर्मकार समुदाय के लोग भी बखूबी समझते हैं। उन्होंने शासन की नीतियों पर न केवल सवाल उठाए बल्कि समुदाय के जीवन को संकट से उबारने के लिए इन नीतियों में बदलाव के लिए अपने सुझाव भी दिए।

सामुदायिक जागरुकता

कुपोषण को दूर करने का सबसे अच्छा उपाय कुपोषण को जन्म देने वाली परिस्थितियों में बदलाव लाना होगा। यह राजनीतिक मुद्दा है और इसका हल भी राजनीतिक रूप से ढूंढने की जरूरत है। लोगों में वर्ग चेतना लाने की जरूरत है। समुदाय को यह पता होना चाहिए कि समुदाय में कुपोषण इतना गंभीर क्यों हैं, इसके मुख्य कारण क्या हैं और इन कारणों के लिए कौन उत्तरदाई है ? इस जानकारी से ही लोगों में कुपोषण को दूर करने के लिए अपनी भागीदारी निश्चित करने का बोध जागेगा।

आंगनवाड़ी कार्यक्रम का सर्वव्यापीकरण

कुपोषण के कारण गहरे हैं। इन्हें दूर करने के लिए दूरगामी ठोस उपाय करने होंगे। तात्कालिक उपाय के रूप में भी हमें कुछ कदम उठाने चाहिए। सबसे पहला कदम तो यही हो सकता है कि आंगनवाड़ी का सर्वव्यापीकरण किया जाए और आरटीई की तरह ही छोटे बच्चों के विकास के लिए कानून बनाया जाए। बच्चों और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तथा सहायिका का अनुपात निश्चित किया जाए। आंगनवाड़ी केन्द्रों में बच्चों के खेलने व बैठने के लिए पर्याप्त जगह, बुनियादी सुविधाएं और पोषण आहार, खिलौने आदि की एक निश्चित मानक के साथ उपलब्धता सुनिश्चित होना चाहिए।

आंगनवाड़ी में स्थानीय स्तर पर उपलब्ध अनाजों, सब्जियों, दूध आदि का उपयोग निश्चित किया जाना चाहिए। साथ ही स्थानीय स्तर पर ग्रामसभा की सहमति से अंडे का उपयोग भी खासकर आदिवासी इलाकों में किया जा सकता है। इससे गांव स्तर पर मुर्गी पालन एवं दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा मिल सकेगा।

आंगनवाड़ियों का निगरानी तंत्र मजबूत नहीं है। वहां पर नियमित निगरानी के तौर तरीके बेहद कमजोर हैं और इस संबंध में बड़े पैमाने पर गलत जानकारी आंगनवाड़ी से लेकर राज्य और राष्ट्र स्तर तक भेजी जा रही है। इस मुद्दे पर निरंतर शोध और जानकारी का स्थानीय स्तर पर प्रचार–प्रसार करने की जरूरत है, ताकि स्थानीय स्तर पर इसके ठोस उपाय तलाशे जा सकें।

पोषण पुनर्वास केन्द्र को व्यापक बनाना

इस केन्द्र की भूमिका बच्चों को कुपोषण से मुक्त करने में अहम है। कई गांवों के निवासियों को इस केन्द्र के बारे में पता नहीं है। इसकी जानकारी का प्रचार प्रसार करने के लिए पंचायत व ग्रामसभा स्तर पर खास प्रयास किए जाने चाहिए। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं आशा को भी गंभीर कुपोषित बच्चों को एनआरसी भेजने के लिए न केवल जवाबदेह बनाया जाये बल्कि उन्हें इस काम के लिए प्रोत्साहित भी किया जाए।

राशन की दुकान को स्थानीय आधार पर मजबूत बनाना

राशन की दुकानों से राशन प्राप्त करना एवं उसकी निगरानी के तरीके को ज्यादा मजबूत बनाने की जरूरत है। राशन की दुकान

की नियमितता के साथ ही वहां गेहूं और चावल और स्थानीय अनाजों जैसे कोदो, कुटकी, सांवा, ज्वार, मक्का, चना, मूंग एवं तुअर की दाल, खाद्य तेल, गुड़ आदि दिया जाना चाहिए। हर ग्रामसभा में राशन की दुकान के संचालनकर्ता एवं निगरानी समिति द्वारा राशन वितरण का पूरा ब्योरा प्रस्तुत किया जाना चाहिए और इस पर ग्रामसभा का अनुमोदन लिया जाना चाहिए। ग्रामसभा को पर्याप्त अधिकार दिए जाने चाहिए, ताकि वह राशन की दुकान को नियंत्रित करने के लिए तत्काल कदम उठा सके।

वनाधिकार एवं संरक्षण की जरूरत

कुछ आदिवासी परिवार जंगल से तेंदूपत्ता, माहुल पत्ता, हर्रा, बहेड़ा, आंवला, महुआ, शहद, कुछ कंद आदि एकत्र कर इसे बेचकर कुछ दिनों की जीविका का निर्वहन करते हैं। खाद्य सुरक्षा को सबसे अधिक खतरा जैव विविधता में आई कमी के कारण ही हुआ है। पेड़–पौधों, वन्यजीवों, जड़ी–बूटियों, कंद–मूल एवं फलों की प्रजातियां खत्म होने के कारण खाद्य पदार्थों की बेहद कमी पैदा हो गई है। अब इन जैव संपदाओं को पुनर्जीवित करना एवं इनका संरक्षण करना ही मजबूत विकल्प होगा। इस कार्य के लिए समुदाय को ज्यादा अधिकार एवं भागीदारी सुनिश्चित करना होगी।

वनाधिकार कानून 2006 को एक निश्चित समय–सीमा एवं लक्ष्य तय करके लागू करने के साथ ही बैगा समुदाय को जंगल का सामुदायिक अधिकार भी सौंपा जाए, ताकि जंगल की सुरक्षा में स्थानीय लोगों की हिस्सेदारी बढ़ाई जा सके। इस कानून के क्रियान्वयन में गांव के लोगों को ज्यादा महत्व दिया जाए व ग्रामसभा द्वारा पारित प्रस्तावों को विशेष महत्व दिया जाए।

आजीविका के मजबूत विकल्प

पिछले सालों में लोगों की आजीविका को गंभीर रूप से खतरा पहुंचा है और बड़ी संख्या में परिवारों की आजीविका के स्रोत खत्म हुए हैं। यह समझने की जरूरत है कि खत्म होते परंपरागत स्रोतों के स्थान पर वैकल्पिक स्थानीय स्रोत क्या बन सकते हैं? उदाहरण के लिए गाय एवं भैंस पालन, स्थानीय शिल्प, सुअर पालन, मुर्गीपालन, फलोद्यान, शहद का उत्पादन आदि स्थानीय स्तर पर कारगर व्यवसाय का जरिया बन सकते हैं। इनके लिए सरकार को ज्यादा बढ़ावा देने के लिए निवेश बढ़ाने की जरूरत है। पारंपरिक जीविका के स्रोतों में लोग एक–दूसरे से सीखते थे और उसे बनाए रखते थे। आज रोजगार के नए अवसर खुल रहे हैं और दूरियां कम हो गई हैं। ऐसी स्थिति में गैरपरंपरगत व्यवसायों में ज्यादा अवसर बन रहे हैं। जरूरत इस बात की है कि आदिवासी समुदायों को शिक्षित होने व अपने आपको तैयार करने हेतु समुचित अवसर और सुविधाएं मुहैया कराई जाए, ताकि यह समुदाय भी अपनी क्षमता बढ़ाकर नए अवसरों को प्राप्त करने में सक्षम बन सकें। बैगा समुदाय में शिक्षा का अभाव है और यह समुदाय अपने परंपरागत व्यवसायों के अलावा दूसरे अवसरों को हासिल करने में अभी सक्षम नहीं बन पाए हैं। पारंपरिक ज्ञन का उपयोग भी जीविका निर्वहन के लिए किया जा सकता है। बैगा समुदाय बांस, घास व जड़ी–बूटियों के संग्रहण में कुशल हैं। इन कुशलताओं का उपयोग वे व्यावसायिक रूप से कर सकते हैं। कुछ लोग झाड़ू बनाने व बांस के टोकरे बनाने का काम करते है; जिससे उनकी जीविका को मदद मिलती है।

पारंपरिक एवं जैविक खेती को बढ़ावा

जैव विविधता नष्ट होने और जलवायु परिवर्तन के कारण पारंपरिक खेती प्रणाली भी कमजोर हुई है। अब किसान आधुनिक खेती की ओर रुख कर रहे हैं। इस खेती प्रणाली के आने से बेशाक अनाज उत्पादन में कुछ वृद्धि हुई हैं पर इससे खाद्य सुरक्षा को मात्रात्मक सहयोग ही मिलता है। पोषण सुरक्षा की दृष्टि से यह उपयुक्त नहीं है। साथ ही इस खेती से पर्यावरण का भी विनाश हो रहा है। अतः जरूरी यह है कि पारंपरिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाए, ताकि वे पुनः इस ओर कदम बढ़ा सकें। आदिवासी इलाकों में इस खेती पद्धति को सहजता से अपनाया जा सकता है। इन इलाकों में पारंपरिक मोटे अनाजों में जैसे कोदो, कुटकी, सांवा, तिल, मक्का, मंडिया आदि की खेती के लिए उपयुक्त परिवेश मौजूद है।

खाद्य सुरक्षा ही नहीं पोषण सुरक्षा भी हो

खाद्य सुरक्षा कानून पर पूरे देश में व्यापक चर्चा हो रही है। यह एक महत्वपूर्ण कदम होगा, जिसके तहत लोगों को भोजन का अधिकार मिल सकेगा। सवाल यह है कि क्या केवल अनाज की पूर्ति ही खाद्य सुरक्षा दे सकती है? इस कानून में लोगों के समुचित पोषण सुरक्षा पर व्यवस्था होनी चाहिए। केवल अनाज की उपलब्धता से खाद्य सुरक्षा तो हो सकेगी पर पोषण सुरक्षा नहीं हो पाएगी।

सामुदायिक खाद्य सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ावा

बैगा समुदाय की अपनी खाद्य सुरक्षा परंपरा रही है। समुदाय अपनी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अनाजों को सहेजकर रखते थे। अभी भी कुछ परिवारों के पास कई सालों तक के अनाज हैं। लोग एक–दूसरे को अनाज की कमी के समय में सहयोग भी करते थे। आदिवासी समुदायों में बांस और मिट्टी की कोठियों में अनाज रखने की परंपरा आज भी कायम है। इन कोठियों में अनाज को कई सालों तक रखा जा सकता है। साथ ही बीजों को भी सहेजकर इन्हीं कोठियों या मिट्टी के घड़ों में रखा जाता था। अनाज सहेजने की इस रीति को पुनः मजबूत बनाने की जरूरत है।

दलित अधिकारों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाना

दलित अधिकारों के प्रति लोगों को जानकारी देने के साथ ही इन स्थानीय स्तर पर तौर तरीके बनाने की जरूरत है। ग्राम सभा में छुआछूत जैसे मुद्दों पर खुली चर्चा और संवाद होना चाहिए। चर्मकार समुदाय के साथ भेदभाव बरतने वाले समुदायों के प्रति कानूनी कदम उठाने के लिए पैरवी करने हेतु स्थानीय स्तर पर युवाओं और अन्य जागरूक लोगों का संगठन कायम किया जाना चाहिए। इस काम के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है।

स्थानीय नियोजन एवं पंचायत की भूमिका

कुपोषण से बचाव के लिए स्थानीय संस्थाएं पंचायत व ग्रामसभा मिलकर बेहतर योजना बना सकती हैं। गांव स्तर पर आंगनवाड़ी एवं अन्य सार्वजनिक सुविधाओं व सेवाओं को निगरानी के तरीके कायम करके बेहतर लाभ लिया जा सकता है। मनरेगा के तहत गांव की सहभागी योजना द्वारा लोगों को हर समय काम उपलब्ध कराने के लिए ठोस कदम उठाए जा सकते हैं। ग्राम सभा में जंगल संरक्षण और जैव विविधता को वापस लाने के लिए वन विभाग के साथ मिलकर सामुदायिक प्रयास हो सकते हैं। ग्राम सभा जंगल के सामुदायिक उपयोग एवं उस पर नजर रखने की पुख्ता व्यवस्था बना सकती है। खेती के तौर तरीकों एवं फसल की बोवनी और कटाई की पारंपरिक व्यवस्था को पुनः कायम करने के लिए चर्चा और फैसले लिए जा सकते हैं। पंचायत एवं ग्राम सभा आंगनवाड़ी में बच्चों को दिए जाने वाला आहार भी तय कर सकती हैं। स्थानीय स्तर पर आसानी से मिलने वाले व समुदाय द्वारा स्वीकार किए जाने वाला आहार आंगनवाड़ी में उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

पंचायत लोगों को छोटे व्यवसायों जैसे पशुपालन, सुअर और मुर्गी पालन, शहद उत्पादन जैसे कामों के लिए न केवल प्रोत्साहित करे बल्कि ऐसे परिवारों को चिन्हित कर उनको व्यवसाय के लिए पूंजी एवं जानकारी उपलब्ध कराने में मदद करे।

पंचायत को लोगों के प्रति ज्यादा जवाबदेह बनाने के लिए निरंतर प्रतिनिधियों एवं ग्रामसभा सदस्यों की नेतृत्व क्षमता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण एवं फालोअप कार्यक्रम करना होगा। स्थानीय स्वशासन प्रक्रिया को ज्यादा मजबूत बनाने के लिए पंचायत को ज्यादा अधिकार सौंपने और जो अधिकार दिए गए हैं उनके पालने के लिए नियम बनाने होंगे। पेसा कानून को प्रभावी करने के लिए अभी तक नियम नहीं बने हैं। इसके लिए तत्काल नियम बनाए जाने की जरूरत है।

अध्याय 8

चर्चा

कुपोषण एवं उसके कारणों के प्रति समुदाय का अपना नजरिया रहा है। ज्यादातर लोग कुपोषण को बुरे खानपान स्तर और अपनी आजीविका से जोड़ते हैं। साथ ही सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में हो रही खामियों को जिम्मेदार ठहराते हैं जबकि, कुपोषण का संदर्भ इससे कहीं अधिक जटिल और गहरा है। इसकी राजनीतिक जड़े हैं, जिसका विश्लेषण करना जरूरी हो गया है। अध्ययन के दौरान लोगों ने अपने विचारों को यूं रखा –

- हरदा जिले के चारूवा ग्राम के रामप्रसाद अहिरवार कहते हैं कि पहले पिताजी मवेशी काटते थे। छुआछूत के कारण हमने छोड़ दिया। अब खेती किसानी करते हैं। खेतों में डालने के लिए दवाई उधार लेनी पड़ती है। पहले का अनाज जैसे चावल, ज्वार, कोदो, कुटकी, भादली पौष्टिक था। इंसान को तन्दुरुस्त रखता था। ये अनाज अब पैदा नहीं हो सकते। घट्टी का पिसा अनाज खाते थे, बाजार जाने की कम जरूरत पड़ती थी। अब बाजार से सब्जी लाने में आर्थिक तंगी आड़े आती है।
- चारूवा के लखनलाल का कहना है कि पहले जलगांव में रहते थे। वह गांव डूब गया। हमारा व्यवसाय चौपट हो गया। यहां 10 साल से धंधा कर रहे हैं, पर पहले जैसी बात नहीं। अभी जूता–चप्पल की मरम्मत कर बड़ी मुश्किल से एक दिन में 50 से 100 रुपए कमा पाते हैं। बच्चा खाता–पीता नहीं था तो 15 दिन खिरकिया (एनआरसी) में भर्ती रखा। घर में बच्चों को दूध पिलाने और प्रायवेट अस्पताल में इलाज के लिए पैसा नहीं है।
- द्वारका बाई कहती हैं कि चमड़े का काम पहले बाप दादा करते थे। अब हम नहीं करते। अब मजदूरी कर पेट पाल रहे हैं। बरसात में ज्यादा परेशानी होती है। इस साल शुरू में पानी नहीं गिरा तो एक भी दिन मजदूरी नहीं मिली। चमड़े का काम बंद कर दिया तो भी गांव के लोग भेदभाव और छुआछूत करते हैं। स्कूल में हमारे बच्चों के बर्तन बाद में धोए जाते हैं। आंगनवाड़ी में भी हमारे समाज के बच्चों को दलिया मिलता है तो दूसरे समाज के लोग बर्तन हटा लेते हैं।
- पूनम बड़ोदे कहते हैं कि पहले 12 एकड़ जमीन थी। पांच भाई में बंट गई। हमको कर्ज चुकाने के लिए 2 एकड़ जमीन बेचनी पड़ी। पंचायत ने हमारे चमड़े का काम बंद करवा दिया। पहले गाय मरी तो नंबर से जाते थे। अब सरपंच ने अपने वाले को कह दिया है। वही एक व्यक्ति मरी गाय को काटता है और मुनाफा कमाता है। हमने पंचायत को कहा कि उसने दो साल काम कर लिया अब किसी दूसरे को काम दो पर वे सुनते ही नहीं है। मजदूरी सालभर नहीं मिलती है। माह में 8 से 15 दिन और सीजन में 20 से 25 दिन काम मिलता है।
- हिवाला गांव के राजेश बताते हैं कि कुपोषण से बचाने वाले आंगनवाड़ी में भी छुआछूत होती है। हमारे बच्चों को अलग बैठाते हैं और खाने में भेदभाव करते हैं। खाना परोसने में भी भेदभाव होता है। हमारे बच्चों की थाली में खाना ऊपर से डालते हैं। बर्तन भी बच्चों से साफ करवाते हैं।
- गांव वाफला के महेश लोंगरे का कहना है कि गांव में सरपंच ध्यान नहीं देते, पंचायत में काम नहीं है। मेरे पास जॉब कार्ड नहीं है। आंगनवाड़ी में भी नहीं जाते हैं। वहां पैकेट नियमित नहीं दिए जाते हैं। छुआछूत करते हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से कुछ कहो तो उनके परिवार वाले लड़ने आ जाते हैं। इसलिए हम न तो वहां जाते है न उनको कहते हैं।
- पोंडी गांव के लोगों के अनुसार जंगल में शिकार कर खाते थे। अब तो शिकार नहीं मिल रहा है, नदी में भी मछली मारना कम कर दी है क्योंकि, पहले जैसी मछली नहीं रही। पहले जंगल सघन था तो कंदमूल खाते थे। कंद की विभिन्न प्रजातियां खत्म हो गई हैं।
- जिले के एक अधिकारी का कहना है राजस्व विभाग से कोई सवाल नहीं करता। उनसे पूछा जाना चाहिए कि राजस्व गांव में कितने वनवासी हैं, कितने को पट्टे मिले, कितनों ने कब्जे किया, क्या स्थिति है ? यह पता नहीं है। मोटे अनाज की मात्रा कम है। उसे बढ़ावा देने के लिए प्रशासन द्वारा समर्थन मूल्य घोषित होना चाहिए। अब बैगा समुदाय में कंद कोदो को

पंसद नहीं किया जाता है। वे चावल को पंसद करते हैं। मक्का, ज्वार, कोदो, कुटकी को पचाने के लिए मेहनत लगती है। मेहनत वाले काम युवा पीढ़ी नहीं करती इसलिए वे पचा भी नहीं पाएंगे। यदि इस अनाज को पीडीएस में भी देते हैं तो इतना अनाज कहां से आएगा। पीडीएस लोगों को ढो रही है,। 150 प्रतिशत कार्ड बढ़े हैं। बीपीएल कार्ड बनाने के निरंतर प्रक्रिया है। एक ही बार में क्यों नहीं नाम बढ़ाते या कार्ड बनाते हैं? बीपीएल का नाम पटवारी जोड़ता है जो गांव में ही नहीं जाता है लोग परेशान होते हैं? उनको पीडीएस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है।

- 1935 में बांस के जंगल थे। उनमें कई प्रकार की जड़ी मिलती थी। 2005 तक अचार चिरोंजी मिला पर उसके बीज भी कम हो गया। अब पेड़ों में भी पहले जैसे फल–फूल नहीं आते हैं। जनवरी से मार्च तक कंद फल खाते थे। फल में कचनार, माहुल आदि खाते थे। मणिया, कांग, कोदो को बिना धोये ही खाते थे। उसमें ताकत होती थी। वह गर्म होता है। उसे कोई खा नहीं सकता है।
- पहले लगभग हर परिवार में गाय थी। बैगा दूध ज्यादा नहीं खाते थे पर छाछ खूब खाई जाती थी। बच्चों को मां के दूध के अलावा कुछ नहीं मिलता है। 3 महीने बाद तो उनको कुछ चावल, कोदो खिलाने लगते हैं। मां का दूध बढ़ाने , कमजोरी को दूर करने के लिए मणिया देते हैं यदि घर में न हो तो गांव में से किसी के यहां से मांग कर लाते हैं। यदि किसी के घर मणिया या कोदो न हो तो गांव के लोग दे देते हैं। कोई मना नहीं करता है न पैसे लेता है।
- बैगा समुदाय नवजात बच्चे या कुछ दिन रह कर 1 महीने के या 2 महीने के अंदर मर जाते हैं उनको भगवान मानते हैं और यह मानते हैं कि यह बच्चा इस घर में ही जन्म लेगा। उसकी आत्मा भटकेगी नहीं। इसलिए उसे घर में ही गाड़ देते हैं। 5 से 6 महीने के बच्चे को घर के आसपास और 1 साल वाले को खेत में गाड़ते हैं।
- घर दूर होने पर बच्चे आंगनवाड़ी बहुत कम जाते हैं। कुछ मां अपने बच्चों को साथ में जंगल ले जाती हैं। खेत से फसल कंधे पर ही ढोकर लायी जाती है।
- गांव की दाई अनुभवी होती है। गांव में आज तक कोई बच्चा दाई के हाथों नहीं मरा है। खाने–पीने से लेकर साफ–सफाई तक का ध्यान रखती थी। पहले मां और बच्चे को दाई 6 दिन तक संभालती थी। बच्चा नहीं रोता या कमजोर होता है तो उसकी धान चावल से नाल को कुछ करते तो रोना चालू हो जाता है। बच्चे के तलवे में मारने की जानकारी उन्हें बहुत पहले से है। पहले की महिला में ताकत होती थी वह प्रसव की पीड़ा को आसानी से सह लेती थीं। अब महिलाएं कमजोर हो रही हैं, ज्यादा प्रसव पीड़ा नहीं सह पाती हैं। बैगा में किशोरी लड़की और गर्भवती महिला को खाने में अंडे नहीं देते हैं। इसके पीछे मान्यता है कि अंडे के कारण गर्भधारण से लेकर बच्चे पैदा होने तक पीड़ा होगी।
- पोंडी गांव में गर्भवती महिला के पास जच्चा–बच्चा कार्ड नहीं था। नर्स अपने रजिस्टर में देखकर टीका लगा रही थी। कार्ड के बारे में पूछा तो एएनएम कहती हैं कि बैगा लोग संभालकर नहीं रख पाते हैं जबकि, हमने कई घरों में देखा कि बैगा के पास कागज पन्नी में कार्ड रखे थे। उन्हें कार्ड दिया ही नहीं गया और उसके बारे में बताया भी नहीं गया। बैगा समुदाय के बच्चों को कितने टीके लगे हैं, यह पता करना बेहद मुश्किल है।
- पहले आंगनवाड़ी खुलती नहीं थी अब खुल रही। आंगनवाड़ी अभी भी बच्चों को आकर्षित नहीं कर पा रही है। चावल देकर छुट्टी कर दी जाती है। पोषण आहार समनापुर विकासखंड से ले जाने की राशि आंनगवाड़ी को नहीं मिलती है, ऐसे में कार्यकर्ता भी परेशान होती हैं। केन्द्र तक पोषण आहार पहुंचाने की व्यवस्था होनी चाहिए।
- कुपोषण न हो इसके लिए भोजन रुचिकर होना चाहिए। पोंडी में विवाद के कारण स्कूल में पिछले एक साल से मध्यान्ह भोजन बंद था इसलिए, आंनगवाड़ी में नहीं मिल रहा है। अवलोकन के लिए हम दिन में 11 बजे या 12 बजे भी पहुंचे तो चावल हमारे समाने बनाए गए। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने बताया कि समूह वाले इतना ही देते है।
- पहले पौष्टिक कंद मिलते थे अब नहीं मिल रहे हैं। ऐसी स्थिति में बच्चों को आंनगवाड़ी में 2 अंडे देना चाहिए। अंडे फार्म के नहीं बल्कि आसपास की देशी मुर्गियों के अंडे हों तो बच्चों की उपस्थिति भी बढ़ेगी और मुर्गीपालन का बढ़ेगा।
- कुपोषण का कारण यह भी है कि बैगा अब मांस नहीं खा रहे हैं। पहले जंगली सुअर का मांस मिलता था उसे सुखाकर भी खा लेते थे। मछली, चूहा, पक्षी, मोर, गिलहरी, खरगोश, जंगल मुर्गा खत्म हो गए हैं, इन पर रोग भी लग गया है।
- कुछ साल पहले बजाग ब्लाक के कुछ गांव में 5 या 8 बच्चे टीकाकरण के कारण मर गए थे। इस घटना के कारण लोग

बच्चों को टीके नहीं लगाना चाहते हैं।

- बैगा समुदाय का राजनीतिक नेतृत्व कम है इसलिए, उनकी बात कोई नहीं सुनता है। बैगा विकास प्राधिकरण का पैसा बैगा के विकास में जाना चाहिए। वह पैसे कुछ लोगों के जेब में जा रहा है जैसे मलेरिया अध्ययन के लिए 50 लाख रुपए डिंडोरी से आवंटित किया गया है, पर उसका फैसला भोपाल से आया।
- पोषण एवं स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करना हो तो हमें समुदाय की अजीविका को भी ठीक करना होगा। इस साल न तो पंचायत में मनरेगा का काम हुआ और न ही वन विभाग ने काम दिया। लोगों को नकद पैसा नहीं मिलने पर वे घर के मुर्गा व फसल बेचने को मजबूर हैं। बैगा में बाजार की वस्तुओं के प्रति आकर्षण बढ़ा है। यह आर्थिक तंगी बढ़ा रहा है।
- कोई बीमार होने या अस्पताल जाने पर बैगा महिलाएं चाहती हैं कि गांव की कोई महिला या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या आशा साथ रहें, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वे रात नहीं रूकना चाहती हैं। ऐसे में एनआरसी जाना तो दूर की बात है। पोषण पुनर्वास केन्द्र समनापुर में होता तो जाया जा सकता था, लेकिन डिण्डोरी जाना संभव नहीं होता।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. नरेश विश्वास, बेंवर स्वराज, निर्माण वैकल्पिक विकास एवं सहभागी शोध संस्थान, सिझौरा मंडला 2007
2. मिश्र श्रीमती ऊषा, आहार एवं उपचारात्मक आहार, साहित्य प्रकाशन, आगरा
3. ग्रामीण विकास विभाग, भारत सरकार की एनआरईजीए वेबसाइट
4. निंभोरकर अनिल एवं प्रमोद कुलकर्णी, बैगाचक में आजीविका संवर्धन, निवसिड, नागपुर 2007
5. जैन, सचिन कुमार, भूख को विकास का ताज बना दिया, विकास संवाद, भोपाल 2010
6. जैन सचिन कुमार राज व्यवस्था का चरमराना मतलब कुपोषण – केस स्टडी
7. मध्य प्रदेश शासन की वेबसाइट
8. त्रिपाठी विश्वम्भरनाथ, समुदाय आधारित व्यवस्था और खाद्य सुरक्षा, विकास संवाद, भोपाल 2012
9. कृष्ण कुमार, राज, समाज और शिक्षा, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली 2013
10. कांचा आइलैया, हमारे समय में श्रम की गरिमा, एकलव्य, भोपाल 2011

विश्वम्भरनाथ त्रिपाठी

जन्म 24 अप्रैल 1966
अवध विश्वविद्यालय से एम. ए. (1989) एवं देवी अहिल्या विवि इंदौर से एम. फिल. (1991)
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली से सोशल मेडिसिन एवं कम्यूनिटी हेल्थ में पीएचडी हेतु अध्ययनरत।
वर्ष 1995 से 1999 तक बाबा साहेब अम्बेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान महू, इंदौर में विभिन्न शोध परियोजनाओं में कार्य।
1999 से विकास व स्वशासन के क्षेत्र में एकलव्य एवं 2004 से समावेश संस्था के साथ कार्यरत।
पंचायत व स्वशासन के क्षेत्र में कई पुस्तिकाओं, न्यूजलेटर, शोध पुस्तकों आदि का प्रकाशन एवं शोध कार्य व सामाजिक अभियानों में सकियता।

संपर्क – ब्लॉक न. बी 4, मकान न. 4, मस्जिद के पास श्याम नगर, अपोजिट हबीबगंज थाना, भोपाल
मोबा. 9893602507
ई मेल
vn_tripathi@rediffmail.com

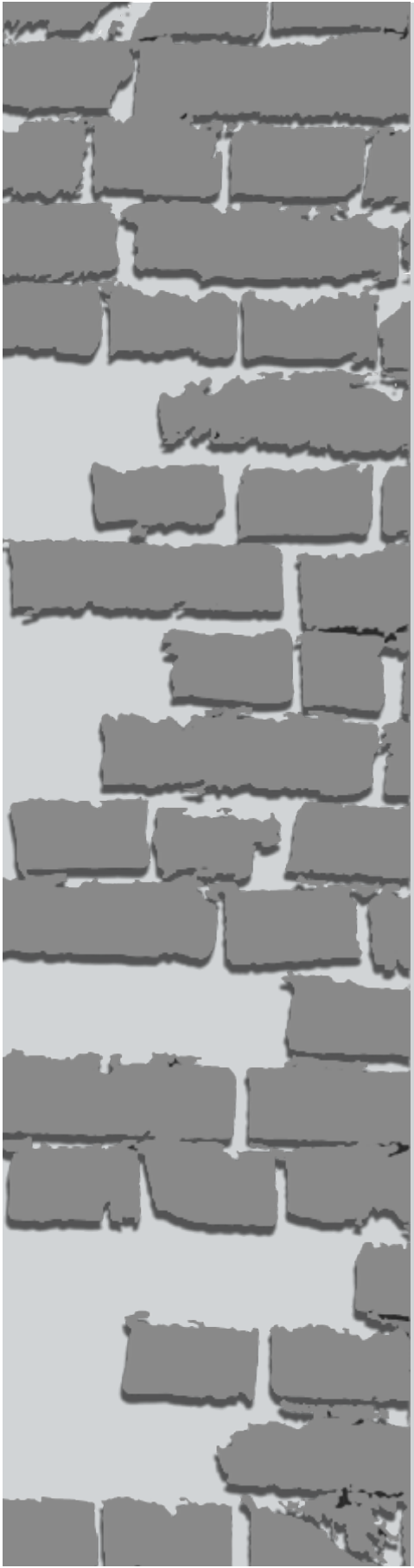

रोटी और संसद

एक आदमी
रोटी बेलता है
एक आदमी रोटी खाता है
एक तीसरा आदमी भी है
जो न रोटी बेलता है, न रोटी
खाता है
वह सिर्फ़ रोटी से खेलता है
मैं पूछता हूँ..
यह तीसरा आदमी कौन है,
मेरे देश की संसद मौन है।

धूमिल

ISBN No- 978-93-81408-14-8